



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

तीसरी
THIRD

अनुदानों के लिए पूरक मांगें

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2021-2022

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च, March, 2022

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदान की अनुपूरक मांगों का तीसरा बैच, 2021-2022

Subject : Third Batch of Supplementary Demands for Grants, 2021-2022.

2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के तीसरे और अंतिम बैच में 77 अनुदान और 1 विनियोग शामिल है। ₹1,58,356.10 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की स्वीकृति मांगी गई है। इसमें से कुल ₹1,07,408.15 करोड़ के कुल नकद व्यय और मंत्रालयों/विभागों की बचतों से मेल खाने वाले सकल अतिरिक्त व्यय या ₹50,946.52 करोड़ की बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूली के प्रस्तावों से संबंधित प्रस्ताव। इसके अलावा, नई सेवा या सेवा के नए साधन से जुड़े मामलों में बचत के पुनः विनियोग को सक्षम करने के लिए, व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपये, ₹143 लाख के टोकन प्रावधान की मांग की जा रही है।

The third and final batch of Supplementary Demands for Grants for 2021-22 includes 77 Grants and 1 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹1,58,356.10 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹1,07,408.15 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹50,946.52 crore. Besides, token provision of ₹143 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद व्यय से जुड़े अतिरिक्त व्यय की मदें इस प्रकार हैं:

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
(क) (i) एफआरएफसीएफ (₹100 करोड़), परमाणु ईंधन निर्माण (₹72 करोड़), भारी जल परियोजनाओं में सुधार/संशोधन (₹40 करोड़) और विकिरण और आइसोटोप उत्पादन (बीआरआईटी) (₹10 करोड़) और (ii) विभाग के आई एंड एम अनुभाग के लिए प्रमुख कार्य (₹77.63 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Fast Reactor Fuel Cycle Facility (₹100 crore), Nuclear Fuel Fabrication (₹72 crore), Improvement/modification of Heavy Water Projects (₹40 crore) and Radiation and Isotope Production (BRIT) (₹10 crore) and (ii) Major Works for I&M Section Department (₹77.63 crore).	...	222.00	222.00
(ख) (i) आईटीईआर परियोजना (₹300 करोड़), बीएआरसी की आर एंड डी परियोजना (₹150 करोड़), डीसीएसईएम की आवास परियोजनाओं (₹160 करोड़), स्वायत्त निकायों (₹40.18 करोड़) और (ii) विभाग के अनुसंधान एवं विकास अनुभाग के प्रमुख कार्य हेतु (₹2.27 करोड़) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) ITER Project (₹300 crore), R&D Project of BARC (₹150 crore), Housing Projects of DCSEM (₹160 crore), Autonomous Bodies (₹40.18 crore) and (ii) Major Works to R&D Section of the Department (₹2.27 crore).	...	650.18	650.18
(ग) परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ऋण और अग्रिम के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹1809.43 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards Loans and Advances to Nuclear Power Generation (₹1809.43 crore).	...	69.80	69.80
रसायन और ऊर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6 ऊर्वरक विभाग	6 Department of Fertilizers			
(i) स्वदेशी यूरिया सब्सिडी (₹8270.36 करोड़) और (ii) यूरिया के आयात (₹14000 करोड़) के भुगतान के लिए।	For payment towards (i) Indigenous Urea Subsidy (₹8270.36 crore) and (ii) Import of Urea (₹14000 crore).	14,902.12	...	14,902.12
7 भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
(क) राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) (₹20.75 करोड़) और जन औषधि योजना (₹3.85 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards National Institutes of Pharmaceuticals Education and Research (NIPERs) (₹20.75 crore) and Jan Aushadhi Scheme (₹3.85 crore).	24.25	...	24.25

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) (i) चिकित्सा उपकरण पार्क को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹77.02 करोड़) (ii) राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीआईआर) (₹16.91 करोड़) और (iii) चिकित्सा उपकरण के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (₹0.95 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Promotion of Medical Device Parks (₹77.02 crore) (ii) National Institutes of Pharmaceuticals Education and Research (NIPER) (₹16.91 crore) and (iii) Production Linked Incentive for Promoting Domestic Manufacturing of Medical Device (₹0.95 crore).	89.45	...	89.45
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
9 कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal			
(i) कोयला और लिग्नाइट की खोज के तहत विस्तृत ड्रिलिंग के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹135.05 करोड़) (अनुसूचित जाति घटक के लिए ₹12.45 करोड़ और आदिवासी क्षेत्र उप योजना घटक के लिए ₹12.90 करोड़ सहित) और (ii) कोयला नियंत्रक संगठन के किराए, दरों और करों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों (₹0.75 करोड़) को पूरा करना।	For (i) Grants-in-aid General (₹135.05 crore) (including ₹12.45 crore for Scheduled Castes Component and ₹12.90 crore for Tribal Area Sub Plan Component) for Detailed Drilling under Exploration of Coal and Lignite and (ii) meeting committed liabilities (₹0.75 crore) towards Rent, Rates and Taxes of Coal Controller Organisation.	109.21	...	109.21
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
(i) ब्याज समीकरण योजना के तहत सब्सिडियां (₹250 करोड़) (ii) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹16.06 करोड़) (iii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹10.20 करोड़) और (iv) विदेश व्यापार महानिदेशक के तहत अन्य प्रशासनिक व्यय (₹3.99 करोड़) को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹250 crore) under Interest Equalisation Scheme (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹16.06 crore) Marine Product Export Development Authority (MPEDA) (iii) Grants-in aid General (₹10.20 crore) under the scheme International Cooperation and (iv) Other Administrative Expense (₹3.99 crore) under Director General of Foreign Trade.	266.06	...	266.06
दूरसंचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
12 डाक विभाग	12 Department of Posts			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और परियोजना प्रबंधन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure on technology and project management in North Eastern Areas.	...	6.81	6.81
(ख) (i) प्रौद्योगिकी और परियोजना प्रबंधन पर (₹12.43 करोड़) और (ii) नए मेल मोटर सर्विसेज (एमएमएस) वाहनों की खरीद के लिए (₹3 करोड़) खर्च को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure (i) on technology and project management (₹12.43 crore) and (ii) for purchase of new Mail Motor Services (MMS) vehicles (₹3 crore).	...	15.43	15.43
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
18 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	18 Ministry of Defence (Civil)			
(क) (i) रक्षा विभाग (₹4.25 करोड़) (ii) रक्षा उत्कृष्टता (₹44.99 करोड़) हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान सामान्य सहित रक्षा उत्पादन	(a) For meeting the additional establishment expenses for (i) Department of Defence (₹4.25			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विभाग (₹8.97 करोड़) (iii) भूतपूर्व सैनिक विभाग (₹1.98 करोड़) (iv) सैन्य कार्य विभाग (₹3.30 करोड़) (v) सीमा सड़क संगठन (₹383.34 करोड़) (vi) रक्षा लेखा विभाग (₹155.83 करोड़) और (vii) रक्षा सम्पदा महानिदेशालय की सहायता अनुदान वेतन और सांविधिक देयताएं (₹24.70 करोड़)।	crore) (ii) Department of Defence Production (₹8.97 crore) including additional Grants-in-aid General for Defence Excellence (₹44.99 crore) (iii) Department of Ex-Servicemen (₹1.98 crore) (iv) Department of Military Affairs (₹3.30 crore) (v) Border Roads Organization (₹383.34 crore) (vi) Defence Accounts Department (₹155.83 crore) and (vii) Grants-in-aid Salaries and statutory liabilities of Directorate General Defence Estates (₹24.70 crore).	119.47	...	119.47
(ख) तटरक्षक संगठन के तहत भारतीय तटरक्षक के लिए वेतन (₹88.48 करोड़) और मस्तूलों/पथ निर्धारण किटों (₹114.05 करोड़) की खरीद के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting the additional expenditure towards Salaries (₹88.48 crore) and procurement of spares/routing kits (₹114.05 crore) for Indian Coast Guard under Coast Guard Organization.	202.53	...	202.53
(ग) वेतन, आपूर्ति और सामग्री, आकस्मिक और विविध के लिए और उत्तरी सीमाओं के साथ आकस्मिक आवश्यकता और परिचालन स्थिति को पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(c) For meeting the additional expenditure towards Salaries, Supplies and Materials, incidentals and miscellaneous and cater to the emergent requirement and operational situation along Northern Borders.	146.92	...	146.92
(घ) तटरक्षक संगठन के लिए भूमि अधिग्रहण (₹236.46 करोड़) और जहाजों, विमानों और बड़े के अधिग्रहण (₹350 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting the additional expenditure towards Land Acquisition (₹236.46 crore) and Acquisition of Ships, Aircraft & Fleet (₹350 crore) for Coast Guard Organization.	...	586.46	586.46
(ङ) रक्षा सम्पदा महानिदेशालय (₹120 करोड़) द्वारा कंटेनमेंट क्षेत्रों में रक्षा भूमि के अलग-अलग हिस्सों के चारों ओर सीमा स्तंभ/दीवार/बाड़बंदी के निर्माण और रक्षा लेखा विभाग की पूंजीगत परियोजनाओं (₹7.06 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting the additional expenditure on construction of boundary pillars/wall/fencing around isolated pockets of Defence Land in Contonment Areas by Directorate General Defence Estates (₹120 crore) and on capital projects of Defence Accounts Department (₹7.06 crore).	...	127.06	127.06
(च) कैटीन स्टोर डिपो के निर्माण, चेन्नई में विवाहितों के लिए आवास और नारंगी और कोच्चि में कैटीन स्टोर डिपो में डबल स्टोरेज आवास के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting the additional expenditure on construction of Canteen Stores Depot, married accommodation at Chennai and Construction of double storage accommodation at Canteen Store Depot at Narangi and Kochi.	...	32.91	32.91
(छ) रक्षा लेखा विभाग पर आवास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(g) For meeting additional expenditure for Housing Projects on Defence Accounts Department.	...	8.20	8.20
19 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	19 Defence Services (Revenue)			
(क) सेना के लिए निरीक्षण महानिदेशालय (डीजीक्यूए) हेतु न्यायालय के आदेशों के चलते हुए भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹0.65 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards payment arising out of Court Orders for Inspection Directorate General of Quality Assurance (DGQA) for Army (₹0.65 crore).	0.60	...	0.60
(ख) सेना के वेतन भत्ते (₹6094.89 करोड़), सहायक सेना के वेतन और भत्ते (₹256 करोड़), स्टोर	(b) For meeting additional expenditure towards Pay Allowance of Army			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹309.60 करोड़), कार्य (₹338.11 करोड़), राष्ट्रीय राइफल्स (₹268 करोड़), राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹213.67 करोड़) और सेना के लिए अन्य व्यय (₹241.45 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(₹6094.89 crore), Pay and Allowances of Auxiliary Forces (₹256 crore), Stores (₹309.60 crore), Works (₹338.11 crore), Rashtriya Rifles (₹268 crore), National Cadet Corps (₹213.67 crore) and other expenditure (₹241.45 crore) for Army.	314.17	...	314.17
(ग) नौसेना के वेतन और भत्ते (₹400 करोड़), नागरिकों के वेतन और भत्ते (₹150.99 करोड़), परिवहन (₹40 करोड़) और नौसेना के लिए अन्य व्यय (₹50 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Pay & Allowances of Navy (₹400 crore), Pay & Allowances of Civilians (₹150.99 crore), transportation (₹40 crore) and other expenditure (₹50 crore) for Navy.	315.23	...	315.23
(घ) वायु सेना के वेतन एवं भत्तों (₹975.09 करोड़), भंडार (₹1242.59 करोड़) और वायु सेना के लिए अन्य व्यय (₹56.33 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards Pay & Allowances of Air Force (₹975.09 crore), stores (₹1,242.59 crore) and other expenditure (₹56.33 crore) for Air Force.	1,030.54	...	1,030.54
(ङ) रक्षा आयुध कारखानों के लिए न्यायालय के आदेशों के चलते होने वाले भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure towards payment arising out of Court Orders for Defence Ordnance Factories.	7.50	...	7.50
(च) अनुसंधान एवं विकास के लिए अन्य व्यय (₹2.30 करोड़) के लिए न्यायालय के आदेशों के चलते होने वाले भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(g) For meeting additional expenditure towards payment arising out of Court Orders for other expenditure for Research & Development (₹2.30 crore).	2.12	...	2.12
21 रक्षा पेंशन पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (₹1,028.50 करोड़)	21 Defence Pensions For meeting additional expenditure towards payment of Pension and Other Retirement benefits. (₹1,028.50 crore)	1,028.00	...	1,028.00
भू विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
23 भू विज्ञान मंत्रालय ओशियनसैट-3 के लिए लीज रेंटल की लागत साझा करने के लिए अंतरिक्ष विभाग को भुगतान करने के लिए किराए, दरों और करों के लिए अतिरिक्त व्यय प्रदान करने के लिए।	23 Ministry of Earth Sciences For providing additional expenditure towards Rent, Rates and Taxes for making payment to Department of Space towards cost sharing of lease rental for OCEANSAT-3.	7.00	...	7.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
31 वित्तीय सेवाएं विभाग	31 Department of Financial Services			
(क) (i) राष्ट्रीय निवेश कोष के लिए ₹5000 करोड़ के अंतरण के लिए (ii) बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक को सहायता अनुदान (₹5000 करोड़) प्रदान करना और (iii) ऋण अधिस्थगन (₹96.81 करोड़) के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाओं को चक्रवृद्धि ब्याज सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For (i) transferring of ₹5000 crore to National Investment Fund (ii) providing Grants-in-aid (₹5000 crore) to National Bank for Financing Infrastructure and Development and (iii) meeting additional expenditure towards Compounded interest support to Lending Institutions under Compounded interest support scheme for loan moratorium (₹96.81 crore).	2,603.81	...	2,603.81
(ख) (i) राष्ट्रीय निवेश कोष में ₹6084 करोड़ की राशि के अंतरण के लिए और (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूँजीकरण (₹2884 करोड़)।	(b) For (i) transferring an amount of ₹6,084 crore to National Investment Fund and (ii) Recapitalisation of Regional Rural Banks (₹2884 crore).	...	1,004.09	1,004.09
(ग) (i) नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष	(c) For (i) transferring of ₹20,000 crore to National Investment Fund for National			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के लिए ₹20000 करोड़ के हस्तांतरण के लिए और (ii) बीमा कंपनियों के पुनर्पूँजीकरण (₹5000 करोड़)।	Bank for Financing Infrastructure and Development and (ii) Recapitalization of Insurance Companies (₹5000 crore).	...	4,950.00	4,950.00
(घ) सूक्ष्म वित्त संस्थानों (₹50 करोड़) के लिए ऋण गारंटी योजना के व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure for Credit Guarantee Scheme for Micro Finance Institutions (₹50 crore).	...	49.99	49.99
(ङ) कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना हेतु ऋण उपलब्ध कराने हेतु।	(e) For providing loans to Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors.	...	50.00	50.00
33 राजस्व विभाग	33 Department of Revenue			
(क) जीएसटी मुआवजा कोष में अतिरिक्त अंतरण पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹10,394.47 करोड़)।	(a) For meeting expenditure on additional transfer to GST Compensation Fund (₹10,394.47 crore).	8,141.76	...	8,141.76
(ख) संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जीएसटी मुआवजा कोष में अतिरिक्त अंतरण पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹401 करोड़)।	(b) For meeting expenditure on additional transfer to GST Compensation Fund for UTs (₹401 crore).	150.99	...	150.99
36 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	36 Indian Audit and Accounts Department			
भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग की आवास परियोजना के लिए एनबीसीसी को भुगतान संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए (₹30 करोड़)।	For meeting expenditure on payment to NBCC for Housing Project of Indian Audit & Accounts Department (₹30 crore).	...	7.24	7.24
39 पेंशन	39 Pensions			
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Pensions and other Retirement Benefits.	7,132.00	...	7,132.00
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
41 मत्स्य पालन विभाग	41 Department of Fisheries			
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य घटक (₹157.15 करोड़), एससीएसपी घटक (₹9.30 करोड़) और टीएसपी घटक (₹20 करोड़) के लिए सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for General component (₹157.15 crore), SCSP component (₹9.30 crore) and TSP Component (₹20 crore) under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.	186.45	...	186.45
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
56 दिल्ली को अंतरण	56 Transfers to Delhi			
संघ शासित आपदा मोचन निधि (₹70 करोड़) के अंशदान और 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा (₹2.50 करोड़) के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Contribution to Union Territory Disaster Response Fund (₹70 crore) and compensation to 1984 riots victims (₹2.50 crore).	72.50	...	72.50
57 जम्मू और कश्मीर को अंतरण	57 Transfers to Jammu and Kashmir			
(i) महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए एकमुश्त समर्थन (₹2500 करोड़) (ii) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईजीएसटी का गैर-विभाजित हिस्सा (₹41.72 करोड़) (iii) क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना की स्थायी बहाली (₹647.46 करोड़) (iv) 624 मेगावाट किरू एचईपी (₹300 करोड़) में इक्विटी योगदान के लिए अनुदान (v) स्तले 800 मेगावाट एचईपी में इक्विटी के लिए अनुदान (₹300 करोड़) और (vi) केंद्र शासित प्रदेश के पूंजीगत व्यय (₹200 करोड़) के लिए अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards (i) one time support for payment of Dearness Allowance (₹2,500 crore) (ii) un-apportioned share of IGST for FY 2018-19 (₹41.72 crore) (iii) Grants for Permanent Restoration of Damaged Infrastructure (₹647.46 crore) (iv) Grants for equity contribution in 624 MW Kiru HEP (₹300 crore) (v) Grants for equity in Ratle 800 MW HEP (₹300 crore) and (vi) Capital Expenditure of UT (₹200 crore).	3,989.18	...	3,989.18
58 पुडुचेरी को अंतरण	58 Transfers to Puducherry			
संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु।	For providing Central Assistance to Union Territories.	150.00	...	150.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
59 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	59 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(क) (i) आरआरटी के तहत सांविधिक निकाय को सेवा शुल्क, संपत्ति कर का भुगतान (₹50 करोड़) और (ii) लघु कार्यों (₹13 करोड़) के तहत लंबित बिलों का निपटान।	(a) For (i) payment of service charges, property taxes to statutory body under RRT (₹50 crore) and (ii) settlement of pending bills under Minor Works (₹13 crore).	63.00	...	63.00
(ख) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणी के लिए लक्षित क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) घरों को पूरा करने के लिए (₹3,443.70 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से लिए गए ऋण का भुगतान (₹33,000 करोड़), (iii) सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए (₹198 करोड़) लघु कार्य के लिए लिया गया ऋण और (iv) आरआरटी के तहत जीपीआरए भवनों के संबंध में सांविधिक निकायों को सेवा शुल्क, संपत्ति कर का भुगतान (₹125.27 करोड़)।	(b) For (i) meeting targeted Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) houses for Economically Weaker Section(EWS)/ Lower Income Group (LIG) category under Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban(PMAY-U) (₹3,443.70 crore) (ii) settle the loan taken by Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC) from National Small Saving Fund (NSSF) for PMAY(U) (₹33,000 crore), (iii) maintenance and repairs of General Pool Residential Accommodation (GPRA) buildings under Minor Works (₹198 crore) and (iv) payment of service charges, property tax to statutory bodies in respect of GPRA buildings under RRT (₹125.27 crore).	30,169.69	...	30169.69
(ग) प्रमुख कार्यों (₹100 करोड़) के तहत जीपीआरए भवनों के संबंध में चल रहे कई कार्यों के लिए।	(c) For ongoing works in respect of GPRA buildings under Major Works (₹100 crore).	...	82.46	82.46
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
63 श्रम और रोजगार मंत्रालय	63 Ministry of Labour and Employment			
(क) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 योजना के तहत अंशदान (₹9,895.63 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹121.92 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Contribution (₹9,895.63 crore) and Grants-in-aid General (₹121.92 crore) under the scheme Employees Pension Scheme, 1995.	9,210.55	...	9210.55
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत अंशदान (₹1099.57 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹13.50 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Contribution (₹1,099.57 crore) and Grants-in-aid General (₹13.50 crore) under the scheme Employees Pension Scheme, 1995 for North Eastern Region.	1,050.07	...	1050.07
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
68 खान मंत्रालय	68 Ministry of Mines			
(क) सचिवालय के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाओं के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards Professional Services under Secretariat.	7.75	...	7.75
(ख) (i) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि क्रियाकलापों स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹2794.47 करोड़) और (ii) भारत के भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण योजना के तहत (₹7 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹2,794.47 crore) under the scheme National Mineral Exploration Trust Fund Activities and (ii) Grants-in-aid General (₹7 crore) under the scheme Geological Survey of India Activities.	2,771.82	-	2771.82

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
70 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरडीडीए) (₹1,500 करोड़) और भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) (₹1,000 करोड़) में इक्विटी निवेश के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	70 Ministry of New and Renewable Energy For meeting expenditure towards equity investment in Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) (₹1,500 crore) and Solar Energy Corporation of India (SECI) (₹1,000 crore).	...	2,500.00	2500.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
78 विद्युत मंत्रालय	78 Ministry of Power			
(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana.	204.50	...	204.50
(ख) योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (₹1,412.21 करोड़) (ii) पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड स्कीम (₹200 करोड़) और (iii) रिफॉर्म्स लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम (₹479.76 करोड़)।	(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (₹1,412.21 crore) (ii) Power System Development Fund Scheme (₹200 crore) and (iii) Reforms Linked Distribution Scheme (₹479.76 crore).	1,612.21	...	1,612.21
(ग) ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (₹3.21 करोड़) के तहत फंड उपलब्ध कराने के लिए और अवसंरचना को सक्षम करने की लागत यानी सड़कों/पुलों (₹10 करोड़) के लिए सहायता के लिए।	(c) For providing funds under Green Energy Corridor (₹3.21 crore) and Support for the cost of Enabling Infrastructure i.e. roads/bridges (₹10 crore).	...	10.00	10.00
(घ) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को निपटाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए।	(d) For providing additional funds for North Eastern Areas to Settle committed liabilities under Integrated Power Development Scheme (IPDS).	...	3.54	3.54
(ङ) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को निपटाने के लिए विद्युत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण प्रदान करने के लिए।	(e) For providing additional Loans for Power projects to Settle committed liabilities under the scheme Integrated Power Development Scheme (IPDS).	...	1,264.00	1,264.00
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
83 संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं और चयनों के संचालन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	83 Union Public Service Commission For meeting additional expenditure on conduct of Examinations and Selections.	3.01	...	3.01
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	85 Ministry of Road Transport and Highways			
1. राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्यों के तहत प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए - सीआरआईएफ से सामान्य वित्तपोषित (₹1593.93 करोड़) और 2. (i) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्यों के लिए सीआरआईएफ को अंतर खाता अंतरण - सामान्य (₹1608.93 करोड़) और (ii) टोल पुलों (₹20.07 करोड़) के रखरखाव के लिए स्थायी पुल शुल्क निधि (पीबीएफएफ)।	For 1. meeting expenditure towards Major Works under National Highways Original Works - General financed from CRIF (₹1593.93 crore) and 2. Inter Account Transfer to (i) CRIF for National Highways Original works - General (₹1608.93 crore) and (ii) Permanent Bridges Fees Fund (PBFF) for maintenance of toll bridges (₹20.07 crore).	...	15.00	15.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
86 ग्रामीण विकास विभाग	86 Department of Rural Development			
(क) प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ब्याज घटक के पुनर्भुगतान के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिए।	(a) For providing additional funds for National Bank for Agriculture and Rural Development for re-payment of interest component under Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural).	1,315.00	...	1,315.00
(ख) प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकारों के लिए पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए।	(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets for State Governments under Pradhan Mantri Awas Yojana.	8,353.00	...	8,353.00
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
101 युवा मामले और खेल मंत्रालय	101 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) (i) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹1.50 करोड़) और खेल में मानव संसाधन विकास (₹1 करोड़) योजना के तहत सामान्य सहायता (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण योजना (₹17 करोड़), राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹1 करोड़) और खेलो इंडिया (₹85.01 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान योजनाएं (iii) भारतीय खेल प्राधिकरण योजना (₹68.73 करोड़) और (iv) योजना पुरस्कार (₹0.01 करोड़) के तहत अन्य प्रभार के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme National Dope Test Laboratory (₹1.50 crore) and Human Resource Development in Sports (₹1 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes Sports Authority of India (₹17 crore), National Dope Test Laboratory (₹1 crore) and Khelo India (₹85.01 crore) (iii) Grants-in-aid Salary under the scheme Sports Authority of India (₹68.73 crore) and (iv) Other Charges under the scheme Awards (₹0.01 crore).	0.02	...	0.02
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) खेलो इंडिया योजना के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹15.30 करोड़) और (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹0.20 करोड़) योजना के तहत सहायता अनुदान।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Khelo India (₹15.30 crore) and (ii) Grants-in-aid Salary under the scheme Sports Authority of India (₹0.20 crore).	0.50	...	0.50
कुल नकद परिव्यय	Total Cash Outgo	95,752.98	11,655.17	1,07,408.15

3. अनुदान की अनुपूरक मांगों के इस बैच में ₹50,946.52 करोड़ के तकनीकी अनुपूरक अनुदान/विनियोग के प्रस्ताव शामिल हैं जो मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूली या संबंधित बचतों से मेल खाते हैं। मदें इस प्रकार हैं:

3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹50,946.52 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

अनुदान के लिए तकनीकी अनुपूरक मांग

Technical Supplementary Demands for grants

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए ऋण और अग्रिमों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹1809.43 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards Loans and Advances to Nuclear Power Generation (₹1809.43 crore).	...	405.00	405.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6 उर्वरक विभाग (i) स्वदेशी यूरिया सब्सिडी (₹8270.36 करोड़) और (ii) यूरिया के आयात (₹14000 करोड़) के भुगतान के लिए।	6 Department of Fertilizers For payment towards (i) Indigenous Urea Subsidy (₹8270.36 crore) and (ii) Import of Urea (₹14000 crore).	363.02	...	363.02
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागर विमानन मंत्रालय (i) भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए एअर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के तहत निवेश (₹308.40 करोड़) और (ii) डीजीसीए के तहत प्रमुख कार्यों (₹9.09 करोड़) और मशीनरी और उपकरण (₹12 करोड़) के लिए।	8 Ministry of Civil Aviation For (i) Investment (₹308.40 crore) under Air India Asset Holding Limited for recoupment of Advance from Contingency Fund of India and (ii) Major Works (₹9.09 crore) and Machinery & Equipment (₹12 crore) under DGCA.	...	329.49	329.49
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग सचिवालय के अंतर्गत अन्य प्रभागों के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।	10 Department of Commerce For meeting expenditure towards Other Charges under Secretariat.	0.10	...	0.10
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
18 रक्षा मंत्रालय (सिविल) (क) (i) रक्षा विभाग (₹4.25 करोड़) (ii) रक्षा उत्पादन विभाग (₹8.97 करोड़) के लिए अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए रक्षा उत्कृष्टता के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान (₹44.99 करोड़) सहित (iii) भूतपूर्व सैनिक विभाग (₹1.98 करोड़) (iv) सैन्य कार्य विभाग (₹3.30 करोड़) (v) सीमा सड़क संगठन (₹383.34 करोड़) (vi) रक्षा लेखा विभाग (₹155.83 करोड़) और (vii) रक्षा संपदा महानिदेशालय के सहायता अनुदान वेतन और सांविधिक दायित्व (₹24.70 करोड़)।	18 Ministry of Defence (Civil) (a) For meeting the additional establishment expenses for (i) Department of Defence (₹4.25 crore) (ii) Department of Defence Production (₹8.97 crore) including additional Grants-in-aid General for Defence Excellence (₹44.99 crore) (iii) Department of Ex-Servicemen (₹1.98 crore) (iv) Department of Military Affairs (₹3.30 crore) (v) Border Roads Organization (₹383.34 crore) (vi) Defence Accounts Department (₹155.83 crore) and (vii) Grants-in-aid Salaries and statutory liabilities of Directorate General Defence Estates (₹24.70 crore).	0.04	...	0.04
(ख) (i) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) (₹1000 करोड़) में अतिरिक्त अंतरण और (ii) स्ट्रैटेजिक और बॉर्डर रोड्स (₹20 करोड़) के निर्माण पर खर्च को पूरा करने के लिए।	(b) For (i) additional transfer to Central Road and Infrastructure Funds (CRIF) (₹1000 crore) and (ii) meeting expenditure on construction of Strategic and Border Roads (₹20 crore).	...	1,020.00	1,020.00
20 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होने वाले भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अर्थात् सेना के निर्माण कार्यों (₹25 करोड़), आयुध कारखानों की मशीनरी और उपकरण (₹3 करोड़) और अनुसंधान एवं विकास के कार्यों (₹53.89 करोड़) के लिए।	20 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure towards payment arising out of Court Orders viz. for construction works of Army (₹25 crore), machinery & equipment of Ordnance Factories (₹3 crore) and Works of Research & Development (₹53.89 crore).	...	76.22	76.22
21 रक्षा पेंशन पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों (₹1,028.50 करोड़) के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	21 Defence Pensions For meeting additional expenditure towards payment of Pension and Other Retirement benefits (₹1,028.50 crore).	0.50	...	0.50

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
22 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	22 Ministry of Development of North Eastern Region			
उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना (एनईआरएसडीएस) के तहत प्रावधानों को बढ़ाने के लिए।	For augmenting the provisions under North East Road Sector Development Scheme (NERSDS).	...	29.67	29.67
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(क) गारंटी रिडेम्पशन निधि को निधि अंतरण करने के लिए।	(a) For transfer of funds to Guarantee Redemption Fund.	339.07	...	339.07
(ख) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) में अंशदान के लिए।	(b) For contribution to International Development Association (IDA).	499.99	...	499.99
(ग) सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, 2015 (₹741 करोड़), गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, 2015 (₹261.51 करोड़) के तहत गोल्ड रिजर्व फंड के तहत निधि अंतरण के लिए, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन (जीएवीआई) में अंशदान (₹20.90 करोड़) और भारतीय दूतावास, वाशिंगटन के आर्थिक विंग के स्थापना व्यय के लिए (₹4.17 करोड़)।	(c) For transfer of funds under Gold Reserve Fund under Sovereign Gold Bond Scheme, 2015 (₹741 crore), Gold Monetization Scheme, 2015 (₹261.51 crore), contribution to Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) (₹20.90 crore) and towards establishment expenditure of Economic Wing of the Embassy of India, Washington (₹4.17 crore).	230.76	...	230.76
31 वित्तीय सेवाएं विभाग	31 Department of Financial Services			
(क) स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबिलाइजेशन फंड (एसएसएफ) (₹149.99 करोड़) को जारी प्रतिभूतियों के मोचन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards redemption of Securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF) (₹149.99 crore).	20.09	...	20.09
(ख) (i) राष्ट्रीय निवेश कोष के लिए ₹5,000 करोड़ का अंतरण (ii) अवसंरचना और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक को सहायता अनुदान (₹5,000 करोड़) प्रदान करना और (iii) चक्रवृद्धि ब्याज सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना ऋण अधिस्थगन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत ऋणदात्री संस्थाओं (₹96.81 करोड़) के लिए।	(b) For (i) transferring of ₹5,000 crore to National Investment Fund (ii) providing Grants-in-aid (₹5,000 crore) to National Bank for Financing Infrastructure and Development and (iii) meeting additional expenditure towards Compounded interest support to Lending Institutions under Compounded interest support scheme for loan moratorium (₹96.81 crore).	5,000.00	...	5,000.00
(ग) (i) राष्ट्रीय निवेश कोष में ₹6084 करोड़ की राशि का अंतरण और (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूँजीकरण (₹22884 करोड़) के लिए।	(c) For (i) transferring an amount of ₹6084 crore to National Investment Fund and (ii) Recapitalisation of Regional Rural Banks (₹22884 crore).	...	7,213.90	7,213.90
(घ) (i) नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष में ₹20,000 करोड़ का अंतरण और (ii) बीमा कंपनियों के पुनर्पूँजीकरण (₹5,000 करोड़) के लिए।	(d) For (i) transferring of ₹20,000 crore to National Investment Fund for National Bank for Financing Infrastructure and Development and (ii) Recapitalization of Insurance Companies (₹5,000 crore).	...	13,049.99	13,049.99
33 राजस्व विभाग	33 Department of Revenue			
जीएसटी मुआवजा कोष (₹10,394.47 करोड़) में अतिरिक्त अंतरण पर व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on additional transfer to GST Compensation Fund (₹10,394.47 crore).	1.36	...	1.36
34 प्रत्यक्ष कर	34 Direct Taxes			
वेतन के लिए अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional establishment related expenditure for Salary.	26.55	...	26.55

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
36 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग की आवास परियोजना के लिए एनबीसीसी को भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए (₹30 करोड़)।	36 Indian Audit and Accounts Department For meeting expenditure on payment to NBCC for Housing Project of Indian Audit & Accounts Department (₹30 crore).	...	22.76	22.76
40 राज्यों को अंतरण (क) एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी (एपीवीएएक्स) के तहत एशियाई विकास बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) द्वारा प्रदान किए गए ₹8,838.20 करोड़ सहित कोविड-19 टीकाकरण के लिए सहायता के लिए सामान्य अनुदान (₹12,838.20 करोड़) प्रदान करने के लिए। (ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ऋण) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तहत राज्य सरकारों को अतिरिक्त ब्लॉक ऋण प्रदान करने के लिए। (ग) योजना के तहत राज्य सरकारों को ₹5,000 करोड़ प्रदान करने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता।	40 Transfers to States (a) For providing Grants-in-aid General (₹12,838.20 crore) towards Support for COVID-19 Vaccination including ₹8,838.20 crore provided by Asian Development Bank and Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) under Asia Pacific Vaccine Access Facility (APVAX). (b) For providing additional Block Loans to State Governments under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Loans). (c) For providing ₹5,000 crore to State Governments under the scheme Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure.	8,838.20	... 100.00 5,000.00	8,838.20 100.00 5,000.00
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
41 मत्स्य पालन विभाग सचिवालय आर्थिक सेवाओं के तहत किराए, दरों और करों के खर्च को पूरा करने के लिए।	41 Department of Fisheries For meeting expenditure towards Rent, Rates and Taxes under Secretariat Economic Services.	10.93	...	10.93
42 पशुपालन और डेयरी विभाग (i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (₹10.20 करोड़) और (ii) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (₹10 करोड़) के तहत सामान्य घटक के लिए सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	42 Department of Animal Husbandry and Dairying For meeting expenditure towards Grants-in-aid General for General Component under (i) National Livestock Mission (₹10.20 crore) and (ii) Livestock Health and Disease Control Programme (₹10 crore).	10.00	...	10.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
44 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (i) प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत संक्रामक रोग और प्रकोप प्रतिक्रिया की निगरानी को मजबूत करने के लिए मशीनरी और उपकरण (₹8 करोड़) और (ii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत प्रमुख कार्यों (₹834.80 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	44 Department of Health and Family Welfare For meeting additional requirement towards (i) Machinery & Equipment (₹8 crore) for Strengthening Surveillance of Infectious Disease and Outbreak Response under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) and (ii) Major Works (₹834.80 crore) under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY).	...	500.00	500.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
50 पुलिस	50 Police			
(क) (i) अन्य शुल्क के तहत महिला हेल्प डेस्क सहित मानव तस्करी विरोधी इकाइयां (₹1.52 करोड़) (ii) पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क और अनुदान के तहत महिला सुरक्षा परियोजनाओं सहित मानव तस्करी विरोधी इकाइयों के लिए विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.45 करोड़) और (iii) कार्यालय व्यय (₹60 करोड़), लघु कार्य (₹50 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹1,416.98 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹50 करोड़) के तहत दिल्ली पुलिस के लिए।	(a) For (i) Anti Human Trafficking Units including Women Help Desks under Other Charges (₹1.52 crore) (ii) Grants to Union Territories without Legislature for Anti Human Trafficking Units including Women Help Desks in Police Stations and Women Safety Projects under Grants-in-aid General (₹0.45 crore) and (iii) Delhi Police under Office Expenses (₹60 crore), Minor Works (₹50 crore) and Professional Services (₹1,416.98 crore), Medical Treatment (₹50 crore).	1,000.00	...	1000.00
(ख) (i) जम्मू और कश्मीर (जम्मू और कश्मीर) के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) (₹600 करोड़) (ii) जम्मू और कश्मीर के राहत और पुनर्वास (₹723.74 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under (i) Security Related Expenditure (SRE) for Jammu & Kashmir (J&K) (₹600 crore and (ii) Relief & Rehabilitation of J&K (₹723.74 crore).	480.00	...	480.00
51 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	51 Andaman and Nicobar Islands			
(क) स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹80 करोड़) और पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, पेंशन आदि पर सामान्य सहायता वेतन अनुदान (₹10 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets (₹80 crore) under Smart City Project and Grants-in-aid Salaries (₹10 crore) on salary, wages, pension etc. of employees of the Port Blair Municipal Council.	90.00	...	90.00
(ख) एचएसडी की लागत में वृद्धि और इसकी लंबित देनदारियों, डीजी सेटों के रखरखाव के लिए पुर्जों और सेवा शुल्क आदि के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards increase in the cost of HSD and its pending liabilities, spares and service charges for maintenance of DG sets, etc.	64.08	...	64.08
54 लद्दाख	54 Ladakh			
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कर्मचारियों के जीपीएफ (₹1,242 करोड़), राज्य जीवन बीमा प्रीमियम (₹15 करोड़) और एनपीएस (₹8.65 करोड़) के अंतरण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards transfer of GPF (₹1,242 crore), State Life Insurance Premium (₹15 crore) and NPS (₹8.65 crore) dues of the employees of UT of Ladakh.	1,265.65	...	1265.65
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
68 खान मंत्रालय	68 Ministry of Mines			
योजना के अंतर्गत (i) सहायता अनुदान (₹2794.47 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट पंक्त गतिविधियां और (ii) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियों की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹7 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹2794.47 crore) under the scheme National Mineral Exploration Trust Fund Activities and (ii) Grants-in-aid General (₹7 crore) under the scheme Geological Survey of India Activities.	7.00	...	7.00
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
77 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	77 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत निवेश के लिए	(a) For meeting expenditure towards Investment under Inland Waterways			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
व्यय को पूरा करने के लिए।	Authority of India under North Eastern Areas.	...	84.80	84.80
(ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत निवेश (₹383 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Investment (₹383 crore) under Inland Waterways Authority of India.	...	317.55	317.55
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
78 विद्युत मंत्रालय	78 Ministry of Power			
योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करने के लिए (i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) (₹1,412.21 करोड़) (ii) विद्युत प्रणाली विकास निधि योजना (₹200 करोड़) और (iii) सुधार लिंकड वितरण योजना ₹479.76 करोड़)।	For providing Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) (₹1,412.21 crore) (ii) Power System Development Fund Scheme (₹200 crore) and (iii) Reforms Linked Distribution Scheme (₹479.76 crore).	479.33	...	479.33
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
84 रेल मंत्रालय	84 Ministry of Railways			
(क) सांविधिक रेलवे लेखापरीक्षा की लागत के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards cost of statutory Railway Audit.	0.50	...	0.50
(ख) मुआवजे के दावों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under Compensation claims.	1.00	...	1.00
(ग) मुआवजे के दावों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure under Compensation claims.	1.00	...	1.00
(घ) मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण और नई लाइनों के निर्माण के लिए पुनर्वास (₹459.74 करोड़), पटरियों के दोहरीकरण (₹91.76 करोड़), लाइनों को ब्रॉडगेज में बदलने (₹33.83 करोड़), यातायात सुविधाओं के तहत बाय-पास लाइन का प्रावधान (₹20.09 करोड़), ग्राहक सुविधाओं से संबंधित अन्य मध्यस्थता पुरस्कार (₹1 करोड़), यातायात सुविधाओं के तहत स्टेशन का विकास (₹0.23 करोड़) और कार्यशालाओं में भारी मरम्मत (₹0.27 करोड़) के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure arising out of court decrees mainly due to land acquisition and resettlement for construction of New lines (₹459.74 crore), Doubling of Tracks (₹91.76 crore), conversion of lines to broad gauge (₹33.83 crore), provision of by-pass line under the traffic facilities (₹20.09 crore), other arbitration awards relating to Customer amenities (₹1 crore), development of station under Traffic Facilities (₹0.23 crore) and heavy repairs in Workshops (₹0.27 crore).	...	606.92	606.92
(ङ) भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों द्वारा विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि और परेषिती रेलवे को तैयार उत्पादों को क्रेडिट में हस्तांतरित करने के लिए संबंधित वृद्धि के कारण ₹1,507.09 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure of ₹1,507.09 crore on account of increase in manufacturing activities by Indian Railways' Production Units and related increase in the Credits for transfer of finished products to consignee Railways.	...	1,415.51	1415.51
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	85 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) के लिए (i) सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (सीआरआईएफ) से वित्तपोषित केंद्रशासित प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान की पूर्ति (₹224.27 करोड़) और (ii) जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीआरआईएफ को अंतर खाता स्थानांतरण (₹198.27 करोड़)।	(a) For (i) meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for UT & J&K financed from Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹224.27 crore) and (ii) Inter Account Transfer to CRIF for UT of J&K (₹198.27 crore).	396.54	...	396.54

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) 1. राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्यों के तहत प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए - सीआरआईएफ से सामान्य वित्तपोषित (₹1,593.93 करोड़) और 2. अंतर खाता हस्तांतरण (i) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्यों के लिए सीआरआईएफ - सामान्य (₹1,608.93 करोड़) और (ii) टोल पुलों के रखरखाव के लिए स्थायी पुल शुल्क निधि (₹20.07 करोड़)।	(b) For 1. meeting expenditure towards Major Works under National Highways Original Works - General financed from CRIF (₹1,593.93 crore) and 2. Inter Account Transfer to (i) CRIF for National Highways Original works - General (₹1,608.93 crore) and (ii) Permanent Bridges Fees Fund for maintenance of toll bridges (₹20.07 crore).	...	1,614.00	1,614.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
90 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	90 Department of Scientific and Industrial Research			
(i) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए, पेंशन पर महंगाई राहत जारी करना, नई पेंशन योजना पर बकाया नियोक्ता योगदान (₹10 करोड़) और (ii) सहायता अनुदान सामान्य पीएसीई (₹0.94 करोड़) और बीआईआरडी (₹0.97 करोड़) की ओर बढ़ा/प्रत्याशित व्यय के कारण।	For meeting additional expenditure under (i) Grants-in-aid General of National Laboratories towards pension, release of Dearness Relief on pension, arrear on New Pension Scheme employer contribution (₹10 crore) and (ii) Grants-in-aid General on account of enhanced/anticipated expenditure towards PACE (₹0.94 crore) and BIRD (₹0.97 crore).	10.00	...	10.00
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
91 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	91 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
सचिवालय योजनान्तर्गत प्रमुख कार्यों के व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure towards Major Works under the scheme Secretariat.	...	25.00	25.00
कुल तकनीकी	Total Technical	19,135.71	31,810.81	50,946.52

4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹1 लाख का अनुपूरक अनुदान भी लिया जाना प्रस्तावित है, जिसके प्रति संकेतित व्यय संबंधित अनुदान के राजस्व या पूंजी अनुभाग, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचतों के पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदान के लिए सांकेतिक अनुपूरक मांग		Token Supplementary Demands for grants		
		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
2401- फसल पालन	2401- Crop Husbandry	10,290.72	...	10,290.72
2425 - सहकारिता	2425 - Co-operation	23.73	...	23.73
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	115.86	...	115.86
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415 - Agricultural Research and Education	329.76	...	329.76
2552 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	53.00	...	53.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	241.11	...	241.11
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
4 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	4 Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	8.60	...	8.60
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
5 रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
2852 - उद्योग	2852 - Industries	0.60	...	0.60
6 उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilizers			
2401 - फसल पालन	2401 - Crop Husbandry	10.00	...	10.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
3053 - नागर विमानन	3053 - Civil Aviation	562.19	...	562.19
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
9 कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal			
2552 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	15.00	...	15.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
2407-वृक्षारोपण	2407-Plantations	8.00	...	8.00
11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
2552 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	30.00	...	30.00
2852 - उद्योग	2852 - Industries	54.42	...	54.42
2885 - उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885 - Other Outlays on Industries and Minerals	127.90	...	127.90
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13 दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunications			
3275 - अन्य संचार सेवाएं	3275 - Other Communication Services	74.30	...	74.30
5275 - अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5275 - Capital Outlay on Other Communication Services	...	12.99	12.99
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
2408 - खाद्य भंडारण और भंडारण	2408 - Food Storage and Warehousing	48.60	...	48.60
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860 - Loans for Consumer Industries	...	13.26	13.26
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
17 संस्कृति मंत्रालय	17 Ministry of Culture			
2205- कला और संस्कृति	2205- Art and Culture	74.24	...	74.24
2552 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	5.22	...	5.22

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
18 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	18 Ministry of Defence (Civil)			
3054 - सड़कें और पुल	3054 - Roads and Bridges	90.00	...	90.00
19 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	19 Defence Services (Revenue)			
2079 - रक्षा सेवाएं - ओडिनेंस फैक्टरी	2079 - Defence Services - Ordnance Factories	154.50	...	154.50
2080 - रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	2080 - Defence Services - Research and Development	144.03	...	144.03
20 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	20 Capital Outlay on Defence Services			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076 - Capital Outlay on Defence Services	...	17,834.63	17,834.63
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
22 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	22 Ministry of Development of North Eastern Region			
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	81.44	...	81.44
भू-विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
23 भू-विज्ञान मंत्रालय	23 Ministry of Earth Sciences			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425 - Other Scientific Research	3.53	...	3.53
5455 - मौसम विज्ञान पर पूंजी परिव्यय	5455 - Capital Outlay on Meteorology	...	9.83	9.83
शिक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION			
24 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	24 Department of School Education and Literacy			
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	59.29	...	59.29
25 उच्च शिक्षा विभाग	25 Department of Higher Education			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	484.71	...	484.71
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	779.55	...	779.55
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	61.49	...	61.49
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
26 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26 Ministry of Electronics and Information Technology			
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	25.00	...	25.00
2852-उद्योग	2852-Industries	100.00	...	100.00
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	680.00	...	680.00
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	21.73	...	21.73
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	30.32	...	30.32
2047 - अन्य वित्तीय सेवाएं	2047 - Other Fiscal Services	0.01	...	0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	0.04	...	0.04
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605 - Technical and Economic Co-operation with Other Countries	50.13	...	50.13
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466 - Investments in International Financial Institutions	...	70.00	70.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
31 वित्तीय सेवा विभाग	31 Department of Financial Services			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	50.00	...	50.00
34 प्रत्यक्ष कर	34 Direct Taxes			
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	8.00	8.00
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	55.00	55.00
35 अप्रत्यक्ष कर	35 Indirect Taxes			
2037 - सीमा शुल्क	2037 - Customs	1,159.06	...	1,159.06
40 राज्यों को अंतरण	40 Transfers to States			
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	1,165.00	...	1,165.00
7602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	7602 - Loans and Advances to Union Territory Governments	...	11,134.45	11,134.45
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
41 मत्स्य पालन विभाग	41 Department of Fisheries			
2405 - मात्स्यिकी	2405 - Fisheries	0.90	...	0.90
2552 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	19.00	...	19.00
42 पशुपालन और डेयरी विभाग	42 Department of Animal Husbandry and Dairying			
2403 - पशुपालन	2403 - Animal Husbandry	166.79	...	166.79
2404 - डेयरी विकास	2404 - Dairy Development	148.20	...	148.20
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
43 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	43 Ministry of Food Processing Industries			
2408 - खाद्य भंडारण और भंडारगृह	2408 - Food Storage and Warehousing	148.85	...	148.85
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	26.00	...	26.00
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
44 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	44 Department of Health and Family Welfare			
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071 - Pensions and other Retirement Benefits	450.00	...	450.00
2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	4,688.11	...	4,688.11
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	10.95	...	10.95
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	1,525.67	...	1,525.67
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	3,773.55	...	3,773.55
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	87.98	...	87.98
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
46 भारी उद्योग विभाग	46 Department of Heavy Industry			
2852 - उद्योग (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹200 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित)।	2852 - Industries (including recoupment of an advance of ₹200 crore sanctioned from Contingency Fund of India).	256.65	...	256.65
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
50 पुलिस	50 Police			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	182.51	182.51
51 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	51 Andaman and Nicobar Islands			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	0.49	...	0.49
2401 - फसल पालन	2401 - Crop Husbandry	0.04	...	0.04

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	2435 - Other Agricultural Programmes	0.76	...	0.76
2702 - लघु सिंचाई	2702 - Minor Irrigation	0.28	...	0.28
3051 - बंदरगाह और लाइट हाउस	3051 - Ports and Light Houses	0.23	...	0.23
3225 - दूरसंचार सेवाएं	3225 - Telecommunication Services	675.41	...	675.41
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055 - Capital Outlay on Police	...	3.20	3.20
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	...	3.05	3.05
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	...	1.79	1.79
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.30	0.30
4210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	...	3.71	3.71
4215 - जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	4215 - Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	...	11.00	11.00
4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4225 - Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.05	0.05
4235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4235 - Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	1.34	1.34
4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250 - Capital Outlay on other Social Services	...	2.50	2.50
4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4405 - Capital Outlay on Fisheries	...	0.10	0.10
4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	1.09	1.09
4515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	4515 - Capital Outlay on Other Rural Development Programme	...	0.50	0.50
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801 - Capital Outlay on Power Projects	...	17.06	17.06
4851 - ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4851 - Capital Outlay on Village and Small Industries	...	0.07	0.07
5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	...	2.00	2.00
5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	5055 - Capital Outlay on Road Transport	...	2.00	2.00
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.04	0.04
52 चंडीगढ़	52 Chandigarh			
2014 - न्याय प्रशासन	2014 - Administration of Justice	0.29	...	0.29
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070 - Other Administrative Services	0.03	...	0.03
2204 - खेल और युवा सेवाएं	2204 - Sports and Youth Services	5.15	...	5.15
2205 - कला और संस्कृति	2205 - Art and Culture	1.51	...	1.51
2210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	2210 - Medical and Public Health	6.00	...	6.00
2217 - शहरी विकास	2217 - Urban Development	30.00	...	30.00
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	0.50	...	0.50
2408 - खाद्य भंडारण और भंडारगृह	2408 - Food Storage and Warehousing	0.26	...	0.26
3055 - सड़क परिवहन	3055 - Road Transport	1.50	...	1.50
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055 - Capital Outlay on Police	...	31.01	31.01
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.13	0.13
4210 - चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	...	3.18	3.18
4235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4235 - Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	0.50	0.50
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4403 - Capital Outlay on Animal Husbandry	...	0.11	0.11

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परियोजना	4406 - Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.30	0.30
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परियोजना	5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.15	0.15
53 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	53 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	202.84	...	202.84
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
59 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	59 Ministry of Housing and Urban Affairs			
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475 - Other General Economic Services	160.50	...	160.50
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परियोजना	4059 - Capital Outlay on Public Works	...	21.00	21.00
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
61 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	61 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	154.84	...	154.84
2700 - प्रमुख सिंचाई	2700 - Major Irrigation	4,793.55	...	4793.55
2701 - प्रमुख और मध्यम सिंचाई	2701 - Major and Medium Irrigation	0.70	...	0.70
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	200.00	...	200.00
4701 - प्रमुख और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना	4701 - Capital Outlay on Major and Medium Irrigation	...	4.50	4.50
4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परियोजना	4702 - Capital Outlay on Minor Irrigation	...	0.03	0.03
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
64 विधि और न्याय	64 Law and Justice			
2052 - सचिवालय - सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat - General Services	6.08	...	6.08
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
67 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	54.47	...	54.47
2851-ग्रामीण और लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	494.57	...	494.57
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
70 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	70 Ministry of New and Renewable Energy			
2810 - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810 - New and Renewable Energy	107.73	...	107.73
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
71 पंचायती राज मंत्रालय	71 Ministry of Panchayati Raj			
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515 - Other Rural Development Programme	4.78	...	4.78
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
2055-पुलिस	2055-Police	0.07	...	0.07
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	4.28	...	4.28
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परियोजना	4055 - Capital Outlay on Police	...	2.00	2.00
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परियोजना	4059 - Capital Outlay on Public Works	...	20.00	20.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 2802 - पेट्रोलियम	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas 2802 - Petroleum	356.55	...	356.55
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
76 योजना मंत्रालय 3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	76 Ministry of Planning 3475 - Other General Economic Services	4.57	...	4.57
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
77 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 2852 - उद्योग 3051 - पत्तन और लाइट हाउस	77 Ministry of Ports, Shipping and Waterways 2852 - Industries 3051 - Ports and Light Houses	3.94 137.61		3.94 137.61
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति के सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
80 लोक सभा 2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	80 Lok Sabha 2011 - Parliament/State/Union Territory Legislatures	1.51	...	1.51
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
84 रेल मंत्रालय 3075 - अन्य परिवहन सेवाएं	84 Ministry of Railways 3075 - Other Transport Services	1.48	...	1.48
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 3055 - सड़क परिवहन	85 Ministry of Road Transport and Highways 3055 - Road Transport	30.00	...	30.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
86 ग्रामीण विकास विभाग 3054 - सड़कें और पुल	86 Department of Rural Development 3054 - Roads and Bridges	0.58	...	0.58
87 भूमि संसाधन विभाग 2506 - भूमि सुधार	87 Department of Land Resources 2506 - Land Reforms	3.40	...	3.40
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
88 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	88 Department of Science and Technology 3425 - Other Scientific Research	100.50	...	100.50
89 जैव प्रौद्योगिकी विभाग 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र 3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	89 Department of Biotechnology 2552 - North Eastern Areas 3425 - Other Scientific Research	7.28 75.34		7.28 75.34
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
91 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 2230 - श्रम रोजगार और कौशल विकास 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	91 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 2230 - Labour Employment and Skill Development 2552 - North Eastern Areas	312.85 15.14		312.85 15.14

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
92 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	92 Department of Social Justice And Empowerment			
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225 - Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	10.00	...	10.00
93 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	93 Department of Empowerment of Persons with Disabilities			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	31.00	...	31.00
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
94 अंतरिक्ष विभाग	94 Department of Space			
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	3402 - Space Research	4.50	...	4.50
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5402 - Capital Outlay of Space Research	...	181.00	181.00
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
96 इस्पात मंत्रालय	96 Ministry of Steel			
2852 - उद्योग	2852 - Industries	1.32	...	1.32
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
97 वस्त्र मंत्रालय	97 Ministry of Textiles			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	6.00	...	6.00
2851 - ग्राम और लघु उद्योग	2851 - Village and Small Industries	17.75	...	17.75
2852 - उद्योग	2852 - Industries	0.50	...	0.50
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
98 पर्यटन मंत्रालय	98 Ministry of Tourism			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	11.00	...	11.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
99 जनजातीय कार्य मंत्रालय	99 Ministry of Tribal Affairs			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	0.43	...	0.43
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
100 महिला और बाल विकास मंत्रालय	100 Ministry of Women and Child Development			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	2.77	...	2.77
कुल सांकेतिक	Total Token	1.04	0.39	1.43
5. अनुदान के लिए पूरक मांगों में कुल ₹508,40,00,000 शामिल है, जिन्हें भारत के आकस्मिकता निधि में अग्रिमों में वापस किया जाना है, जिसमें से 2 विभागों/मंत्रालयों द्वारा आहरित किया गया था।				
5. The Supplementary Demands for Grants includes a total of ₹508,40,00,000 to be recouped to Contingency Fund of India advance from which were drawn by 2 Departments/Ministries.				
कुल जोड़	GRAND TOTAL	1,14,889.73	43,466.37	1,58,356.10
निवल नकद परिव्यय	Net Cash Outgo	95,752.98	11,655.17	1,07,408.15
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	19,135.71	31,810.81	50,946.52
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	1.04	0.39	1.43

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि एवं कृषक		MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE					
कल्याण मंत्रालय							
1. कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	Voted	0.03	...	0.03	1
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.02	...	0.02	2
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted	0.01	1346.98	1346.99	3
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
4. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	4. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.01	...	0.01	4
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS					
5. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	स्वीकृत	5. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	0.01	...	0.01	5
6. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6. Department of Fertilizers	Voted	15265.15	...	15265.15	6
7. भेषज विभाग	स्वीकृत	7. Department of Pharmaceuticals	Voted	113.70	...	113.70	7
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	329.49	329.50	8
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
9. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Coal	Voted	109.22	...	109.22	9
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	भारित स्वीकृत	10. Department of Commerce	Charged Voted	0.10 266.07	...	0.10 266.07	10
11. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	11. Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Voted	0.03	...	0.03	11
संचार मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
12. डाक विभाग	स्वीकृत	12. Department of Posts	Voted	...	22.24	22.24	12
13. दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	13. Department of Telecommunications	Voted	0.01	0.01	0.02	13
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	15. Department of Food and Public Distribution	Voted	0.01	0.01	0.02	14
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
17. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Culture	Voted	0.02	...	0.02	15
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
18. रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	स्वीकृत	18. Ministry of Defence (Civil)	Voted	468.97	1774.63	2243.60	16-17
19. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	भारित स्वीकृत	19. Defence Services (Revenue)	Charged Voted	10.22 1659.96	...	10.22 1659.96	18-19
20. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	20. Capital Outlay on Defence Services	Charged Voted	... 0.01	76.22	76.22	20
21. रक्षा पेंशन	स्वीकृत	21. Defence Pensions	Voted	1028.50	...	1028.50	21

		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION				
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	22. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.01	29.67	22
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES				
23. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	23. Ministry of Earth Sciences	Voted	7.01	0.01	23
शिक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION				
24. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	24. Department of School Education and Literacy	Voted	0.01	...	24
25. उच्चतर शिक्षा विभाग	25. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	25-26
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY				
26. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	0.03	...	27
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE				
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	0.01	...	28
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE				
29. आर्थिक कार्य विभाग	29. Department of Economic Affairs	Voted	1069.86	0.01	29-30
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	31. Department of Financial Services	Voted	7623.91	26317.97	31-32
33. राजस्व विभाग	33. Department of Revenue	Voted	8294.11	...	33
34. प्रत्यक्ष कर	34. Direct Taxes	Voted	26.55	0.02	34
35. अप्रत्यक्ष कर	35. Indirect Taxes	Voted	0.01	...	35
36. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	36. Indian Audit and Accounts Department	Voted	...	30.00	36
39. पेंशन	39. Pensions	Voted	7132.00	...	37
40. राज्यों को अंतरण	40. Transfers to States	Charged	...	100.00	38-39
		Voted	8838.21	5000.01	13838.22
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING				
41. मत्स्य पालन विभाग	41. Department of Fisheries	Voted	197.40	...	40
42. पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	42. Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	10.02	...	41
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES				
43. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	43. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.02	...	42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE				
44. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	44. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.06	500.00	43-46
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES				
46. भारी उद्योग मंत्रालय	46. Department of Heavy Industry	Voted	0.01	...	47
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS				
50. पुलिस	50. Police	Voted	1480.00	0.01	48-49
51. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	51. Andaman and Nicobar Islands	Voted	154.14	0.17	50-52
52. चंडीगढ़	52. Chandigarh	Voted	0.09	0.07	53-54
53. दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप	53. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	Voted	0.01	...	55
54. लद्दाख	54. Ladakh	Voted	1265.65	...	56
56. दिल्ली को अंतरण	56. Transfers to Delhi	Voted	72.50	...	57
57. जम्मू कश्मीर को अंतरण	57. Transfers to Jammu and Kashmir	Voted	3989.18	...	58
58. पुडुचेरी को अंतरण	58. Transfers to Puducherry	Voted	150.00	...	59

		(₹ करोड़ in ₹ crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS					
59. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Housing and Urban Affairs	Voted	30232.70	82.47	30315.17	60-61
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI					
61. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	स्वीकृत	61. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.04	0.02	0.06	62-63
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
63. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	63. Ministry of Labour and Employment	Voted	10260.62	...	10260.62	64
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
64. विधि और न्याय	स्वीकृत	64. Law and Justice	Voted	0.01	...	0.01	65
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
67. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02	66
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
68. खान मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Mines	Voted	2786.57	...	2786.57	67
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY					
70. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	2500.00	2500.01	68
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
71. पंचायती राज मंत्रालय	स्वीकृत	71. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.01	...	0.01	69
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
73. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.02	0.02	0.04	70
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
75. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	0.01	...	0.01	71
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
76. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	76. Ministry of Planning	Voted	0.01	...	0.01	72
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS					
77. पत्तन, पोत परिवहन एवं मंत्रालय	जलमार्ग स्वीकृत	77. Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Voted	0.02	402.35	402.37	73
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
78. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	78. Ministry of Power	Voted	2296.04	1277.54	3573.58	74
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT					
80. लोक सभा	स्वीकृत	80. Lok Sabha	Voted	0.01	...	0.01	75
83. संघ लोक सेवा आयोग	भारित	83. Union Public Service Commission	Charged	3.01	...	3.01	76
रेल मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS					
84. रेल मंत्रालय	भारित स्वीकृत	84. Ministry of Railways	Charged Voted	2.50 0.01	606.92 1415.51	609.42 1415.52	77-78
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
85. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	85. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	396.55	1629.00	2025.55	79-80

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
86.	ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	86. Department of Rural Development	Voted	9668.01	...	9668.01 81
87.	भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	87. Department of Land Resources	Voted	0.01	...	0.01 82
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
88.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	88. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01 83
89.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	89. Department of Biotechnology	Voted	0.02	...	0.02 84
90.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	90. Department of Scientific & Industrial Research	Voted	10.00	...	10.00 85
कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP					
91.	कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.02	25.00	25.02 86
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
92.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	92. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	0.01	...	0.01 87
93.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	स्वीकृत	93. Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted	0.01	...	0.01 88
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
94.	अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	94. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02 89
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
96.	इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	96. Ministry of Steel	Voted	0.01	...	0.01 90
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
97.	वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Textiles	Voted	0.03	...	0.03 91
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
98.	पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01 92
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
99.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	99. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.01	...	0.01 93
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
100.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	100. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.01	...	0.01 94
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
101.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	101. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	0.52	...	0.52 95
कुल जोड़			GRAND TOTAL		114889.73	43466.37	158356.10
		भारित		Charged	15.83	783.14	798.97
		स्वीकृत		Voted	114873.90	42683.23	157557.13 96-97
अनुबंध		ANNEXURE					

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)
(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	122961.57	122961.57
पूंजी	Capital	...	56.00	56.00
जोड़	Total	...	123017.57	123017.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	123017.62	123017.62
राजस्व	Revenue	...	122961.62	122961.62
पूंजी	Capital	...	56.00	56.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01 (क)	0.01
2425-सहकारिता	2425-Co-operation	...	0.01 (ख)	0.01
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ग)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत सामान्य घटक (6504 करोड़ रुपये) और आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टीएसपी) (447 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य-सहायता अनुदान (ii) राष्ट्रीय खादय तेल मिशन-पाम तेल के तहत सामान्य घटक (27 करोड़ रुपये) और अनुसूचित जाति उप-योजना घटक (5 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक के लिए (3 करोड़ रुपये) सामान्य सहायता अनुदान (iii) पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण के तहत पूंजीगत अस्तित्वों के सृजन हेतु अनुदान (20 करोड़ रुपये) के निर्माण के लिए अनुदान (iv) बीज एवं पौध रोपण सामग्री उपमिशन के तहत पूंजीगत अस्तित्वों के सृजन हेतु अनुदान (5.72 करोड़ रुपये) (v) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-एनसीआईपी के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना (2000 करोड़ रुपये) के लिए योगदान (vi) एमआईएस/पीएसएस के कार्यान्वयन के तहत सामान्य घटक (1279 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के तहत सहायता वेतन अनुदान (₹. 23.73 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (i) राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम-कृषि के तहत सामान्य घटक (0.55 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना घटक (0.31 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (ii) जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना घटक (22 करोड़ रुपये) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (iii) प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना घटक (28 करोड़ रुपये) के तहत सामान्य सहायता अनुदान। (iv) राष्ट्रीय खादय तेल मिशन- पाम तेल के तहत सामान्य घटक (45 करोड़ रुपये) और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (4 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना घटक (16 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-Aid General for General Component (₹ 6504 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TASP) Component (₹ 447 crore) under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN). (ii) Grants-in-Aid General for General Component (₹ 27 crore), for Scheduled Castes Sub Plan(SCSP) Component (₹ 5 crore) and for TASP Component (₹ 3 crore) under National Mission on Edible Oils - Oil Palm. (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 20 crore) under Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights. (iv) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5.72 crore) under Sub-Mission on Seeds & Planting Material. (v) Contribution for TASP (₹ 2000 crore) under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna-NCIP. (vi) Grants-in-Aid General for General Component (₹ 1279 crore) under Implementation of MIS/PSS.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-Aid Salaries (₹ 23.73 crore) under National Council for Cooperative Training.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Grants-in-Aid General for General Component (₹ 0.55 crore) and for TASP Component (₹ 0.31 crore) under National E-Governance Programme- Agriculture. (ii) Grants-in-Aid General for TASP Component (₹ 22 crore) under Organic Value Chain Development. (iii) Grants-in-Aid General for TASP Component (₹ 28 crore) under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN). (iv) Grants-in-Aid General for General Component (₹ 45 crore), for SCSP Component (₹ 4 crore) and for TASP Component (₹ 16 crore) under National Mission on Edible Oils - Oil Palm.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8513.62	8513.62
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	8513.62	8513.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8513.64	8513.64
राजस्व	Revenue	...	8513.64	8513.64
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) कृषि बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन में सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित आई.सी.ए.आर मुख्यालय को वेतन सहायता अनुदान (208.29 करोड़ रुपये) और सामान्य सहायता अनुदान (74.17 करोड़ रुपये) (ii) अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह के लिए भारत की सदस्यता योगदान (0.30 करोड़ रुपये)। (iii) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड (2 करोड़ रुपये) और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार के लिए वेतन सहायता अनुदान (37 करोड़ रुपये)। (iv) कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड को पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (8 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल को वेतन सहायता अनुदान (53 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants-in-Aid Salaries (₹ 208.29 crore) and Grants-in-Aid General (₹ 74.17 crore) to I.C.A.R. Headquarter including Directorate of Information and Publication in Agriculture Intellectual Property Rights Management. (ii) Contribution to India's Membership to Consultative Group on International Agricultural Research (₹ 0.30 crore). (iii) Grants-in-Aid Salaries to Central Agricultural University, Bundelkhand (₹ 2 crore) and for Central Agricultural University, Bihar (₹ 37 crore). (iv) Grants for creation of Capital Assets to Agricultural Scientists Recruitment Board (₹ 8 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants-in-Aid Salaries to Central Agricultural University, Imphal (₹ 53 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 2 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	16391.20	16392.20
पूंजी	Capital	...	11403.20	11403.20
जोड़	Total	1.00	27794.40	27795.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	3957.57	3957.57
जोड़	Total	...	3957.58	3957.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	1346.98	1346.98
जोड़	Total	...	1346.99	1346.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	33098.97	33099.97
राजस्व	Revenue	1.00	16391.22	16392.22
पूंजी	Capital	...	16707.75	16707.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	222.00 (खब)	222.00
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research	...	650.18 (गं)	650.18
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	...	474.80 (घ)	474.80
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1346.98	1346.98
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1346.99	1346.99

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)	परमाणु अनुसंधान के लिए वेतन सहायता अनुदान (26.61 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (214.50 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)	meeting additional expenditure towards Grants-in-aid Salaries (₹ 26.61 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 214.50 crore) for Atomic Research. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) एफआरएफसीएफ (100 करोड़ रुपये), परमाणु ईंधन निर्माण (72 करोड़ रुपये), भारी जल परियोजनाओं में सुधार/संशोधन (40 करोड़ रुपये) और विकिरण और आइसोटोप उत्पादन (बीआरआईटी) (10 करोड़ रुपये) और (ii) विभाग के आई एंड एम अनुभाग के लिए प्रमुख कार्य (₹ 77.63 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 222 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।	(b)	meeting additional expenditure towards (i) FRFCF (₹ 100 crore), Nuclear Fuel Fabrication (₹ 72 crore), Improvement/modification of Heavy Water Projects (₹ 40 crore) and Radiation and Isotope Production (BRIT) (₹ 10 crore) and (ii) Major Works for I&M Section of the Department (₹ 77.63 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 222 crore.
(ग)	निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) आईटीईआर परियोजना (300 करोड़ रुपये), बीएआरसी की आर एंड डी परियोजना (150 करोड़ रुपये), डीसीएसईएम की आवास परियोजनाओं (160 करोड़ रुपये), स्वायत्त निकायों (40.18 करोड़ रुपये) और (ii) विभाग के अनुसंधान एवं विकास अनुभाग के लिए प्रमुख कार्य (2.27 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 650.18 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।	(c)	meeting additional expenditure towards (i) ITER Project (₹ 300 crore), R&D Project of BARC (₹ 150 crore), Housing Projects of DCSEM (₹ 160 crore), Autonomous Bodies (₹ 40.18 crore) and (ii) Major Works to R&D Section of the Department (₹ 2.27 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 650.18 crore.
(घ)	परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ऋण और अग्रिम के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1809.43 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध 405 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय (69.80 करोड़ रुपये) होगा।	(d)	meeting additional expenditure towards Loans and Advances for Nuclear Power Generation (₹ 1809.43 crore). Taking into account the savings of ₹ 405 crore available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo (₹ 69.80 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2970.30	2970.30
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2970.30	2970.30
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2970.35	2970.35
राजस्व	Revenue	...	2970.35	2970.35
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(1) आयुर्ज्ञान आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1 करोड़ रु.) (2) केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (7.6 करोड़ रु.)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(1) Grant in aid General under the scheme AYURGYAN – Capacity Building & Continuing Medical Education in Ayush (₹ 1 crore) and (2) Grant in Aid Salary under the scheme Central Council for Research in Ayurveda Sciences (₹ 7.6 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 5

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	229.64	229.64
पूंजी	Capital	...	3.50	3.50
जोड़	Total	...	233.14	233.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	233.15	233.15
राजस्व	Revenue	...	229.65	229.65
पूंजी	Capital	...	3.50	3.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

रसायन प्रोत्साहन और विकास योजना (सीपीडीएस) को (सामान्य) सहायता अनुदान के तहत रासायनिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों, के व्यय को पूरा करना (0.60 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure for National Awards in Chemical sector, under Grants-in-aid (General) of Scheme Chemicals Promotions and Development Scheme (CPDS) (₹ 0.60 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 4 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	83596.77	83596.77
पूंजी	Capital	...	444.62	444.62
जोड़	Total	...	84041.39	84041.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	58430.01	58430.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	58430.01	58430.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	15265.15	15265.15
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	15265.15	15265.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	157736.55	157736.55
राजस्व	Revenue	...	157291.93	157291.93
पूंजी	Capital	...	444.62	444.62
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01	(का) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	15265.14	(खब) 15265.14
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	15265.15	15265.15

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सिटी कम्पोस्ट के लिए भुगतान (10 करोड़ रु.)
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) स्वदेशी यूरिया सब्सिडी के लिए भुगतान (8270.36 करोड़ रुपये) और (ii) यूरिया के आयात के लिए भुगतान (14,000 करोड़ रुपये)।
खाते में अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध 363.02 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी खंड के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय पर 14902.12 करोड़ रुपये का नकद खर्च होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Payment for City Compost (₹ 10 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Subsidy payment for (i) Indigenous Urea (₹ 8270.36 crore) and (ii) Import of Urea (₹ 14000 crore).
Taking into account the surrender of savings of ₹ 363.02 crore available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 14902.12 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 5 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	461.29	461.29
पूंजी	Capital	...	9.12	9.12
जोड़	Total	...	470.41	470.41
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1183.21	1183.21
पूंजी	Capital	...	139.00	139.00
जोड़	Total	...	1322.21	1322.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	113.70	113.70
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	113.70	113.70
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1906.32	1906.32
राजस्व	Revenue	...	1758.20	1758.20
पूंजी	Capital	...	148.12	148.12
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	24.25	(का) 24.25
2852-उद्योग	2852-Industries	...	89.45	(खब) 89.45
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	113.70	113.70

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (जीआईए) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीआईआर) (₹ 20.75 करोड़) और (ii) सामान्य सहायता अनुदान के तहत जन औषधि योजना (3.85 करोड़ रुपये)।
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए 24.25 करोड़ ₹. का नकद परिव्यय होगा।
- (ख) (i) जीआईए-जनरल (₹ 77.02 करोड़) के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क (पूर्व में सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता), (ii) सामान्य सहायता वेतन अनुदान और जीआईए के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीआईआर) को बढ़ावा देना (16.91 करोड़ रुपये) और (iii) व्यावसायिक सेवाओं के तहत चिकित्सा उपकरण के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (₹ 0.95 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए नकद परिव्यय (89.45 करोड़ रुपये) होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) National Institutes of Pharmaceutical Education and Research(NIPER) under Grants-in-aid(GIA)-General and Grants for creation of Capital Assets (₹ 20.75 crore) and (ii) Jan Aushadhi Scheme under GIA-General(₹ 3.85 crore).
Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 24.25 crore.
- (b) (i) Promotion of Medical Device Parks (erstwhile Assistance to Medical Device Industry for Common Facilitation Center) under GIA-General (₹ 77.02 crore), (ii) National Institutes of Pharmaceuticals Education and Research(NIPER) under GIA-General and GIA-Salaries(₹ 16.91 crore) and (iii) Production Linked Incentive(PLI) Scheme for Domestic Manufacturing of Medical Device under Professional Services(₹ 0.95 crore).
Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo(₹ 89.45 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 6 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3184.15	3184.15
पूंजी	Capital	...	40.52	40.52
जोड़	Total	...	3224.67	3224.67
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2313.29	2313.29
पूंजी	Capital	...	66557.00	66557.00
जोड़	Total	...	68870.29	68870.29
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	329.49	329.49
जोड़	Total	...	329.50	329.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	72424.46	72424.46
राजस्व	Revenue	...	5497.45	5497.45
पूंजी	Capital	...	66927.01	66927.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	329.49 (खब)	329.49
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	329.50	329.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) के तहत वेतन सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपये) और सामान्य सहायता अनुदान (4 करोड़ रुपये)। (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (क) क्षेत्रीय संयोजकता योजना (आरसीएस) (370 करोड़ रुपये), (ख) एयर इंडिया इंजीनियर सर्विस लिमिटेड (एआईईएसएल) (1.37 करोड़ रुपये), (ग) हवाईअड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) (8 करोड़ रुपये), (घ) होलॉंगी हवाई अड्डे के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) (83.51 करोड़ रुपये) और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए (93.31 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए एआईएचएल के तहत निवेश (308.40 रुपये)। (ii) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के तहत प्रमुख कार्य (9.09 करोड़ रुपये) तथा मशीनरी और उपकरण (12.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-Aid Salaries (₹ 2 crore) and Grants-in-Aid General (₹ 4 crore) under Airport Economic Regulatory Authority (AERA). (ii) Grants for creation of Capital Assets for (a) Regional Connectivity Scheme(RCS) (₹ 370 crore), (b) Air India Engineer Service Ltd.(AIESL)(₹ 1.37 crore), (c) Airport Economic Regulatory Authority (AERA) (₹ 8 crore), (d) Airport Authority of India (AAI) for Hollongi Airport(₹ 83.51 crore) and for other crucial areas(₹ 93.31 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token Supplementary is sought.
- (b) (i) Investment (₹ 308.40) under AIAHL for recoupment of Advance from Contingency Fund of India. (ii) Major works(₹ 9.09 crore) and Machinery & Equipment (₹ 12.00 crore) under Directorate General of Civil Aviation(DGCA). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grants, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)
(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	534.88	534.88
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	534.88	534.88
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	109.22	109.22
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	109.22	109.22
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	644.11	644.11
राजस्व	Revenue	...	644.11	644.11
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(का) 0.01
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	...	109.21	(खb) 109.21
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	109.22	109.22

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण' के अंतर्गत 'विस्तृत ड्रिलिंग' के लिए सामान्य सहायता अनुदान (15 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) (i) कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण के अंतर्गत विस्तृत ड्रिलिंग के लिए 135 करोड़ रुपये की राशि का सामान्य सहायता अनुदान (अनुसूचित जाति घटक के लिए 12.45 करोड़ रुपये और जनजातीय उप योजना घटक के लिए 12.90 करोड़ रुपये और (ii) कोयला नियंत्रक संगठन के किराए, दरों और करों के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों (0.75 करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए। अनुदान के एक ही भाग में उपलब्ध 26.59 करोड़ रुपये की बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए 109.21 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) grants-in-aid general (₹ 15 crore) for 'Detailed Drilling' under 'Exploration of Coal and Lignite'. Taking into account the savings available in same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) grants-in-aid general amounting to ₹ 135.05 crore (₹ 12.45 crore for Scheduled Castes component and ₹ 12.90 crore for Tribal Sub Plan component) for 'Detailed Drilling' under 'Exploration of Coal and Lignite'; and (ii) meeting committed liabilities of ₹ 0.75 crore towards Rent, Rates and Taxes of Coal Controller Organisation. Taking into account the savings of ₹ 26.59 crore available in same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 109.21 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4699.01	4699.01
पूंजी	Capital	...	287.00	287.00
जोड़	Total	...	4986.01	4986.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.25	1854.98	1856.23
पूंजी	Capital	...	580.01	580.01
जोड़	Total	1.25	2434.99	2436.24
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.10	266.07	266.17
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	0.10	266.07	266.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.35	7687.07	7688.42
राजस्व	Revenue	1.35	6820.06	6821.41
पूंजी	Capital	...	867.01	867.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	0.10 (का)	...	0.10
2407-पौधरोपण	2407-Plantations	...	0.01 (खब)	0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	266.06 (गक)	266.06
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.10	266.07	266.17

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सचिवालय के तहत अन्य शुल्क (0.10 करोड़ रुपये)। अनुदान के सम्मतिअनुभाग में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) 'टी बोर्ड' योजना के तहत अनुदान सहायता वेतन (8.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (i) 'ब्याज समानता योजना' योजना के तहत सब्सिडी (250.00 करोड़ रुपये), (ii) 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)' योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के लिए (16.06 करोड़ रुपये), (iii) 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10.20 करोड़ रुपये) और (iv) 'विदेश व्यापार महानिदेशालय' के तहत अन्य प्रशासनिक व्यय (3.99 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय (266.06 करोड़ रुपये) होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) Other Charges (₹ 0.10 crore) under Secretariat. Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) Grants-in-aid Salary (₹ 8.00 crore) under the scheme 'Tea Board'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Subsidies (₹ 250.00 crore) under the Scheme 'Interest Equalisation Scheme', (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 16.06 crore) under the Scheme 'Marine Product Export Development Authority (MPEDA)', (iii) Grants-in-aid General (₹ 10.20 crore) under the scheme 'International Cooperation' and (iv) Other Administrative Expense (₹ 3.99 crore) under 'Director General of Foreign Trade'. Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo (₹ 266.06 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)
(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6570.66	6570.66
पूंजी	Capital	...	1211.58	1211.58
जोड़	Total	...	7782.24	7782.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	125.76	125.76
पूंजी	Capital	...	474.00	474.00
जोड़	Total	...	599.76	599.76
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8382.03	8382.03
राजस्व	Revenue	...	6696.45	6696.45
पूंजी	Capital	...	1685.58	1685.58

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (क)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (ख)	0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	0.01 (ग)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी) योजना के अंतर्गत सब्सिडियां (30.00 करोड़ रुपये)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है
- (ख) (i) 'भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम आईएलडीपी' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों (45.94 करोड़ रुपये) और व्यावसायिक सेवाएं (4.98 करोड़ रुपये) के सृजन हेतु अनुदान और (ii) 'स्वायत्त संस्थानों को सहायता' योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (3.50 करोड़ रु.)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है
- (ग) (i) 'हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हेतु औद्योगिक विकास योजना 2017' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (31.90 करोड़ रु.) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी योजना के अंतर्गत सब्सिडी (96.00 करोड़ रु.)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

The supplementary Grants are required for:

- (a) Subsidies (₹ 30.00 crore) under the scheme 'North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy (NEIPP)'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grant for Creation of Capital Assets (₹ 45.94 crore) and Professional Services (₹ 4.98 crore) under the Scheme 'Indian Leather Development Programme (ILDP)' and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 3.50 crore) under the Scheme 'Support to Autonomous Institutions'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Subsidies (₹ 31.90 crore) under the Scheme 'Industrial Development Scheme for Himachal Pradesh & Uttarakhand, 2017' and (ii) Subsidies (₹ 96.00 crore) under the Scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 12

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)
(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.80	34262.38	34263.18
पूंजी	Capital	...	910.09	910.09
जोड़	Total	0.80	35172.47	35173.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	22.24	22.24
जोड़	Total	...	22.24	22.24
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.80	35194.72	35195.52
राजस्व	Revenue	0.80	34262.39	34263.19
पूंजी	Capital	...	932.33	932.33
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	6.81	(का) 6.81
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services	...	15.43	(खb) 15.43
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	22.24	22.24

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और परियोजना प्रबंधन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (6.81 करोड़ रुपये)।
उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;
- (ख) अतिरिक्त व्यय (i) प्रौद्योगिकी और परियोजना प्रबंधन पर (12.43 करोड़ रुपये) और (ii) नए मेल मोटर सर्विसेज (एमएमएस) वाहन (3 करोड़ रुपये) की खरीद के लिए।
उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure on technology and project management in North Eastern areas (₹ 6.81 crore).
The above expenditure will entail cash outgo;
- (b) meeting additional expenditure (i) on technology and project management (₹ 12.43 crore) and (ii) for purchase new Mail Motor Services (MMS) vehicles (₹ 3 crore).
The above expenditure will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	41803.44	41803.44
पूंजी	...	31133.56	31133.56
जोड़	...	72937.00	72937.00
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	41803.44	41803.44
Capital	...	31133.56	31133.56
Total	...	72937.00	72937.00
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	...	...
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	...	...
SUPPLEMENTARY GRANT:			
Revenue	...	...	...
Capital	...	...	...
Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.01	0.01
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	...	72937.02	72937.02
राजस्व	...	41803.45	41803.45
पूंजी	...	31133.57	31133.57
Total (Original plus Supplementary)	...	72937.02	72937.02
Revenue	...	41803.45	41803.45
Capital	...	31133.57	31133.57

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
3275-अन्य संचार सेवाएं	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	...	0.02	0.02
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
3275-Other Communication Services	...	0.01	0.01
CAPITAL SECTION			
MAJOR HEAD			
5275-Capital Outlay on Other Communication Services	...	0.01	0.01
Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वेतन के भुगतान के लिए अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 49.77 करोड़) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) को 4 जी और 5 जी कार्यक्रम में लक्ष्य /उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान (₹ 24.53 करोड़);
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) कार्यालय भवन के निर्माण (₹ 2.93 करोड़), मोटर वाहनों की खरीद (₹ 2.90 करोड़), नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क के लिए वायरलेस सेट और उपकरणों की खरीद (₹ 0.41 करोड़), विशिष्ट अवशोषण दर लैब के लिए उपकरण (₹ 0.54 करोड़), नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क कंट्रोल लैब्स के लिए मशीनरी (₹ 3.21 करोड़) और भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण के भवन के मुख्य निर्माण कार्य (₹ 3 करोड़) के कार्यालय भवन के निर्माण के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) providing additional Grants-in-aid-Salary (₹ 49.77 crore) for payment of salary and additional Grants-in-aid General (₹ 24.53 crore) for achieving the target/milestone in 4G & 5G program to Centre for Development of Telematics (C-DoT);
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure on construction of office building (₹ 2.93 crore), purchase of motor vehicles (₹ 2.90 crore), purchase of wireless sets and equipments for Next Generation Network (₹ 0.41 crore), equipments for Specific Absorption Rate Lab (₹ 0.54 crore), machinery for Next Generation Network Control Labs (₹ 3.21 crore) and construction of office building for Telecom Regulator Authority of India Building Major Works (₹ 3 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 12 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	251248.34	251248.34
पूंजी	Capital	...	52725.96	52725.96
जोड़	Total	...	303974.30	303974.30
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	50905.26	50905.26
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	50905.26	50905.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	354879.58	354879.58
राजस्व	Revenue	...	302153.61	302153.61
पूंजी	Capital	...	52725.97	52725.97
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) अंतर-राज्य अभियान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के तहत अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) (8.30 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएसपी) (4.30 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान, एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों और एफपीएस डीलर के लाभ के लिए प्रबंधन। (ii) चीनी के बफर स्टॉक के सृजन और रखरखाव योजना के तहत सब्सिडी (36.00 करोड़ रुपये)।
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) अल्कोहल से निर्जल अल्कोहल या इथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी कारखानों के तहत ऋण और अग्रिम (13.26 करोड़ रुपये)।
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General for Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) (₹ 8.30 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TASP)(₹ 4.30 crore) under Central assistance to States/UTs on intra-state movement, handling of foodgrains and FPS dealers' margin under NFSA. (ii) Subsidies under the Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of Sugar(₹ 36.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Loans and Advances under Sugar Factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol (₹ 13.26 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 14 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2609.23	2609.23
पूंजी	Capital	...	78.76	78.76
जोड़	Total	...	2687.99	2687.99
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2688.05	2688.05
राजस्व	Revenue	...	2609.27	2609.27
पूंजी	Capital	...	78.78	78.78
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (1) (i) कला संस्कृति विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2.39 करोड़ रुपये) (ii) अकादमियों के समर्थन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपये) (iii) पुस्तकालयों के समर्थन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (0.42 करोड़ रुपये) (iv) संग्रहालयों के समर्थन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (2.5 करोड़ रुपये) और (v) अनुदानग्राही निकायों के समर्थन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (4.82 करोड़ रुपये) और (2) (i) पूंजीगत आस्तियों संग्रहालयों के विकास के निर्माण के लिए अनुदान (56.07 करोड़ रुपये) (ii) बोटीआई और स्मारकों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (1.1 करोड़ रुपये) और (iii) अकादमियों के समर्थन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (4.94 करोड़ रुपये)
- अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) एनईआर घटक के रूप में कला विकास योजना स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (5.22 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (1) Grants-in-aid General for (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 2.39 crore) (ii) Support to Academies (₹ 2 crore) (iii) Support to Libraries (₹ 0.42 crore) (iv) Support to Museums (₹ 2.5 crore) and (v) Grantee Bodies (₹ 4.82 crore) and (2) Grants for creation of Capital Assets for (i) Development of Museums (₹ 56.07 crore) (ii) BTI & Memorials (₹ 1.10 crore) and (iii) Support to Akademies (₹ 4.94 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid General under the scheme Kala Vikas Yojana (₹ 5.22 crore) as NER component.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

रक्षा मंत्रालय (सिविल)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18-19 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 18-19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 15 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.70	30088.23	30088.93
पूंजी	Capital	50.00	7698.41	7748.41
जोड़	Total	50.70	37786.64	37837.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.52	...	1.52
पूंजी	Capital	...	1000.00	1000.00
जोड़	Total	1.52	1000.00	1001.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	468.97	468.97
पूंजी	Capital	...	1774.63	1774.63
जोड़	Total	...	2243.60	2243.60
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	52.22	41030.24	41082.46
राजस्व	Revenue	2.22	30557.20	30559.42
पूंजी	Capital	50.00	10473.04	10523.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	119.51	(कa) 119.51
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	202.53	(खb) 202.53
2055-पुलिस	2055-Police	...	146.92	(गc) 146.92
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01	(घd) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	468.97	468.97
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	586.46	(ङe) 586.46
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	127.06	(चf) 127.06
4075-विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4075-Capital Outlay on Miscellaneous General Services	...	32.91	(छg) 32.91
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	8.20	(जh) 8.20
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	1020.00	(झi) 1020.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1774.63	1774.63
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2243.60	2243.60
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)1000.00	(-)1000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) रक्षा विभाग (4.25 करोड़ रुपये) (ii) रक्षा उत्कृष्टता के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान (44.99 करोड़ रुपये) सहित रक्षा उत्पादन विभाग (8.97 करोड़

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting the additional establishment expenses of (i) Department of Defence (₹ 4.25 crore) (ii) Department of Defence Production

रुपये) (iii) पूर्व सैनिक विभाग (1.98 करोड़ रुपये) (iv) सैन्य कार्य विभाग (3.30 करोड़ रुपये) (v) सीमा सड़क संगठन (383.34 करोड़ रुपये) (vi) रक्षा लेखा विभाग (155.83 करोड़ रुपये) (vii) रक्षा संपदा महानिदेशालय को सहायता अनुदान (वेतन) और सांविधिक देनदारियां (24.70 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए 119.51 करोड़ रुपये की शेष राशि का पूरक मांगा जाता है। अनुदान के भारित भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इस पर 119.47 करोड़ रुपये नकद व्यय होगा।

- (ख) भारतीय तटरक्षक संगठन के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक के लिए वेतन (88.48 करोड़ रुपये) और स्पेयर/रूटिंग किट (114.05 करोड़ रुपये) की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इससे नकद व्यय होगा;
- (ग) वेतन, आपूर्ति और सामग्री, आकस्मिक और विविध और उत्तरी सीमाओं के साथ आकस्मिक आवश्यकता और परिचालन स्थिति के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (146.92 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;
- (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए 25.01 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों के रखरखाव के लिए 64.99 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ङ) तटरक्षक संगठन के लिए भूमि अधिग्रहण (236.46 करोड़ रुपये) और जहाजों, विमानों और बड़े के अधिग्रहण (350 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इससे नकद व्यय होगा;
- (च) रक्षा संपदा महानिदेशालय (₹.120 करोड़) और रक्षा लेखा विभाग की पूंजीगत परियोजनाओं (7.06 करोड़ रुपये) द्वारा छावनी क्षेत्रों में रक्षा भूमि के अलग-अलग हिस्सों के चारों ओर सीमा स्तंभों / दीवार / बाड़ के निर्माण पर 127.06 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (7.06 करोड़ रुपये)
- उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;
- (छ) . कैंटीन स्टोर डिपो, चेन्नई के निर्माण में विवाहित आवास और नारंगी और कोच्चि में कैंटीन स्टोर डिपो में डबल स्टोरेज आवास के निर्माण के लिए ₹ 32.91 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए ।
- इससे नकद व्यय होगा;
- (ज) रक्षा लेखा विभाग की आवासन परियोजनाओं के लिए 8.20 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इससे नकद व्यय होगा;
- (झ) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधियों (सीआरआईएफ) को (1,000 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त हस्तांतरण, और रणनीतिक और सीमा सड़कों के निर्माण पर खर्च को पूरा करने के लिए (20 करोड़ रुपये)। अनुदान के एक ही भाग में उपलब्ध समान वसूलियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय नहीं होगा;

(₹ 8.97 crore) including additional Grants-in-aid General for Defence Excellence (₹ 44.99 crore) (iii) Department of Ex-Servicemen (₹ 1.98 crore) (iv) Department of Military Affairs (₹ 3.30 crore) (v) Border Roads Organization (₹ 383.34 crore) (vi) Defence Accounts Department (₹ 155.83 crore) (vii) Grant-in-aid (Salaries) and statutory liabilities of Directorate General Defence Estates (₹ 24.70 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of ₹ 119.51 crore is sought. This will entail ₹ 119.47 crore as cash outgo considering the savings available in charged section of the Grant.

meeting the additional expenditure towards salaries (₹ 88.48 crore) and procurement of spares/routing kits (₹ 114.05 crore) for Indian Coast Guard under Coast Guard Organization.

This will entail cash outgo;

meeting additional expenditure towards salaries, supplies and materials, incidentals and miscellaneous, and cater to the emergent requirement and operational situation along Northern Borders (₹ 146.92 crore).

The above expenditure will entail cash outgo;

meeting additional expenditure of ₹ 25.01 crore for maintenance of National Highways and ₹ 64.99 crore for road maintenance other than National Highways.

Taking into account the savings available within the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards Land Acquisition (₹ 236.46 crore) and Acquisition of Ships, Aircraft & Fleet (₹ 350 crore) for Coast Guard Organization.

The will entail cash outgo;

meeting additional expenditure of ₹ 127.06 crore on construction of boundary pillars/wall/fencing around isolated pockets of Defence Land in Cantonment Areas by Directorate General Defence Estates (₹ 120 crore) and on capital projects of Defence Accounts Department (₹ 7.06 crore).

The above expenditure will entail cash outgo;

meeting additional expenditure ₹ 32.91 crore for construction of Canteen Stores Depot, married accommodation at Chennai and construction of double storage accommodation at Canteen store Depot at Narangi and Kochi.

The will entail cash outgo;

meeting additional expenditure of ₹ 8.20 crore for Housing projects of Defence Accounts Department.

The will entail cash outgo;

additional transfer of (₹ 1,000 crore) to Central Road and Infrastructure Funds (CRIF), and for meeting expenditure on construction of Strategic and Border Roads (₹ 20 crore).

Taking into account the matching recoveries and saving available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)
(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 16 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	101.44	231945.49	232046.93
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	101.44	231945.49	232046.93
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5000.00	5000.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	5000.00	5000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	10.22	1659.96	1670.18
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	10.22	1659.96	1670.18
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	111.66	238605.45	238717.11
राजस्व	Revenue	111.66	238605.45	238717.11
पूंजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	0.60 (का)	314.17 (खब)	314.77
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...	315.23 (गक)	315.23
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	...	1030.54 (घद)	1030.54
2079-रक्षा सेवाएं-आयुध कारखाने	2079-Defence Services - Ordnance Factories	7.50 (डे)	0.01 (चफ)	7.51
2080-रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and Development	2.12 (छग)	0.01 (जह)	2.13
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	10.22	1659.96	1670.18

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	न्यायालय के आदेशों के कारण उत्पन्न सेना के लिए 'गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय निरीक्षण (डीजीक्यूए)' हेतु भुगतान के 0.65 करोड़ रूपए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹0.60 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक मांगा जाता है। इसमें नकद व्यय होगा।	(a)	meeting additional expenditure of ₹ 0.65 crore towards payment arising out of Court Orders for 'Inspection Directorate General of Quality Assurance (DGQA)' for Army. Taking into account savings available in the Section Supplementary for the balance amount of ₹ 0.60 Crore is sought. This will entail cash out go.
(ख)	सेना के लिए 'वेतन और भत्ता' (6,094.89 करोड़ ₹.), 'सहायक दलों के वेतन और भत्तों' (256 करोड़ ₹.), 'स्टोर' (309.60 करोड़ ₹.), 'निर्माण कार्य' (338.11 करोड़ ₹.), राष्ट्रीय राइफलस (268 करोड़ ₹.) राष्ट्रीय कैडेट कोर' (213.67 करोड़ ₹.) और सेना के लिए अन्य व्यय (241.45 करोड़ ₹.) के 7,721.72 करोड़ ₹. के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु। भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹314.17 करोड़ की पूरक राशि की मांगी जाती है। इसमें नकद व्यय होगा।	(b)	meeting additional expenditure of ₹ 7,721.72 crore, towards ' Pay and Allowances' of Army (₹ 6,094.89 crore), 'Pay and Allowances Auxiliary Forces' (₹ 256 crore), 'stores' (₹ 309.60 crore), 'works' (₹ 338.11 crore), 'Rashtriya Rifles' (₹ 268 crore), 'National cadet corps' (₹ 213.67 crore) and 'other expenditure' (₹ 241.45 crore) for Army. Taking into account savings available in the section, Supplementary for the balance amount of ₹ 314.17 crore is sought. This will entail cash outgo.
(ग)	'नौसेना के वेतन और भत्ते' (400 करोड़ रुपये), 'नागरिकों के वेतन और भत्ते' (150.99 करोड़ रुपये), 'परिवहन' (40 करोड़ रुपये), नौसेना के लिए अन्य व्यय' (50 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 640.99 करोड़। भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹315.23 करोड़ की पूरक राशि की मांगी जाती है। इसमें नकद व्यय होगा।	(c)	meeting additional expenditure of ₹ 640.99 crore, 'Pay & Allowances of Navy' (₹ 400 crore), 'Pay & Allowances of Civilians' (₹ 150.99 crore), 'Transportation' (₹ 40 crore), and 'other expenditure' (₹ 50 crore) for Navy. Taking into account savings available in the Section, Supplementary for the balance amount of ₹ 315.23 Crore is sought. This will entail cash out go.
(घ)	'वायु सेना के वेतन और भत्ते' (975.09 करोड़ रुपये), 'स्टोर' (1,242.59 करोड़ रुपये) और वायु सेना के लिए 'अन्य व्यय (56.33 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 2,274.01 करोड़।' भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹1030.54 करोड़ की पूरक राशि की मांगी जाती है। इसमें नकद व्यय होगा।	(d)	meeting additional expenditure of ₹ 2,274.01 crore, ' Pay & Allowances of Air Force' (₹ 975.09 crore), 'Stores' (₹ 1,242.59 crore), and 'other expenditure' (₹ 56.33 crore) for Air Force. Taking into account savings available in the Section, Supplementary for the balance amount of ₹ 1,030.54 Crore is sought. This will entail cash out go.

(इ)	न्यायालय के आदेशों के उत्पन्न रक्षा आयुध निर्माणियों के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (7.50 करोड़ रुपये)। इसमें नकद व्यय होगा।	(e)	meeting additional expenditure of ₹ 7.50 crore towards payment arising out of Court Orders for Defence Ordnance Factories. This will entail cash out go .
(च)	रक्षा आयुध निर्माणियों के लिए 'निदेश और प्रशासन' हेतु 154.50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है	(f)	meeting additional expenditure of ₹ 154.50 crore, for 'Direction and Administration' for Defence Ordnance Factories. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	न्यायालय के आदेशों द्वारा उत्पन्न अनुसंधान और विकास के भुगतान के लिए 2.30 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। इसमें 2.12 करोड़ रु. का निवल नकद व्यय होगा।	(g)	meeting additional expenditure of ₹ 2.30 crore towards payment arising out of Court Orders for 'other expenditure' for Research & Development. This will entail net cash out go for ₹ 2.12 crore
(ज)	अनुसंधान और विकास हेतु निर्माण कार्य के 144.03 करोड़ रु. के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है	(h)	meeting additional expenditure of ₹ 144.03 crore for 'works' for Research & Development. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 17 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	81.87	134978.85	135060.72
जोड़	Total	81.87	134978.85	135060.72
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	3790.19	3790.19
जोड़	Total	...	3790.19	3790.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	76.22	0.01	76.23
जोड़	Total	76.22	0.01	76.23
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	158.09	138769.05	138927.14
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	158.09	138769.05	138927.14
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	76.22 (का)	0.01 (खब)	76.23

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के आदेशों के कारण उत्पन्न हुए भुगतान हेतु 81.89 करोड़ रु. नामतः सेना के 'निर्माण कार्य' हेतु 25 करोड़ रु., आयुध कारखाने की मशीनरी और उपस्कर हेतु 3 करोड़ रु. और अनुसंधान और विकास कार्य के लिए 53.89 करोड़ रु. के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) 'भूमि' (116 करोड़ रु.), सेना के लिए 'मिलिट्री फार्म' (0.02 करोड़ रु.) नौसेना के लिए 'विमान' (2503 करोड़ रु.), अन्य उपस्कर (2000 करोड़ रु.), 'निर्माण कार्य' (300 करोड़ रु.), 'नौसेना बेड़ा' (7,591.82 करोड़ रु.), वायु सेना के लिए 'विमान' (2,461.95 करोड़ रु.) 'सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों' में निवेश (1478 करोड़ रु.), और प्रौद्योगिकी विकास के लिए वायु सेना हेतु परियोजनाएं प्रक्रिया निर्माण के अंतर्गत प्ररूप विकास (1383.84 करोड़ रु.) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 81.89 crore towards payment arising out of Court Orders viz. ₹ 25 crore for 'construction works' of Army, ₹ 3 crore for 'machinery & equipment' of Ordnance Factories and ₹ 53.89 crore for 'works' of Research & Development. Taking into account the savings available in the grant, a technical supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure under 'land' (₹ 116 crore), 'military farms' (₹ 0.02 crore) for Army, 'aircraft' (₹ 2,503 crore), 'other equipment' (₹ 2,000 crore), 'construction works' (₹ 300 crore), 'naval fleet' (₹ 7,591.82 crore) for Navy, 'aircraft' (₹ 2,461.95 crore) for Air Force, 'Investment in public sector & other undertakings' (₹ 1,478 crore) and 'projects of Air Force' (₹ 1,383.84 crore) for Technology Development- Assistance for prototype development under 'Make Procedure'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	8.27	115841.73	115850.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	8.27	115841.73	115850.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1028.50	1028.50
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1028.50	1028.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8.27	116870.23	116878.50
राजस्व	Revenue	8.27	116870.23	116878.50
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	1028.50	1028.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों' के भुगतान हेतु 1028.50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के भारित भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 1028 करोड़ रु. का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 1028.50 crore towards payment of 'Pension and Other Retirement benefits'.

Taking into account the savings available in Charged Section, of the Grant, the above expenditure will entail of ₹ 1028 crore cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 22

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)
(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 18 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2031.51	2031.51
पूंजी	Capital	...	652.49	652.49
जोड़	Total	...	2684.00	2684.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	10.01	10.01
जोड़	Total	...	10.02	10.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	29.67	29.67
जोड़	Total	...	29.68	29.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2723.70	2723.70
राजस्व	Revenue	...	2031.53	2031.53
पूंजी	Capital	...	692.17	692.17
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	29.67 (खब)	29.67
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	29.68	29.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए 51.44 करोड़ रु. (कार्यक्रम घटक) (5 करोड़ रु.) अनुसूचित जाति उपयोजना (5.05 करोड़ रु.) जनजातियों उपयोजना (4.39 करोड़ रु.) (ii) "पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं के अंतर्गत एनईआरसीओआरएम परियोजना के लिए जनजातीय उपयोजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान;" 20 करोड़ रु.और (iii) पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (10 करोड़ रु.)
अनुदान के एक ही भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) "पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना (एनईआरएसडीएस) के तहत प्रावधानों को बढ़ाने के लिए 101.74 करोड़ रुपये की मांग की गई है। राजस्व भाग के तहत 29.67 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 72.07 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants for creation of capital assets of ₹ 51.44 crore [Programme component (₹ 5 crore), Scheduled Caste Sub Plan (₹ 5.05 crore), Tribal Sub-Plan (₹ 41.39 crore) under the "Schemes of North East Council"; (ii) Grants-in-aid General for Tribal Sub-Plan for NERCORM Project under the "Schemes of North East Council" (₹ 20 crore); and (iii) Grants for creation of capital assets under North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) (₹ 10 crore).

Taking into account savings available in same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) ₹ 101.74 crore is sought for augmenting the provisions under "North East Road Sector Development Scheme (NERSDS)". Taking into account surrender of savings of ₹ 29.67 crore under Revenue Section and savings of ₹ 72.07 crore available in the same section of the Grant, it will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 19 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1738.69	1738.69
पूंजी	Capital	...	163.00	163.00
जोड़	Total	...	1901.69	1901.69
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	404.41	404.41
पूंजी	Capital	...	61.00	61.00
जोड़	Total	...	465.41	465.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	7.01	7.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	7.02	7.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2374.12	2374.12
राजस्व	Revenue	...	2150.11	2150.11
पूंजी	Capital	...	224.01	224.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	7.00	(क) 7.00
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	7.01	7.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5455-मौसम विज्ञान पर पूंजीगत परिव्यय	5455-Capital Outlay on Meteorology	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	7.02	7.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) ओशनसैट -3 के लिए पट्टे के किराये की लागत साझा करने के लिए अंतरिक्ष विभाग को भुगतान करने के लिए किराया, दर और कर के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (7.00 करोड़ रुपये)
इसमें नकद व्यय होगा;
- (ख) अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच (रीचआउट) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (3.53 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) सीस्मोलॉजिकल एंड जियोसाइंसेज (एसएजीई) (2.49 करोड़ रु.) और एटमोस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज (एक्रॉस) (7.34 करोड़ रुपये) योजना के तहत मशीनरी और उपकरण के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards Rent, Rates and Taxes for making payment to Department of Space towards cost sharing of lease rental for OCEANSAT-3 (₹ 7 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme Research, Education and Training Outreach (REACHOUT) (₹ 3.53 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure towards Machinery and Equipment for the schemes Seismological Geosciences (SAGE) (₹ 2.49 crore) and Atmosphere & Climate Research-Modelling Observing Systems & Services (ACROSS) (₹ 7.34 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)
(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	103673.66	103673.66
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	103673.66	103673.66
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	103673.71	103673.71
राजस्व	Revenue	...	103673.71	103673.71
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(1) समय शिक्षा योजना के तहत अनुदान (34.89 करोड़ रु.) और सामान्य सहायता अनुदान (2) समय शिक्षा योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (24.40 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

(1) Grants-in-Aid General and Grant under the Scheme of Samagra Shiksha (₹ 34.89 crore) and (2) Grant for Creation of Capital Assets under the scheme Samagra Shiksha (₹ 24.40 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 20 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	65325.15	65325.15
पूंजी	Capital	...	25.50	25.50
जोड़	Total	...	65350.65	65350.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.06	0.06
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.06	0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	65350.74	65350.74
राजस्व	Revenue	...	65325.24	65325.24
पूंजी	Capital	...	25.50	25.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01	(क) 0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01	(ख) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 1. योजनाओं के तहत सहायता अनुदान (i) ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधि के लिए योगदान [126.67 करोड़ रुपये] (ii) केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित डीम्ड विश्वविद्यालय [40 करोड़ रुपये], और (iii) भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान [6 करोड़ रुपये] 2. योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता [30 करोड़ रुपये], (ii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान [160 करोड़ रुपये], (iii) केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश [69.04 करोड़ रुपये], (iv) भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान [35.62 करोड़ रुपये], और (v) अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट [17.38 करोड़ रुपये]

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ख) 1. योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और आईआईएसटी [58.50 करोड़ रुपये], (ii) पीएम रिसर्च फेलोशिप [6.93 करोड़ रुपये], (iii) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) - एचईएफए ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए निधि [30.26 करोड़ रुपये], (iv) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) - एचईएफए ऋण के तहत ब्याज के भुगतान के लिए निधि [0.81 करोड़ रुपये], (v) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-एचईएफए ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए निधि [355.79 करोड़ रुपये], और (vi) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईएसटी को सहायता- एचईएफए ऋण के मूलधन की अदायगी के लिए निधि [144.15 करोड़ रुपये] 2. योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता [158.82 करोड़ रुपये], (ii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) को सहायता [

The supplementary Grants are required for:

- (a) 1. Grants-in-Aid General under schemes (i) Interest Subsidy And Contribution for Guarantee Fund [₹ 126.67 Crore] (ii) Deemed Universities promoted by Central Government [₹ 40 Crore], and (iii) Grants for promotion of Indian languages [₹ 6 Crore] 2. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 30 Crore], (ii) Grants to Central Universities [₹ 160 Crore], (iii) Central University, Andhra Pradesh [₹ 69.04 Crore], (iv) Grants for promotion of Indian languages [₹ 35.62 Crore], and (v) Academic Bank of Credit [₹ 17.38 Crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) 1. Grants-in-Aid General under the schemes (i) National Institutes of Technology (NITs) and IIST [₹ 58.50 Crore], (ii) PM Research Fellowship [₹ 6.93 Crore], (iii) Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)- Funds for repayment of Principal of HEFA Loan [₹ 30.26 Crore], (iv) Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER)-Funds for payment of Interest under HEFA Loan [₹ 0.81 Crore], (v) Indian Institutes of Technology- Funds for repayment of Principal of HEFA loan [₹ 355.79 Crore], and (vi) Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST- Funds for repayment of Principal of HEFA Loan [₹ 144.15 Crore] 2. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Support to Indian Institutes of Technology [₹ 158.82 Crore], (ii) Support to Indian Institutes of Information Technology (IIITs)

23.29 करोड़ रुपये], और (iii) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई [1 करोड़ रुपये]

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ग)

1. योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय भाषाओं के प्रचार के लिए अनुदान [2.92 करोड़ रुपये], (ii) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता- एचईएफए ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए निधि [29.75 करोड़ रुपये], और (iii) एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता- एचईएफए ऋण के तहत ब्याज के भुगतान के लिए निधि [0.57 करोड़ रुपये] 2. योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (i) भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान [18.25 करोड़ रुपये], और (ii) पीपीपी मोड में आईआईआईटी की स्थापना [6 करोड़ रुपये] 3. भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत सहायता अनुदान [4 करोड़ रुपये]

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

[₹ 23.29 Crore],and (iii) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai [₹ 1 Crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

1. Grants-in-aid General under the schemes (i) Grants for promotion of Indian languages [₹ 2.92 Crore], (ii) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar- Funds for repayment of Principal of HEFA Loan [₹ 29.75 Crore], and (iii) Assistance to other institutes including SLIET, NERIST, NIFFT Ranchi, CIT Kokrajhar- Funds for payment of Interest under HEFA Loan [₹ 0.57 Crore] 2. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Grants for promotion of Indian languages [₹ 18.25 Crore], and (ii) Setting up IIITs in PPP Mode[₹ 6 Crore] 3. Grants-in-Aid Salaries under the scheme Grants for promotion of Indian languages [₹ 4 Crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c)

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 22 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	9274.66	9274.66
पूंजी	Capital	...	446.00	446.00
जोड़	Total	...	9720.66	9720.66
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	9720.73	9720.73
राजस्व	Revenue	...	9274.72	9274.72
पूंजी	Capital	...	446.01	446.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(ख) 0.01
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (25.00 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान के अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (100 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (230 करोड़ रुपये) और सामान्य सहायता अनुदान (450 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for Electronic Governance for development of North Eastern Region (Rs 25 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for Electronic Governance (₹ 100 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 450 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 230 crore) for Unique Identification Authority of India.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 24 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3014.10	3014.10
पूंजी	Capital	...	122.48	122.48
जोड़	Total	...	3136.58	3136.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3136.62	3136.62
राजस्व	Revenue	...	3014.14	3014.14
पूंजी	Capital	...	122.48	122.48
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के तहत प्रावधानों को बढ़ाना 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (6.00 करोड़ रुपये) और (ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (6.00 करोड़ रुपये) 2. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (9.73 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

augmenting provisions under 1. Grant-in-aid-General for (i) Commission of Air Quality Management (₹ 6 crore) and (ii) Central Pollution Control Board (₹ 6 crore) and 2. Grants for Creation of Capital Assets for Central Pollution Control Board (₹ 9.73 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4649.12	4649.12
पूंजी	Capital	...	94900.41	94900.41
जोड़	Total	...	99549.53	99549.53
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	2641.67	2641.67
जोड़	Total	...	2641.70	2641.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1069.86	1069.86
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1069.87	1069.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	103261.10	103261.10
राजस्व	Revenue	...	5719.01	5719.01
पूंजी	Capital	...	97542.09	97542.09
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (का)	0.01
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	...	0.01 (खब)	0.01
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	...	339.07 (गक)	339.07
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (घद)	0.01
3466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	...	499.99 (डे)	499.99
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	230.76 (चफ)	230.76
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	0.01 (छग)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1069.86	1069.86
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	...	0.01 (जह)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1069.87	1069.87

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

(क)	डीईए सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय (₹30.32 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ख)	नुकसान आदि के कारण भुगतान (₹0.01 करोड़)।
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
(ग)	गारंटी मोचन निधि को निधियों का अंतरण (₹339.07 करोड़)।
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, एक तकनीकी पूरक की मांग की जाती है। उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
(घ)	डाकघरों/लघु बचत योजनाओं के लिए संरक्षित बचत योजनाओं के तहत भुगतान के लिए (₹0.04 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(a)	establishment related expenditure (₹30.32 crore) of DEA Secretariat.
	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(b)	payments on account of losses etc (₹0.01 crore).
	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(c)	transfer of funds to Guarantee Redemption Fund (₹339.07 crore).
	Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(d)	for payment towards Protected Savings Schemes for Post Offices/Small saving schemes (₹0.04 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) में योगदान (₹499.99 करोड़)।	(e)			contribution to International Development Association(IDA) (₹499.99 crore).
	अनुदान के पूंजी अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण और मिलान प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, एक तकनीकी पूरक की मांग की जाती है। उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।				Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and the matching receipts, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(च)	सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2015 (₹741 करोड़), स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015 (₹261.51 करोड़), टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण के लिए वैश्विक गठबंधन (जीएवीआई) (₹20.90 करोड़) भारतीय दूतावास, वाशिंगटन की आर्थिक शाखा में योगदान और स्थापना व्यय के तहत गोल्ड रिजर्व फंड के तहत धन का अंतरण (₹4.17 करोड़)।	(f)			transfer of funds under Gold Reserve Fund under Sovereign Gold Bond Scheme 2015(₹741 crore), Gold Monetization Scheme 2015 (₹261.51 crore), contribution to Global Alliance for Vaccination and Immunization(GAVI) (₹20.90 crore) and towards establishment expenditure of Economic Wing of the Embassy of India, Washington (₹4.17 crore).
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, एक तकनीकी पूरक मांगा जाता है, और अनुदान के राजस्व अनुभाग के भीतर उपलब्ध बचत, एक सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।				Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary is sought, and savings available within the Revenue section of the Grant, a token supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(छ)	जी-24 का संपर्क कार्यालय खर्च (₹0.13 करोड़) और एक्जिम बैंक को ब्याज का भुगतान (₹50 करोड़)।	(g)			liaison Office expenses of G-24 (₹0.13 crore) and payment of interest to EXIM Bank (₹50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	ब्रिक्स एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता हेतु (₹70 करोड़)।	(h)			subscription to BRICS and New Development Bank (₹70 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 28 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3710.78	3710.78
पूंजी	Capital	...	47800.03	47800.03
जोड़	Total	...	51510.81	51510.81
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1750.00	1750.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1750.01	1750.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	7623.91	7623.91
पूंजी	Capital	...	26317.97	26317.97
जोड़	Total	...	33941.88	33941.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	87202.70	87202.70
राजस्व	Revenue	...	13084.69	13084.69
पूंजी	Capital	...	74118.01	74118.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(कa)	0.01
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	20.09	(खb)	20.09
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	3465-General Financial and Trading Institutions	...	7603.81	(गc)	7603.81
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	7623.91		7623.91
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4416-कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions	...	8217.99	(घd)	8217.99
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	17999.99	(ङe)	17999.99
6885-उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	6885-Other Loans to Industries and Minerals	...	49.99	(चf)	49.99
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	7465-Loans to General Financial and Trading Institutions	...	50.00	(छg)	50.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	26317.97		26317.97
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	33941.88		33941.88

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
3465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	3465-General Financial and Trading Institutions	...	(-)5000.00		(-)5000.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
4416-कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions	...	(-)6084.00		(-)6084.00
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	(-)18000.00		(-)18000.00
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	7465-Loans to General Financial and Trading Institutions	...	(-)1000.00		(-)1000.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	(-)25084.00		(-)25084.00
	Total (Supplementary)	...	-30084.00		-30084.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अटल पेंशन योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) संकटग्रस्त आस्ति स्थायीकरण निधि (एसएसएफ) को जारी की गई प्रतिभूतियों के मोचन के लिए 149.99 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध प्राप्तियों और बचतों को ध्यान में रखते हुए, शेष राशि के लिए पूरक की मांग की जाती है। इससे नकद व्यय नहीं होगा;
- (ग) (i) राष्ट्रीय निवेश कोष में 5000 करोड़ रुपये का अंतरण (ii) अवसंरचना और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक को 5000 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान प्रदान करना और (iii) ऋण अधिस्थगन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सहायता योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाओं को चक्रवृद्धि ब्याज सहायता के लिए 96.81 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

राष्ट्रीय निवेश कोष से 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय के रूप में 2603.81 करोड़ रुपये व्यय होगा।
- (घ) (i) राष्ट्रीय निवेश कोष में 6084 करोड़ रुपये की राशि अंतरित करना और (ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 2884 करोड़ रुपये द्वारा पुनर्पूजीकरण।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत और प्राप्तियों एवं वसूली की 7213.90 करोड़ रुपये की बढ़त को ध्यान में रखते हुए, इससे 1004.09 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ङ) (i) राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना एवं विकास बैंक के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष में 20000 करोड़ रुपये का अंतरण। और (ii) बीमा कंपनियों के पुनर्पूजीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपये।
राष्ट्रीय निवेश कोष से 18000 करोड़ रुपये की वसूली और प्राप्तियों में कमी को ध्यान में रखते हुए, इसके लिए 4950 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (च) सूक्ष्म वित्त संस्थानों के 50 करोड़ रुपये के ऋण गारंटी योजना के व्यय को पूरा करना।
अनुदान में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए शेष राशि के लिए पूरक मांग की मांग की जाती है। इससे नकद व्यय होगा।
- (छ) कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करना।
इससे नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) additional contribution of ₹ 50 Crore for incentive under Atal Pension Yojna.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 149.99 Crore towards redemption of Securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF).
Taking into account the receipts and savings available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought. This will not entail cash outgo;
- (c) (i) transferring ₹ 5000 Crore to National Investment Fund (ii) providing Grants-in-Aid of ₹ 5000 Crore to National Bank for Financing Infrastructure and Development and (iii) meeting additional expenditure of ₹ 96.81 Crore towards Compounded Interest Support to Lending Institutions under compounded interest support scheme for loan moratorium.
Taking into account the additional recoveries of ₹ 5000 crore from National Investment Fund, this will entail ₹ 2603.81 crore as Cash outgo.
- (d) (i) transferring an amount of ₹ 6084 Crore to National Investment Fund and (ii) Recapitalisation of Regional Rural Banks by ₹ 2884 crore
Taking into account the savings available in the same section of the grant and enhanced receipts & recoveries of ₹ 7213.90 crore, this will entail cash outgo of ₹ 1004.09 crore.
- (e) (i) transferring of ₹ 20000 crore to National Investment Fund for National Bank for Financing Infrastructure and Development and (ii) Recapitalization of Insurance Companies by ₹ 5000 crore.
Taking into account the recoveries of ₹ 18000 crore from National Investment Fund and reduction in receipts, this will entail ₹ 4950 crore as cash outgo.
- (f) meeting expenditure of ₹ 50 crore for Credit Guarantee Scheme for Micro Finance Institutions.
Taking into account the savings available in the grant, supplementary for the balance amount is sought. This will entail cash outgo.
- (g) providing loans of ₹ 50 Crore to Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors .
This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 33

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)
(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 29 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	201499.60	201499.62
पूंजी	Capital	...	13.02	13.02
जोड़	Total	0.02	201512.62	201512.64
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	8294.11	8294.11
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	8294.11	8294.11
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	209806.76	209806.78
राजस्व	Revenue	0.02	209793.73	209793.75
पूंजी	Capital	...	13.03	13.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	8143.12	(क) 8143.12
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	150.99	(ख) 150.99
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	8294.11	8294.11

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) जीएसटी मुआवजा कोष में 10394.47 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अंतरण पर व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के पूंजीगत खंड में 1.36 करोड़ रुपये के अभ्यर्पण में, इससे 8141.76 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ख) जीएसटी मुआवजा कोष में 401 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अंतरण पर खर्च को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, 150.99 करोड़ रुपये की शेष राशि के लिए पूरक की मांग की जाती है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) for meeting expenditure on additional transfer of ₹ 10394.47 crore to GST Compensation Fund.
Taking into account the savings available in the same section of the grant and surrender of savings of ₹ 1.36 crore in Capital Section of the grant, this will entail cash outgo of ₹ 8141.76 crore.
- (b) for meeting expenditure on additional transfer of ₹ 401 crore to GST Compensation Fund.
Taking into account the savings available in the same section of the grant, supplementary for the balance amount of ₹ 150.99 crore is sought. This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 30 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8180.34	8180.34
पूंजी	Capital	...	352.00	352.00
जोड़	Total	...	8532.34	8532.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	26.55	26.55
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	26.57	26.57
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8558.94	8558.94
राजस्व	Revenue	...	8206.89	8206.89
पूंजी	Capital	...	352.05	352.05
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	...	26.55	(का) 26.55
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(खb) 0.01
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(गc) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	26.57	26.57

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वेतन हेतु अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए (26.55 करोड़ रुपये)
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) बेंगलुरु में कार्यालय भवन के निर्माण हेतु (8.00 करोड़ रुपये)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) गुरुग्राम में रिहाईशी भवन निर्माण के लिए एचएसवीपी से भूमि की खरीद हेतु (55.00 करोड़ रु.)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional establishment related expenditure for Salary (₹ 26.55 crore)
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) Construction of office building in Bengaluru (₹ 8.00 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Purchase of land from HSVP for construction of Residential Building at Gurugram (₹ 55.00 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 31 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	20906.77	20907.27
पूंजी	Capital	...	452.00	452.00
जोड़	Total	0.50	21358.77	21359.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	53122.65	53122.65
पूंजी	Capital	...	426.00	426.00
जोड़	Total	...	53548.65	53548.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	74907.43	74907.93
राजस्व	Revenue	0.50	74029.43	74029.93
पूंजी	Capital	...	878.00	878.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्क्रिप आधारित योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) राज्य और केंद्रीय करों और लेवी पर छूट (924 करोड़ रुपये की नियमित योजना), (ii) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना के लिए बकाया का एकमुश्त भुगतान (52.67 करोड़ रुपये), मोबाइल फोन के लिए 2% अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन (11.90 करोड़ रुपये), वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (0.29 करोड़ रुपये), स्थिति धारक प्रोत्साहन योजना (169.21 करोड़ रुपये) और फोकस बाजार योजना (0.99 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on scrip based schemes (i) Rebate on State and Central Taxes and Levies (Regular Scheme for ₹ 924 crore), (ii) One time payment of arrears for Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojna (₹ 52.67 crore), 2% additional Ad hoc incentive for mobile phone (₹ 11.90 crore), Incremental Export incentivisation Scheme (₹ 0.29 crore), Status Holders Incentive Scheme (₹ 169.21 crore) and Focus Market Scheme (₹ 0.99 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की प्रक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 36

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	200.00	5209.97	5409.97
पूंजी	Capital	...	24.95	24.95
जोड़	Total	200.00	5234.92	5434.92
प्रक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का प्रक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	30.00	30.00
जोड़	Total	...	30.00	30.00
जोड़ (मूल और प्रक)	Total (Original plus Supplementary)	200.00	5264.92	5464.92
राजस्व	Revenue	200.00	5209.97	5409.97
पूंजी	Capital	...	54.95	54.95
II. इस प्रक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	30.00	30.00

यह प्रक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की आवास परियोजना के लिए एनबीसीसी को भुगतान पर व्यय को पूरा करना (30.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध 22.76 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अनुप्रक 7.24 करोड़ रुपये का निवल नकद बहिर्वाह होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on payment to NBCC for Housing Project of Indian Audit & Accounts Department (₹ 30.00 crore). Taking into account the surrender of savings of ₹ 22.76 crore available in the Revenue Section of the Grant, the above supplementary will entail net cash outgo of ₹ 7.24 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 39

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	400.00	56473.12	56873.12
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	400.00	56473.12	56873.12
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	7132.00	7132.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	7132.00	7132.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	400.00	63605.12	64005.12
राजस्व	Revenue	400.00	63605.12	64005.12
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	7132.00	7132.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्तों, अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्त (एआईएस), अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्तों (एनपीएस), उपदान, उपदान (एआईएस), पारिवारिक पेंशन पारिवारिक पेंशन (एआईएस), पारिवारिक पेंशन (एनपीएस), छुट्टी के बदले भुगतान, छुट्टी के बदले भुगतान (एआईएस), परिभाषित योगदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) और एनसीटी दिल्ली सरकार के सेवानिवृत्ति/मृतक कर्मचारियों के संबंध में पेंशन प्रभार के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।

इसमें 7,132 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Superannuation and Retirement Allowances, Superannuation and Retirement Allowances (AIS), Superannuation and Retirement Allowances (NPS), Gratuities, Gratuities (AIS), Family Pensions, Family Pension (AIS), Family Pensions (NPS), Leave Encashment, Leave Encashment (AIS), Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) and Pensionary Charges in respect of retirees/deceased employees of Government of NCT Delhi.

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 7,132 Crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 40

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 33 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	220843.00	71490.77	292333.77
पूंजी	Capital	46850.00	10000.01	56850.01
जोड़	Total	267693.00	81490.78	349183.78
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.01	0.02
पूंजी	Capital	...	158999.99	158999.99
जोड़	Total	0.01	159000.00	159000.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	8838.21	8838.21
पूंजी	Capital	100.00	5000.01	5100.01
जोड़	Total	100.00	13838.22	13938.22
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	267793.01	254329.00	522122.01
राजस्व	Revenue	220843.01	80328.99	301172.00
पूंजी	Capital	46950.00	174000.01	220950.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	8838.20 (का)	8838.20
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	8838.21	8838.21
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	100.00 (गक)	5000.00 (घद)	5100.00
7602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	7602-Loans and Advances to Union Territory Governments	...	0.01 (डे)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	100.00	5000.01	5100.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	100.00	13838.22	13938.22

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'एशिया प्रशांत टीका अधिगम सुविधा' (एपीवीएएक्स) के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) द्वारा प्रदान ₹8838.20 करोड़ की राशि की विदेशी सहायता सहित, 'कोविड-19 टीकाकरण हेतु सहायता' के लिए ₹12838.20 करोड़ की सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए। अनुदान के पूंजी (भारित भाग) के अंतर्गत ₹8838.20 करोड़ की बचतों के अभ्यर्ण और उसी भाग में उपलब्ध ₹4000 करोड़ की बचतों को उपयोग करने के बाद, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) राज्य सरकारों को "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (अनुदान) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के रूप में सामान्य सहायता अनुदान (₹1,165 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ऋण) हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत राज्य सरकारों को 100 करोड़ रु. के अतिरिक्त एकमुश्त ऋण प्रदान करने के लिए। अनुदान के राजस्व भाग के अधीन उपलब्ध समकक्ष बचतों के अभ्यर्ण को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) providing Grants in aid General of ₹ 12,838.20 crore towards 'Support for COVID-19 Vaccination', including external assistance amounting to ₹ 8,838.20 crore provided by Asian Development Bank and Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) under "Asia Pacific Vaccine Access Facility" (APVAX). After utilising surrender of savings of ₹ 8,838.20 crore under Capital (Charged section) and savings of ₹ 4,000 crore available in the same section of the Grant, this will not entail additional cash outgo.
- (b) Grants-in-aid General (₹ 1,165 crore) to State Governments as 'Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Grants)'. Taking into account savings available in same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing additional Block Loans of ₹ 100 crore to State Governments under 'Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Loans)'. Taking into account the surrender of equivalent savings available under Revenue section of the Grant, it will not entail cash outgo.

- | | |
|--|--|
| <p>(घ) "पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता" योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 5000 करोड़ रु. प्रदान करने के लिए। अनुदान के राजस्व भाग के अधीन उपलब्ध समकक्ष बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(d) providing ₹ 5000 crore to State Governments under the scheme "Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure". Taking into account the surrender of equivalent savings available under Revenue section of the Grant, it will not entail cash outgo.</p> |
| <p>(ङ) विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को 11,134.45 करोड़ रु. के जीएसटी के प्रतिपूर्ति की कमी के बदले में बैक-टू-बैक ऋण प्रदान करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।</p> | <p>(e) providing back to back loans to Union Territory Governments with legislature in lieu of GST Compensation shortfall of ₹ 11,134.45 crore. Taking into account the savings available under same section of the Grant, Token Supplementary is sought.</p> |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 41

मत्स्य पालन विभाग

DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1192.16	1192.16
पूंजी	Capital	...	28.68	28.68
जोड़	Total	...	1220.84	1220.84
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	197.40	197.40
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	197.40	197.40
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1418.24	1418.24
राजस्व	Revenue	...	1389.56	1389.56
पूंजी	Capital	...	28.68	28.68

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	10.93 (का)	10.93
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	...	0.01 (खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	186.45 (घd)	186.45
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	197.40	197.40

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सचिवालय आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत किराए, दरों और करों (10.93 करोड़ रुपये)।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार (0.40 करोड़ रुपये) और कार्यालय व्यय (0.50 करोड़ रुपये)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाती उप योजना (एससीएसपी) घटक (4 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएसपी) घटक (₹. 15 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सामान्य घटक (157.15 करोड़ रुपये) एससीएसपी घटक (9.30 करोड़ रुपये) और टीएसपी घटक (20 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Rent, Rates and Taxes (₹ 10.93 crore) under Secretariat Economic Services.
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grants, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) Advertisement and Publicity (₹ 0.40 crore) and Office Expenses (₹ 0.50 crore) under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grant-in-Aid General for Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) Component (₹ 4 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TASP) Component (₹ 15 crore) under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Grants-in-aid General for General Component (₹ 157.15 crore), for SCSP Component (₹ 9.30 crore) and for TASP Component (₹ 20 crore) under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana.
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42

पशु पालन और डेरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)
(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3555.59	3555.59
पूंजी	Capital	...	44.39	44.39
जोड़	Total	...	3599.98	3599.98
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	10.02	10.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	10.02	10.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3610.03	3610.03
राजस्व	Revenue	...	3565.64	3565.64
पूंजी	Capital	...	44.39	44.39
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01 (क)	0.01
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development	...	0.01 (ख)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	10.00 (ग)	10.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	10.02	10.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान सामान्य घटक (0.45 करोड़ रुपये)। (ii) राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत सामान्य घटक (104.48 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) घटक (40 करोड़ रुपये) और जनजाति क्षेत्र उप योजना (टीएसपी) घटक (20 करोड़ रुपये) के तहत सामान्य सहायता अनुदान। (iii) अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान सामान्य घटक (1 करोड़ रुपये)। (iv) पशुधन गणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना के तहत व्यावसायिक सेवा (0.20 करोड़ रुपये) (v) पशुधन स्वास्थ्य संस्थानों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान सामान्य घटक (0.66 करोड़ रु.)
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना के तहत सामान्य घटक (110.83 करोड़ रुपये), एससीएसपी घटक (24.62 करोड़ रुपये) और टीएसपी घटक (12.75 करोड़ रुपये) के लिए सामान्य सहायता अनुदान
- अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (i) राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (10.20 करोड़ रुपये) (ii) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपये)
- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General for General Component (₹ 0.45 crore) under National Livestock Mission. (ii) Grants-in-aid General for General Component (₹ 104.48 crore), for Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) Component (₹ 40 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TASP) Component (₹ 20 crore) under Rashtriya Gokul Mission. (iii) Grants-in-aid General for General Component (₹ 1 crore) under Infrastructure Development Fund. (iv) Professional Service (₹ 0.20 crore) under Livestock Census and Integrated Sample Survey. (v) Grants-in-aid General for General Component (₹ 0.66 crore) under Animal Health Institutes.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid General for General Component (₹ 110.83 crore), for SCSP Component (₹ 24.62 crore) and for TASP Component (₹ 12.75 crore) under National Dairy Development Programme.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Grants-in-aid General for General Component (₹ 10.20 crore) under National Livestock Mission. (ii) Grants-in-aid General for General Component (₹ 10 crore) under Livestock Health and Disease Control Programme.
- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1308.66	1308.66
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1308.66	1308.66
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1308.69	1308.69
राजस्व	Revenue	...	1308.69	1308.69
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	(क) 0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार के अंतर्गत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 58 करोड़) और अनुसूचित जातियों के उप-योजना घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3 करोड़); (ii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना सृजन के अंतर्गत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12.03 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.17 करोड़); (iii) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन के तहत अनुसूचित जाति उप योजना घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.19 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.20 करोड़); (iv) ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत अनुसूचित जातियों के उप-योजना घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.81 करोड़) और सब्सिडी (₹ 5.20 करोड़); (v) समेकित शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना स्कीम के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 49.54 करोड़); (vi) मेगा फूड पार्क के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.59 करोड़); (vii) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवासन अवसंरचना के अंतर्गत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.60 करोड़); (viii) अंतर्राष्ट्रीय वाइन एंड वाइन संगठन (ओआईवी) में योगदान के लिए अतिरिक्त धन (₹ 0.02 करोड़) प्रदान करना। (ix) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान के तहत अतिरिक्त निधियां (₹ 2.50 करोड़) प्रदान करना।

अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) में मेगा फूड पार्क (₹ 6 करोड़) और खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (₹ 20 करोड़) के लिए सामान्य घटक के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना।

अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants-in-Aid General for General Component (₹ 58 crore) and for Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) Component (₹ 3 crore) under Creation/ Expansion of Food Processing and Preservation Capacities. (ii) Grants-in-Aid General for General Component (₹ 12.03 crore) and for Tribal Area Sub Plan (TASP) Component (₹ 4.17 crore) under Creation of Infrastructure for Agro - Processing Clusters. (iii) Grant-in-Aid General for SCSP Component (₹ 3.19 crore) and for TASP Component (₹ 4.20 crore) under Creation of Backward and Forward Linkages. (iv) Grant-in-Aid General for SCSP Component (₹ 3.81 crore) and Subsidies (₹ 5.20 crore) under Operation Greens. (v) Grants-in-Aid General for General Component (₹ 49.54 crore) under Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure. (vi) Grants-in-Aid General for General Component (₹ 0.59 crore) under Mega Food Parks. (vii) Grants-in-Aid General for General Component (₹ 2.60 crore) under Food Safety & Quality Assurance Infrastructure (viii) Contribution (₹ 0.02 crore) to International Organisation of Wine & Vine (OIV). (ix) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.50 crore) under National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-Aid General for General Component under Mega Food Parks (₹ 6 crore) & for Creation/Expansion of Food Processing and Preservation Capacities (₹ 20 crore) under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 44
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 34 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

				(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
राजस्व	Revenue	...	114771.54		114771.54
पूंजी	Capital	...	4355.61		4355.61
जोड़	Total	...	119127.15		119127.15
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
राजस्व	Revenue	...	15917.95		15917.95
पूंजी	Capital	...	545.68		545.68
जोड़	Total	...	16463.63		16463.63
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
राजस्व	Revenue	...	0.06		0.06
पूंजी	Capital	...	500.00		500.00
जोड़	Total	...	500.06		500.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	136090.84		136090.84
राजस्व	Revenue	...	130689.55		130689.55
पूंजी	Capital	...	5401.29		5401.29
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head					
	भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	0.01	(कa)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	(खb)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	0.01	(गc)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(घd)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(ङe)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(चf)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.06		0.06
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	500.00	(छg)	500.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	500.06		500.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा उपचार योजनाओं के तहत पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (450 करोड़ रुपये)।

(ख) अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(1) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (2859.09 करोड़ रुपये) (2) अनुलग्नक के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (518.76 करोड़ रुपये) (3) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थानों के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (710 करोड़ रुपये)। (4) सहायता अनुदान के अलावा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थाओं/संगठनों के तहत मदों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) काया-कल्प योजना के तहत सरकारी

The supplementary Grants are required for:

(a) Pension and Other Retirement Benefits under the schemes Medical Treatment for Central Government Pensioners (₹ 450 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(1) Grants in Aid General for meeting additional requirement under various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 2859.09 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 518.76 crore) (3) Grants in Aid Salaries for meeting additional requirement under various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 710 crore). (4) For meeting additional expenditure on items under the schemes/programmes/Institutions/Organisations other than Grants-in-Aid (i) Award of Prizes to Government

	अस्पतालों/संस्थानों को पुरस्कार का सम्मान (8.50 करोड़) - अन्य शुल्क। (ii) आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल जिसमें नियमित टीकाकरण कार्यक्रम और पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। (एनआईएफ से सहायता) (3.22 करोड़ रुपये) - अन्य संविदात्मक सेवा (iii) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (20 करोड़ रुपये) - पेशेवर सेवाएं (iv) डॉ आरएमएल पीजीआईएमईआर, नई दिल्ली (3 करोड़ रुपये) - प्रकाशन (v) राष्ट्रीय एडस और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (ईएपी) (6.34 करोड़ रुपये) - पेशेवर सेवा (vi) प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज - कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए योजना (314.20 करोड़ रुपये) - अन्य शुल्क (vii) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली - एचईएफए ऋण की चुकोती के लिए (245 करोड़ रुपये) - अन्य शुल्क	Hospitals/Institutions under Kaya-Kalp Scheme (8.50 crore) - Other Charges. (ii) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme and Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme etc. (Support from NIF) (₹ 3.22 crore) - Other Contractual Service (iii) Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 20 crore) - Professional Services (iv) Dr. RML PGIMER, New Delhi (₹ 3 crore) - Publications (v) National AIDS and STD Control Programme (EAP) (RS. 6.34 crore) - Professional Service (vi) Pradhan Mantri Garib Kalyan Package - Scheme for Health Care workers fighting COVID-19 (₹ 314.20 crore) - Other Charges (vii) Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital, New Delhi - for repayment of HEFA Loan (₹ 245 crore) - Other Charges
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	एनआरएचएम के राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन को सुदृढ़ करना -पेशेवर सेवाएं योजनाओं के तहत सहायता अनुदान के अलावा अन्य व्यय की मदों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (10.95 करोड़ रुपये)।	(c) For meeting additional expenditure on items of expenditure other than Grants-in-aid under the schemes Strengthening National Programme Management of the NRHM (₹ 10.95 crore) - Professional Services.
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	1) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (रुपये 1360.64 करोड़) (2) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तिक के सृजन के लिए अनुदान (165.03 करोड़ रुपये)	(d) 1) Grants in Aid General for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 1360.64 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 165.03 crore)
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) अवसंरचना का रखरखाव- उप-केंद्र (594.53 करोड़ रुपये जिसमें सामान्य घटक (447.83 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक (74.55 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप-केंद्र योजना (72.15 करोड़ रुपये) शामिल हैं। (ii) ट्रामा केंद्रों के क्षमता निर्माण के लिए सहायता (4.99 करोड़ रुपये) और (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (3174.03 करोड़ रुपये) जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (2116.02 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना (1058.01 करोड़ रुपये) शामिल है।	(e) Grants in Aid General under the various Schemes/Institutions (i) Infrastructure Maintenance- Sub-Centre (₹ 594.53 Crore comprising General Component (₹ 447.83 Crore), Special Component for Scheduled Castes (₹ 74.55 Crore) and Tribal Area Sub-Plan (₹ 72.15 Crore) (ii) Assistance for Capacity Building for Trauma Centres (₹ 4.99 Crore) and (iii) National Rural Health Mission (₹ 3174.03 Crore) comprising Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 2116.02 Crore) and Tribal Area Sub Plan (₹ 1058.01 Crore)
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज II (डीबीएस), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 87.98 करोड़ जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 58.65 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना (29.33 करोड़) शामिल हैं।	(f) India COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package II (DBS), National Rural Health Mission (₹ 87.98 crore comprising Special Component plan for Scheduled Castes (₹ 58.65 Crore) and Tribal Area Sub Plan (29.33 crore)
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता (i) संक्रामक रोग और प्रकोप प्रतिक्रिया की निगरानी को मजबूत करना (8 करोड़ रुपये) - मशीनरी और उपकरण) प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत तकनीकी अनुदान मुख्य कार्य (834.80 करोड़ रुपये)।	(g) Additional requirement under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) (i) Strengthening Surveillance of Infectious Disease and Outbreak Response (₹ 8 crore) - Machinery & Equipment) Technical Grant Major Works under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) (₹ 834.80 crore)
	342.80 करोड़ रुपये के अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए, 500 करोड़ रुपये के तकनीकी पूरक की मांग की है।	Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant of ₹ 342.80 Crore , a technical supplementary of ₹ 500 crore is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुबंध (₹ करोड़ में)			
मुख्य शीर्षों का विवरण	जीआईए (जी)	जीआईए (सीए)	जीआईए एस)
मुख्य शीर्ष 2210			
1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली - ₹4.64 करोड़ (जीबीएस)	4.64		
2. राज्य एड्स नियंत्रण समितियों को अनुदान (₹9.50 करोड़)	9.50		
3. प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)			
(i) 12 केंद्रीय संस्थानों में 150 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक की स्थापना (₹160.00 करोड़)		160.00	
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली - ₹110 करोड़ (एनआईएफ)			110.00
3. पोस्ट-ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (एनआईएफ) को अनुदान (₹543.00 करोड़)	225.00	318.00	0.00
4. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (एनआईएफ) (₹40.01 करोड़)		40.01	
5. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) (₹600.00 करोड़)			600.00
6. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ₹45.00 करोड़)	45.00		
7. स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया (₹0.07 करोड़)	0.07		
8. राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम - ₹11.61 करोड़	11.61		
19. लाला राम सरूप टीबी और सम्बद्ध बीमारी संस्थान, नई दिल्ली। (₹4.75 करोड़)	4.00	0.75	
5. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) - एचईएफ ऋण का पुर्नभुगतान - ₹2559.27 करोड़)	2559.27		
कुल	2859.09	518.76	710.00
प्रमुख शीर्ष 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र			
1. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग (₹44.07 करोड़)	44.07		
2. ट्रॉमा सेंटर्स के लिए क्षमता निर्माण के लिए सहायता (₹2.99 करोड़)	1.46	1.53	
3. अवसंरचना का अनुरक्षण - उप-केंद्र - ₹96.58 करोड़)	96.58		
4. भारत कोविड 19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (डीबीएस)			
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹1218.53 करोड़ (सामान्य - ₹852.97 करोड़, अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक - ₹243.71, जनजातीय उप क्षेत्र योजना - ₹121.85 करोड़)	1218.53		
5. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मानव संसाधन - नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों में वृद्धि (₹163.50 करोड़)।		163.50	
कुल	1360.64	165.03	0.00
कुल - मुख्य शीर्ष 2210 और 2552	4219.73	683.79	710.00

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

Annexure

(Rs. in Crores)			
DETAILS OF MAJOR HEAD(S)	GIA (G)	GIA (CA)	GIA(S)
Major Head 2210			
1. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi - ₹ 4.64 crore (GBS)	4.64		
2. Grants to State AIDS Control Societies (₹ 9.50 Crore)	9.50		
3. Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)			
i. Setting up of 150 bedded Critical Care Hospital Blocks in 12 Central Institutions (₹160.00 Cr.)		160.00	
2. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi - ₹ 110 crore (NIF)			110.00
3.Grants to Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (NIF) (₹ 543.00 Cr.)	225.00	318.00	0.00
4.Regional Post-graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education and Research, Puducherry (NIF) (₹ 40.01 Cr.)		40.01	
5.Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) (₹ 600.00 Cr.)			600.00
6.National Digital Health Mission ₹ 45.00 crore)	45.00		
7..Health Sector Disaster Preparedness and Response (₹ 0.07 Cr.)	0.07		
8. National Oral Health Programme - ₹ 11.61 Crore	11.61		
19. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi. (₹ 4.75 Crore)	4.00	0.75	
5.Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY) - Repayment of HEFA Loan -₹ 2559.27 Cr.)	2559.27		
Total	2859.09	518.76	710.00
MAJOR HEAD 2552 - North-Eastern Areas			
1. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (₹.44.07 Cr)	44.07		
2. Assistance for Capacity Building for Trauma Centres (₹. 2.99 Cr.)	1.46	1.53	
3.infrastructure Maintenance - Sub-Centre - ₹ 96.58 crore)	96.58		
4. India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness package (DBS)			
i. National Rural Health Mission (₹1218.53 Cr. (General - ₹ 852.97 Cr., Special Component for Scheduled Castes - ₹ 243.71, Tribal Sub Area Plan - ₹ 121.85 Cr.)	1218.53		
5. Human Resources for Health and Medical Education - Establishment of New Medical Colleges and Increase in Seats in existing Government Medical Colleges (₹ 163.50 Cr.)		163.50	
Total	1360.64	165.03	0.00
Total - Major Head 2210 and 2552	4219.73	683.79	710.00

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 42 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	927.85	927.85
पूंजी	Capital	...	67.42	67.42
जोड़	Total	...	995.27	995.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	185.71	185.71
पूंजी	Capital	...	110.07	110.07
जोड़	Total	...	295.78	295.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1291.06	1291.06
राजस्व	Revenue	...	1113.57	1113.57
पूंजी	Capital	...	177.49	177.49
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'फेम इंडिया (भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों) के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (256.65 करोड़ ₹.), जिसमें से 200.00 करोड़ रुपए सीएफआई अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए हैं।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grant-in-aid General (₹ 256.65 crore) under the scheme 'Scheme for Faster Adoption and manufacturing of (Hybrid and Electric Vehicle in India) FAME India'. Out of which ₹ 200.00 crore is for recoupment of CFI Advance.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 46 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	8.02	95424.05	95432.07
पूंजी	Capital	8.32	9721.72	9730.04
जोड़	Total	16.34	105145.77	105162.11
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	3.10	5445.33	5448.43
पूंजी	Capital	1.60	0.02	1.62
जोड़	Total	4.70	5445.35	5450.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1480.00	1480.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1480.01	1480.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	21.04	112071.13	112092.17
राजस्व	Revenue	11.12	102349.38	102360.50
पूंजी	Capital	9.92	9721.75	9731.67
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	1000.00	(क) 1000.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	480.00	(ख) 480.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1480.00	1480.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1480.01	1480.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) अन्य शुल्कों के तहत महिला हेल्प डेस्क सहित मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ (1.52 करोड़ रुपये); (ii) सामान्य सहायता अनुदान के तहत पुलिस स्टेशनों और महिला सुरक्षा परियोजनाओं में महिला सहायता डेस्क सहित मानव तस्करी विरोधी इकाइयों के लिए बिना विधानमंडल के केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान (₹. 0.45 करोड़) और (iii) कार्यालय व्यय के तहत दिल्ली पुलिस (₹. 60.00 करोड़), लघु कार्य (50.00 करोड़ रुपये) और व्यावसायिक सेवाएं (1416.98 करोड़ रुपये), चिकित्सा उपचार (50.00 करोड़ रुपये)
- राशि के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए ₹. 1000 करोड़) और अनुदान के एक ही खंड के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) सहायता अनुदान (जीआईए)-सामान्य के तहत जम्मू और कश्मीर (जम्मू और कश्मीर) के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआईए) - सामान्य (600 करोड़ रुपये) और (ii) सहायता अनुदान (जीआईए)-सामान्य के तहत जम्मू-कश्मीर की राहत और पुनर्वास (723.74 करोड़ ₹)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Anti Human Trafficking Units including Women Help Desks under Other Charges (₹ 1.52 crore); (ii) Grants to Union Territories without Legislature for Anti Human Trafficking Units including Women Help Desks in Police Stations and Women Safety Projects under Grants-in-aid General (₹ 0.45 crore) and (iii) Delhi Police under Office Expenses (₹ 60.00 crore), Minor Works (₹ 50.00 crore) and Professional Services (₹ 1416.98 crore), Medical Treatment (₹ 50.00 crore).
- Taking into account the surrender of savings (₹ 1000 crore) available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) (i) Security Related Expenditure(SRE) for the Union Territory(UT) of Jammu & Kashmir(J&K) under Grants-in-aid(GIA)- General (₹ 600 crore) and (ii) Relief & Rehabilitation of UT of J&K under GIA-General(₹ 723.74 crore).

खाते में रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए। अनुदान के निर्भया कोष (राजस्व अनुभाग) में उपलब्ध 480 करोड़, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

- (ग) (i) प्रमुख कार्यों के तहत भारत-बांग्लादेश सीमा पर सड़कों का निर्माण (3.00 करोड़ रुपये), (ii) भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा चौकी का निर्माण (94.19 करोड़ रुपये), (iii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पहल दिल्ली पुलिस आवास (26.00 करोड़ रुपये), आवासीय भवन के तहत दिल्ली पुलिस (50.00 करोड़ रुपये) और (v) मशीनरी और उपकरण-सामान्य के तहत सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (9.32 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the surrender of savings of ₹ 480 crore available in Nirbhaya Fund of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting expenditure towards (i) Construction of Roads along Indo-Bangladesh Border under Major Works (₹ 3.00 crore), (ii) Construction of Border Outpost along Indo-Bangladesh Border (₹ 94.19 crore), (iii) Public Private Partnership (PPP) initiative on Delhi Police Housing (₹ 26.00 crore), Delhi Police under Residential Building (₹ 50.00 crore) and (v) Shashastra Seema Bal (SSB) under Machinery and Equipments (₹ 9.32 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 51
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)
(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 48 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	4721.23	4721.24
पूंजी	Capital	...	666.17	666.17
जोड़	Total	0.01	5387.40	5387.41
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	588.23	588.23
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	588.23	588.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	154.14	154.14
पूंजी	Capital	...	0.17	0.17
जोड़	Total	...	154.31	154.31
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	6129.94	6129.95
राजस्व	Revenue	0.01	5463.60	5463.61
पूंजी	Capital	...	666.34	666.34
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	90.00	(का) 90.00
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(खb) 0.01
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01	(गc) 0.01
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes	...	0.01	(घd) 0.01
2702-लघु सिंचाई	2702-Minor Irrigation	...	0.01	(ङe) 0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	64.08	(चf) 64.08
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	0.01	(छg) 0.01
3225-दूरसंचार सेवाएं	3225-Telecommunication Services	...	0.01	(जh) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	154.14	154.14
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(झi) 0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(टj) 0.01
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	(ठk) 0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(डl) 0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01	(ढm) 0.01
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	4215-Capital Outlay on Water Supply and Sanitation	...	0.01	(णn) 0.01
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(तo) 0.01
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	0.01	(थp) 0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(दq) 0.01
4405-मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries	...	0.01	(धr) 0.01
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01	(नs) 0.01
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजी परिव्यय	4515-Capital Outlay on Other Rural Development Programmes	...	0.01	(पt) 0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	(फu) 0.01
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	0.01	(बv) 0.01
5054-सड़क और प्लॉ पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(भw) 0.01
5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	5055-Capital Outlay on Road Transport	...	0.01	(मx) 0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.01	(यy) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.17	0.17
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	154.31	154.31

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के अनुदान के अंतर्गत 'स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट' (80.00 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल परिषद के कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, पेंशन आदि के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (रु. 10.00 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) वेतन सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.49 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

(ग) दिहाड़ी मजदूर हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (0.04 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

(घ) किसानों को उर्वरक सब्सिडी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.76 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

(ङ) अप्रोड सिंचाई के विकास के लिए सब्सिडी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.28 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

(च) एचएसडी की लागत में वृद्धि और इसकी लंबित देनदारियों, डीजी सेटों आदि के रखरखाव, अतिरिक्त कल-पूजों के लिए और सेवा शुल्क के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(छ) दिहाड़ी मजदूर के भुगतान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (0.23 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

(ज) उपग्रह ट्रांसपोंडर (628.57 करोड़ रुपये) और चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पनडुब्बी केबल (46.84 करोड़ रुपये) को किराए पर लेने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

(झ) निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय (3.20 करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

(ट) निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय (3.05 करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

(ठ) वाहनों की खरीद के अतिरिक्त व्यय (1.79 करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

(ड) निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.30 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

(ढ) निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (3.71 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

(ण) निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (11.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards 'Smart City Project' under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 80.00 crore) and under Grant-in-Aid Salaries to meet the expenditure towards salary, wages, pension, etc. of employees of the Port Blair Municipal Council (₹ 10.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid Salaries (₹ 0.49 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards daily wagers (₹ 0.04 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards fertilizer subsidy to farmers (₹ 0.76 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards subsidies for development of minor irrigation (₹ 0.28 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards increase in the cost of HSD and its pending liabilities, Spares & service charges for maintenance of DG sets, etc.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

meeting expenditure towards payment to daily wagers (₹ 0.23 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards hiring of satellite transponders (₹ 628.57 crore) and Chennai-Andaman & Nicobar Islands submarine cable (₹ 46.84 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards construction works (₹ 3.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards construction works (₹ 3.05 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards purchase of Vehicles (₹ 1.79 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards construction works (₹ 0.30 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting additional expenditure towards construction works (₹ 3.71 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

meeting expenditure towards construction works (₹ 11.00 crore).

(त)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.05 करोड़ रुपये)।	(o)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards construction works (₹ 0.05 crore).
(थ)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (1.34 करोड़ रुपये)।	(p)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards construction works (₹ 1.34 crore).
(द)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है विभिन्न निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (2.50 करोड़ रुपये)।	(q)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards various construction works (₹ 2.50 crore).
(ध)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है मशीनरी और उपस्कर हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.10 करोड़ रुपये)।	(r)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards Machinery and Equipment (₹ 0.10 crore).
(न)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है विभिन्न निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (1.22 करोड़ रुपये)।	(s)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards various construction works (₹ 1.09 crore).
(प)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.50 करोड़ रुपये)।	(t)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards construction works (₹ 0.50 crore).
(फ)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है स्मार्ट मीटरों की स्थापना (16.96 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत निर्माण से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.10 करोड़ रुपये)	(u)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards installation of Smart Meters (₹ 16.96 crore) and for construction related works under Tribal Area Sub Plan (₹ 0.10 crore)
(ब)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय का पूरा करने के लिए (0.07 करोड़ रु.)	(v)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards construction works under Tribal Area Sub Plan (₹ 0.07 crore) .
(भ)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है जिला और अन्य सड़कों के अंतर्गत निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (2.00 करोड़ रु.)	(w)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards construction works under District and Other Roads (₹ 2.00 crore).
(म)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है निर्माण कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए (2.00 करोड़ रुपये)।	(x)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting expenditure towards construction works (₹ 2.00 crore).
(य)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है विभिन्न निर्माण कार्यों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.04 करोड़)।	(y)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional expenditure towards various construction works (0.04 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 52

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	37.56	4530.11	4567.67
पूंजी	Capital	110.00	508.45	618.45
जोड़	Total	147.56	5038.56	5186.12
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.09	0.09
पूंजी	Capital	...	0.07	0.07
जोड़	Total	...	0.16	0.16
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	147.56	5038.72	5186.28
राजस्व	Revenue	37.56	4530.20	4567.76
पूंजी	Capital	110.00	508.52	618.52

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.01	(का)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	(खb)	0.01
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	0.01	(गc)	0.01
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01	(घd)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	(ङe)	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	(चf)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	(छg)	0.01
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	(जh)	0.01
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	0.01	(झi)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.09		0.09
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(टj)	0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(ठk)	0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01	(डl)	0.01
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	0.01	(ढm)	0.01
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	...	0.01	(णn)	0.01
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01	(तo)	0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.01	(थp)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.07		0.07
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.16		0.16

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) छठा पंजाब वेतन आयोग लागू होने के बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.29 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) चंडीगढ़ सेवा अधिकार आयोग के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना .रु) 0.03 करोड़)

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards increase in Salary of staff of the State Legal Service Authority on implementation of 6th Punjab Pay Commission (₹ 0.29 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards Chandigarh Right to Service Commission (₹ 0.03 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	खेल विभाग के विभिन्न टूर्नामेंटों के लिए नकद पुरस्कारों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (5.15 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)	meeting additional expenditure towards Awards for various tournaments of the Sports Department (₹ 5.15 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.51 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(d)	meeting additional expenditure towards construction work (₹ 1.51 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़ में जीवन रक्षक दवाओं, गैसों आदि की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (6.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(e)	meeting additional expenditure towards procurement of life saving drugs, gases, etc. in Government Medical College, Chandigarh (₹ 6.00 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	नगर निगम, चंडीगढ़ के विभिन्न भुगतानों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (30.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(f)	meeting additional expenditure towards various payments of Municipal Corporation, Chandigarh (₹ 30.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	वृद्ध और निराश्रित लोगों के लिए घर चलाने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(g)	meeting additional expenditure towards running, Home for Old and Destitute People (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	छठा पंजाब वेतन आयोग लागू होने के बाद चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़ के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए अतिरिक्त खर्च को पूरा करना (0.26 करोड़ रुपये) इत्यादि। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(h)	meeting additional expenditure towards increase in Salary of staff of Chandigarh Institute of Hotel Management & Catering Technology on implementation of 6th Punjab Pay Commission, etc. (₹ 0.26 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	चंडीगढ़ सिटी बस सेवा सोसायटी के प्रति अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। (₹ 1.50 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(i)	meeting additional expenditure towards Chandigarh City Bus Service Society (₹ 1.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	नए वाहन खरीदने और चंडीगढ़ सशस्त्र पुलिस परिसर में 432 घरों के निर्माण के लिए (25.51 करोड़ रुपये) के लिए पुलिस विभाग की ओर से अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (5.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(j)	meeting additional expenditure towards purchase of vehicles (₹ 5.50 crore) and construction of 432 houses in Chandigarh Armed Police Complex (₹ 25.51 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ठ)	निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.13 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(k)	meeting additional expenditure towards construction works (₹ 0.13 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (3.18 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(l)	meeting additional expenditure towards various developmental works (₹ 3.18 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ढ)	विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(m)	meeting additional expenditure towards various construction works (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ण)	विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (₹ 0.11 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(n)	meeting additional expenditure towards development works (₹ 0.11 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(त)	बर्ड पार्क, चंडीगढ़ के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.30 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(o)	meeting additional expenditure towards construction of Bird Park (₹ 0.30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(थ)	पर्यावरण भवन के विभिन्न विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.15 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(p)	meeting additional expenditure towards developmental work of Paryavaran Bhawan (₹ 0.15 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव

DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 49 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2798.76	2798.76
पूंजी	Capital	...	764.83	764.83
जोड़	Total	...	3563.59	3563.59
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	108.24	108.24
जोड़	Total	...	108.28	108.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3671.88	3671.88
राजस्व	Revenue	...	2798.81	2798.81
पूंजी	Capital	...	873.07	873.07
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सिलवासा नगर परिषद को भूमि अधिग्रहण (202.84 करोड़ रुपये) की पूंजीगत आस्ति के सृजन हेतु अनुदान जारी करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards grants for creation of capital assets to Silvassa Municipal Council for land acquisition (₹ 202.84 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 54

लद्दाख
LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 51 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2331.64	2331.64
पूंजी	Capital	...	3626.36	3626.36
जोड़	Total	...	5958.00	5958.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.14	0.14
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.16	0.16
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1265.65	1265.65
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1265.65	1265.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7223.81	7223.81
राजस्व	Revenue	...	3597.43	3597.43
पूंजी	Capital	...	3626.38	3626.38
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	1265.65	1265.65

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

लद्दाख संघ शासित प्रदेश के कर्मचारियों को जीपीएफ बकाया (1242.00 करोड़ रुपये), राज्य जीवन बीमा प्रीमियम बकाया (15.00 करोड़ रुपये) और एनपीएस बकाया (8.65 करोड़ रुपये) के अंतरण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा;

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards payment of dues for GPF (₹ 1242.00 crore), State Life Insurance Premium (₹ 15.00 crore) and NPS (₹ 8.65 crore) of the UT of Ladakh employees. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 56

दिल्ली को अंतरण

TRANSFERS TO DELHI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	957.50	957.50
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	957.51	957.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	72.50	72.50
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	72.50	72.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1030.01	1030.01
राजस्व	Revenue	...	1030.00	1030.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	72.50	72.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संघ शासित आपदा मोचन निधि (70.00 करोड़ रुपये) के अंशदान और 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजे (2.50 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा;

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards contribution to Union Territory Disaster Response Fund (₹ 70.00 crore) and compensation to 1984 riots victims (₹ 2.50 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 57

जम्मू और कश्मीर को अंतरण

TRANSFERS TO JAMMU AND KASHMIR

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	30757.00	30757.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	30757.00	30757.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3989.18	3989.18
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	3989.18	3989.18
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	34746.18	34746.18
राजस्व	Revenue	...	34746.18	34746.18
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	3989.18	3989.18

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु एक बार की सहायता (2500.00 करोड़ ₹.), वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईजीएसटी के अविभाजित भाग (41.72 करोड़ ₹.), क्षतिग्रस्त अवसंरचना के स्थायी पुनः उद्धार के लिए अनुदान (647.46 करोड़ ₹.), 624 मेगावाट किरू एचईपी में इक्विटी योगदान के लिए अनुदान (300.00 करोड़ ₹.), रेटल 800 मेगावाट एचईपी में इक्विटी के लिए अनुदान और संघ शासित क्षेत्र के पूंजीगत व्यय (200.00 करोड़ ₹.) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।
इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards one time support for payment of Dearness Allowance (₹ 2500.00 crore), un-apportioned share of IGST for FY 2018-19 (₹ 41.72 crore), Grants for Permanent Restoration of Damaged Infrastructure (₹ 647.46 crore), Grants for equity contribution in 624 MW Kiru HEP (₹ 300.00 crore), Grants for equity in Ratle 800 MW HEP (₹ 300.00 crore) and Capital Expenditure of UT (₹ 200.00 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58

पुडुचेरी को अंतरण

TRANSFERS TO PUDUCHERRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1729.78	1729.78
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1729.79	1729.79
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	150.00	150.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	150.00	150.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1879.79	1879.79
राजस्व	Revenue	...	1879.78	1879.78
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	150.00	150.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संघ शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना (150.00 करोड़ रुपये)।

इसमें नकद व्यय होगा;

The supplementary Grant is required for:

providing Central Assistance to the Union Territories (₹ 150.00 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 52 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	106.85	36885.14	36991.99
पूंजी	Capital	35.07	25723.95	25759.02
जोड़	Total	141.92	62609.09	62751.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	14102.01	14102.01
पूंजी	Capital	...	115.03	115.03
जोड़	Total	...	14217.04	14217.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	30232.70	30232.70
पूंजी	Capital	...	82.47	82.47
जोड़	Total	...	30315.17	30315.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	141.92	107141.30	107283.22
राजस्व	Revenue	106.85	81219.85	81326.70
पूंजी	Capital	35.07	25921.45	25956.52
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	63.00 (का)	63.00
2216-आवास	2216-Housing	...	30169.69 (खब)	30169.69
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	30232.70	30232.70
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (घद)	0.01
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	82.46 (डे)	82.46
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	82.47	82.47
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	30315.17	30315.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) आरआरटी के तहत वैधानिक निकाय को सेवा शुल्क, संपत्ति कर का भुगतान (₹ 50 करोड़) और (ii) छोटे कार्यों के तहत स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित लंबित बिलों का निपटान (₹13 करोड़) उपरोक्त व्यय के लिए नकद परिव्यय होगा।
- (ख) (i) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणी के लिए लक्षित क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) आवासों की बैठक (3443.70 करोड़ रुपये), (ii) पीएमएवाई (यू) (33,000 करोड़ रुपये), (iii) सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) के रखरखाव और मरम्मत के लिए ईबीआर के माध्यम से राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी) द्वारा लिए गए ऋण का निपटान। आरआरटी के तहत जीपीआरए भवनों के संबंध में माइनर वर्क्स (198 करोड़ रुपये) और (iv) सेवा शुल्क का भुगतान, सांविधिक निकायों को संपत्ति कर का भुगतान (125.27 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इस पर नकद परिव्यय होगा (30169.69 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) payment of service charges, property taxes to statutory body under RRT (₹ 50 crore) and (ii) settlement of pending bills under Minor Works (₹13 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo.
- (b) (i) meeting targeted Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) houses for Economically Weaker Section (EWS)/Lower Income Group (LIG) category under Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban (PMAY-U) under Subsidy (₹ 3443.70 crore), (ii) to repay the loan taken by Building Materials and Technology Promotion Council (BMTPC) from National Small Saving Fund (NSSF) for PMAY(U) under Grants-in-aid-General (₹ 33,000 crore), (iii) maintenance and repairs of General Pool Residential Accommodation (GPRA) buildings under Minor Works (₹ 198 crore) and (iv) payment of service charges, property tax to statutory bodies in respect of GPRA buildings under RRT (₹ 125.27 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo (₹ 30169.69 crore).

(ग)	(i) अंशदान (115 करोड़ रुपये) के तहत प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में वृद्धि को पूरा करना और (ii) जीआईए जनरल के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई) - एनयूएलएम योजना (₹ 45.50 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)	(i) meeting the increase in Non-Performing Asset(NPA) under the Prime Minister's Street Vendors' Atmanirbhar Nidhi (PM SVANIDHI) scheme under Contribution (₹ 115 crore) and (ii) Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM) Scheme under GIA General (₹ 45.50 crore).
(घ)	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) कार्यालय, कोलकाता के भूमि उपयोग में परिवर्तन और कार्यालय भवन के निर्माण के लिए शुल्क जमा करने और प्रमुख कार्यों के तहत भुवनेश्वर, रांची, अगरतला और शिलांग की लंबित देनदारियों को पूरा करने के लिए व्यय को पूरा करना 21.00 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(d)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting expenditure for deposition of charges for change of land use and construction of office building of Director General, Geological Survey of India (GSI) Office, Kolkata and also to clear pending liabilities of Bhubaneshwar, Ranchi, Agartala and Shillong under Major Works(₹ 21.00 crore).
(ङ)	प्रमुख कार्यों के तहत जीपीआरए भवनों के संबंध में कई चल रहे कार्य (100 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इस पर नकद परिव्यय होगा(82.46 करोड़ रुपये)	(e)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. ongoing works in respect of GPRA buildings under Major Works(₹ 100 crore). Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo(₹ 82.46 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 55 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8756.92	8756.92
पूंजी	Capital	...	344.77	344.77
जोड़	Total	...	9101.69	9101.69
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8836.15	8836.15
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	8836.17	8836.17
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.06	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	17937.92	17937.92
राजस्व	Revenue	...	17593.11	17593.11
पूंजी	Capital	...	344.81	344.81
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2700-वृहत सिंचाई	2700-Major Irrigation	...	0.01 (खब)	0.01
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	0.01 (गक)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4701-वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	4701-Capital Outlay on Major and Medium Irrigation	...	0.01 (डे)	0.01
4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	4702-Capital Outlay on Minor Irrigation	...	0.01 (चफ)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.06	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी' (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (130.50 करोड़ रुपये)। (ii) नदी बेसिन प्रबंधन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (9.50 करोड़ रुपये)। (iii) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (1.70 करोड़ रुपये)। (iv) 'बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (13.14 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) 'नदियों को आपस में जोड़ने' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (4783.55 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) 'राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान' के लिए सामान्य सहायता अनुदान (0.70 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants for creation of Capital Assets under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana-Har Khet Ko Pani (PMKSY-HKKP) (₹ 130.50 crore). (ii) Grants-in-aid General for River Basin Management (₹ 9.50 crore). (iii) Grants-in-aid General to North Eastern Regional Institute of Water and Land Management (₹ 1.70 crore). (iv) Grants-in-aid General under Flood Management and Border Area Programme (₹ 13.14 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid General (₹ 10 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 4783.55 crore) under Interlinking of Rivers.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid Salaries for National Institute of Hydrology (₹ 0.70 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(घ)	विदर्भ और मराठवाड़ा जिलों में कृषि जिलों को संबोधित करने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज और शेष महाराष्ट्र के अन्य कालानुक्रमिक सूखा प्रवण क्षेत्रों के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (200 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(d)	Grants for creation of Capital Assets under Special Package for Irrigation Projects to address Agrarian Districts in districts of Vidharbha and Marathawada and other chronically drought prone areas of rest of Maharashtra (₹ 200 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	'केंद्रीय जल आयोग' के लिए 'प्रमुख कार्य' (4.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(e)	Major Works for Central Water Commission (₹ 4.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	'राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान' के लिए 'मशीनरी और उपकरण' (0.03 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(f)	Machinery & Equipment for Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute (₹ 0.03 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 63

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)
(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 58 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	13269.37	13269.37
पूंजी	Capital	...	37.13	37.13
जोड़	Total	...	13306.50	13306.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	951.35	951.35
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	951.35	951.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	10260.62	10260.62
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	10260.62	10260.62
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	24518.47	24518.47
राजस्व	Revenue	...	24481.34	24481.34
पूंजी	Capital	...	37.13	37.13
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	9210.55 (का)	9210.55
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	1050.07 (खब)	1050.07
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	10260.62	10260.62

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	(क) 'कर्मचारी पेंशन योजना, 1995' योजना के अंतर्गत योगदान (9895.63 करोड़ रु.) और सामान्य सहायता अनुदान (121.92 करोड़ रु.)।	(a)	Contribution (₹ 9895.63 crore) and Grants-in-aid General (₹ 121.92 crore) under the scheme 'Employees' Pension Scheme, 1995'.
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय होगा (9210.55 करोड़ रु.)		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo (₹ 9210.55 crore).
(ख)	(ख) 'कर्मचारी पेंशन योजना, 1995' योजना के अंतर्गत योगदान (रु.1099.57 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (रु.13.50 करोड़)।	(b)	Contribution (₹ 1099.57 crore) and Grants-in-aid General (₹ 13.50 crore) under the scheme 'Employees' Pension Scheme, 1995'.
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय होगा (1050.07 करोड़ रु.)		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo (₹ 1050.07 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 59 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1745.82	1745.82
पूंजी	Capital	...	1100.00	1100.00
जोड़	Total	...	2845.82	2845.82
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1535.25	1535.25
पूंजी	Capital	...	22.00	22.00
जोड़	Total	...	1557.25	1557.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4403.08	4403.08
राजस्व	Revenue	...	3281.08	3281.08
पूंजी	Capital	...	1122.00	1122.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (i) अदालतों के डिजिटलीकरण के लिए कार्यालय व्यय (4.00 करोड़ रुपये) और व्यावसायिक सेवा (1.00 करोड़ रुपये) और (ii) सांसदों/विधायक से जुड़े आपराधिक मामलों के परीक्षण के लिए गठित विशेष न्यायालयों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (1.08 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure on (i) Office Expenses (₹ 4.00 crore) and Professional Service (₹ 1.00 crore) for digitization of courts and (ii) Grants-in-aid- General for Special Courts constituted for trial of criminal cases involving MPs/MLAs (₹ 1.08 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 67

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 62 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	15329.65	15329.65
पूंजी	Capital	...	370.00	370.00
जोड़	Total	...	15699.65	15699.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	15699.71	15699.71
राजस्व	Revenue	...	15329.71	15329.71
पूंजी	Capital	...	370.00	370.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(का) 0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' योजना के तहत सब्सिडी (54.00 करोड़ रुपये) और (ii) 'ग्रामोद्योग विकास योजना' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.47 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) (i) 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत सब्सिडी (488.84 करोड़ रुपये), (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (0.49 करोड़ रुपये) और 'ग्रामोद्योग विकास योजना' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (3.74 करोड़ रुपये), (iii) 'सर्वेक्षण अध्ययन और नीति अनुसंधान' के अंतर्गत अन्य प्रशासनिक व्यय (0.50 करोड़ रुपये) और व्यावसायिक सेवाएं (0.50 करोड़ रुपये) योजना और (iv) 'एस्पायर' (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देना) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये)।

अनुदान के भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Subsidies (₹ 54.00 crore) under the Scheme 'Prime Minister Employment Generation Programme' and (ii) Grants-in-aid General (₹ 0.47 crore) under the Scheme 'Gramodyog Vikas Yojana'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Subsidies (₹ 488.84 crore) under the scheme 'Prime Minister Employment Generation Programme', (ii) Grant for Creation of Capital Assets (₹ 0.49 crore) and Grants-in-aid General (₹ 3.74 crore) under the scheme 'Gramodyog Vikas Yojana', (iii) Other Administrative Expenses (₹ 0.50 crore) and Professional Services (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Survey Studies and Policy Research' and (iv) Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) under the scheme 'ASPIRE (Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)
(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 63 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1498.49	1498.49
पूंजी	Capital	...	68.33	68.33
जोड़	Total	...	1566.82	1566.82
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	25.00	25.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	25.00	25.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2786.57	2786.57
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2786.57	2786.57
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4378.39	4378.39
राजस्व	Revenue	...	4310.06	4310.06
पूंजी	Capital	...	68.33	68.33
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	7.75 (का)	7.75
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	2778.82 (खब)	2778.82
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2786.57	2786.57

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'सचिवालय' के तहत व्यावसायिक सेवाएं (7.75 करोड़ रुपये)।
उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;
- (ख) (i) 'राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निधि गतिविधियां' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2794.47 करोड़ रुपये) और (ii) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (7.00 करोड़ रुपये) '।

अनुदान के पूंजी खंड (7.00 करोड़ रुपये) में उपलब्ध बचत के समर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के उसी खंड के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में नकद व्यय (2771.82 करोड़ रुपये) होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Professional Services (₹ 7.75 crore) under 'Secretariat'.
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) (i) Grants-in-Aid General (₹ 2794.47 crore) under the scheme 'National Mineral Exploration Trust Fund Activities' and (ii) Grants-in-Aid General (₹ 7.00 crore) under the scheme 'Geological Survey of India Activities'.
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 7.00 crore), and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo (₹ 2771.82 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 70 नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)
(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 65 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5743.00	5743.00
पूंजी	Capital	...	10.00	10.00
जोड़	Total	...	5753.00	5753.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	100.00	100.00
जोड़	Total	...	100.00	100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	2500.00	2500.00
जोड़	Total	...	2500.01	2500.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8353.01	8353.01
राजस्व	Revenue	...	5743.01	5743.01
पूंजी	Capital	...	2610.00	2610.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4810-Capital Outlay on New and Renewable Energy	...	2500.00 (खब)	2500.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2500.01	2500.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 'सौर ऊर्जा' (ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर), के तहत 'पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान' (₹ 107.13 करोड़ रुपये) और 'बायो पावर' (ऑफ-ग्रिड) पर व्यय को पूरा करने हेतु 'सामान्य सहायता अनुदान' (0.20 करोड़ रुपये) और सहायक कार्यक्रमों के तहत 'सूचना, शिक्षा और संचार' हेतु सामान्य सहायता अनुदान (0.40 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) (1500 करोड़ रुपये) और भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) (1000 करोड़ रुपये) में पूंजी निवेश/इक्विटी निवेश। इससे अतिरिक्त नकदी खर्च होगी।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure on 'Grants-in-aid for creation of Capital Assets' (₹ 107.13 crore) under 'Solar Power' (Grid Interactive Renewable Power), 'Grants-in-aid General' for 'Bio Power' (Off-Grid) (₹ 0.20 crore) and for 'Information, Education and Communication' (₹ 0.40 crore) under Supporting Programmes. Taking into account savings available in same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

(b) infusing capital/equity investment in Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) (₹ 1500 crore) and Solar Energy Corporation of India (SECI) (₹ 1000 crore). This will entail additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 71

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	913.43	913.43
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	913.43	913.43
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	913.44	913.44
राजस्व	Revenue	...	913.44	913.44
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत 'पंचायतों के प्रोत्साहन' के लिए सामान्य सहायता अनुदान (4.78 करोड़ रुपये) प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

providing Grants-in-Aid General (₹ 4.78 crore) for 'Incentivisation of Panchayats', under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA). Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 66 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
	(₹ करोड़) (In ₹ crores)			
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	30.28	1829.93	1860.21
पूंजी	Capital	11.65	186.71	198.36
जोड़	Total	41.93	2016.64	2058.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	41.93	2016.72	2058.65
राजस्व	Revenue	30.28	1829.99	1860.27
पूंजी	Capital	11.65	186.73	198.38

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	2055-Police	...	0.01	(क)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	(ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(ग)	0.01
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(घ)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02		0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.04		0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए सहायता अनुदान (जीआईए जनरल) के तहत व्यय को पूरा करना (₹. 0.07 करोड़)।
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (जीआईए) (1.26 करोड़ रुपये), जीआईए-वेतन (2.20 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (0.42 करोड़ रुपये) और (ii) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नंस (एनसीजीजी) के तहत जीआईए-जनरल (0.10 करोड़ रुपये) और जीआईए-वेतन (0.30 करोड़ रुपये)।
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) प्रमुख कार्यों के तहत सीबीआई के प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए व्यय को पूरा करना (2.00 करोड़ रुपये)।
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) राष्ट्रीय सिविल सेवा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) के लिए निवेश शीर्ष (20 करोड़ रुपये) के तहत स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में इक्विटी घटक का समावेश।
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting the expenditure under Grants-in-aid-General (GIA General) for Central Bureau of Investigation(CBI) (₹ 0.07 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Indian Institute of Public Administration (IIPA) under Grants-in-aid(GIA)-General (₹ 1.26 crore), GIA-Salaries(₹ 2.20 crore) and Grants for Creation of Capital Assets(₹ 0.42 crore) and (ii) National Centre for Good Governance(NCGG) under GIA-General (₹ 0.10 crore) and GIA-Salaries(₹ 0.30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting expenditure for Modernisation of Training Centres of CBI under Major Works(₹ 2.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) infusion of equity component in Special Purpose Vehicle (SPV) for National Programme for Civil Services & Capacity Buildings (NPCSCB) under Investment heads (₹ 20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 75
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 67 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	15866.78	15866.78
पूंजी	Capital	...	427.00	427.00
जोड़	Total	...	16293.78	16293.78
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	350.01	350.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	350.01	350.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	16643.80	16643.80
राजस्व	Revenue	...	16216.80	16216.80
पूंजी	Capital	...	427.00	427.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

केरोसिन के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) (17.00 करोड़ रुपये) और 'फूलपुर धामरा हल्दिया पाइपलाइन परियोजना' (339.55 करोड़ रुपये) के तहत धन उपलब्ध कराना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

providing funds under Direct Benefit Transfer (DBT) for Kerosene (₹ 17.00 crore) and for 'Phulpur Dhamra Haldia Pipeline Project' (₹ 339.55 crore).
Taking into account savings available in same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 76

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)
(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 68 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1061.99	1061.99
पूंजी	Capital	...	0.78	0.78
जोड़	Total	...	1062.77	1062.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8.01	8.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	8.01	8.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1070.79	1070.79
राजस्व	Revenue	...	1070.01	1070.01
पूंजी	Capital	...	0.78	0.78
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (4.57 करोड़ रुपये) ।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for Atal Innovation Mission (AIM) including Self Employment and Talent Utilization (SETU) (₹ 4.57 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 77

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 69 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 69 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1859.35	1859.35
पूंजी	Capital	...	353.00	353.00
जोड़	Total	...	2212.35	2212.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	402.35	402.35
जोड़	Total	...	402.37	402.37
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2614.74	2614.74
राजस्व	Revenue	...	1859.39	1859.39
पूंजी	Capital	...	755.35	755.35
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (का)	0.01
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	84.80 (ग)	84.80
5056-अंतर्देशीय और जल परिवहन पर पूंजी परिव्यय	5056-Capital Outlay on Inland Water Transport	...	317.55 (घ)	317.55
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	402.35	402.35
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	402.37	402.37

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अनुसंधान और विकास योजनाओं (जहाज निर्माण) के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹3.94 करोड़)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) सागरमाला के तहत पूंजीगत आस्ति के सृजन हेतु अनुदान (77.39 करोड़ रुपये)। (ii) लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय (डीजीएलएल) के तहत सामान्य रिजर्व फंड (60.22 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत निवेश (84.80 करोड़ रुपये)। राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। उपरोक्त व्यय के लिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत निवेश (383 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत (317.55 करोड़ रुपये) के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के उसी खंड के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद सांकेतिक पूरक मांगा जाता है। उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grants-in-aid General (₹ 3.94 crore) under Research and Development Schemes (Shipbuilding). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a Token Supplementary is sought.
- (b) (i) Grants for creation of Capital Assets (₹ 77.39 crore) under Sagarmala. (ii) General Reserve Fund (₹ 60.22 crore) under Directorate General of Lighthouses and Lightships (DGLL). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Investment (₹ 84.80 crore) under Inland Waterways Authority of India. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any cash outgo.
- (d) Investment (₹ 383 crore) under Inland Waterways Authority of India. Taking into account the surrender of savings (₹ 317.55 crore) available in the Revenue Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 78

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)
(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 70 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	17727.03	17727.03
पूंजी	Capital	...	3180.77	3180.77
जोड़	Total	...	20907.80	20907.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	70.01	70.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	70.01	70.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2296.04	2296.04
पूंजी	Capital	...	1277.54	1277.54
जोड़	Total	...	3573.58	3573.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	24551.39	24551.39
राजस्व	Revenue	...	20093.08	20093.08
पूंजी	Capital	...	4458.31	4458.31
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	204.50 (का)	204.50
2801-विद्युत	2801-Power	...	2091.54 (खब)	2091.54
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2296.04	2296.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	10.00 (गक)	10.00
6552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	6552-Loans for North Eastern Areas	...	3.54 (घद)	3.54
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	...	1264.00 (डे)	1264.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1277.54	1277.54
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	3573.58	3573.58

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) "दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)" योजना के तहत पूंजीगत आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (204.50 करोड़ रुपये) प्रतिबद्ध देनदारियां हैं। इससे नकद परिव्यय होगा।
- (ख) "दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)" योजना के तहत पूंजीगत आस्ति (1412.21 करोड़ रुपये) के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना; "विद्युत प्रणाली विकास निधि योजना (₹ 200.00 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्ति के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना; और "सुधार से जुड़ी वितरण योजना (₹ 479.76 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्ति के सृजन हेतु अनुदान। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.43 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के पूंजीगत भाग के तहत ₹ 479.33 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण का उपयोग करने के बाद, प्रस्ताव में ₹ 1612.21 करोड़ का नकद परिव्यय होगा।
- (ग) "हरित ऊर्जा गलियारा" (3.21 करोड़ रुपये) और "सक्षम अवसंरचना यानी सड़कों / पुलों की लागत के लिए समर्थन" (₹ 10.00 करोड़) के तहत धन प्रदान करना। रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए 3.21 करोड़ रुपये के उसी भाग में उपलब्ध है, प्रस्ताव के लिए 10 करोड़ रुपये का नकद परिव्यय होगा।
- (घ) "एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)" (3.54 करोड़ रुपये) के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना। इससे नकद परिव्यय होगा।
- (ङ) एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना (1264.00 करोड़ रुपये) इसके लिए नकद परिव्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) providing Grants for Creation of Capital Assets (₹ 204.50 crore) under the scheme "Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)", being the committed liabilities. This will entail cash outgo.
- (b) providing Grants for Creation of Capital Assets (₹ 1412.21 crore) under the scheme "Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)"; providing Grants for creation of Capital Assets under "Power System Development Fund Scheme (₹ 200.00 crore); and Grants for creation of Capital Assets under "Reforms Linked Distribution Scheme (₹ 479.76 crore). Taking into account the savings of ₹ 0.43 crore available in the same section of the Grant, and after utilising surrender of savings of ₹ 479.33 crore under Capital Section of the Grant, the proposal will entail cash outgo of ₹ 1612.21 crore.
- (c) providing funds under "Green Energy Corridor" (₹ 3.21 crore) and "Support for the cost of Enabling Infrastructure i.e. roads/bridges" (₹ 10.00 crore). Taking into account the savings of ₹ 3.21 crore available in the same section of the Grant, the proposal will entail cash outgo of ₹ 10 crore.
- (d) providing additional funds for North Eastern Areas to clear committed liabilities under 'Integrated Power Development Scheme (IPDS)' (₹ 3.54 crore). This will entail cash outgo.
- (e) providing additional Loans for Power projects to clear committed liabilities under the scheme Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹ 1264.00 crore) This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 80

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	854.00	855.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	1.00	854.00	855.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	854.01	855.01
राजस्व	Revenue	1.00	854.01	855.01
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान (आईसीपीएस) के स्थापना व्यय के लिए अनुदान-सहायता के तहत व्यय को पूरा करना (1.51 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure under Grant- in-Aid-General for establishment expenses of the Institute of Constitutional and Parliamentary Studies(ICPS) (₹ 1.51 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 83 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)
(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 73 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	304.17	...	304.17
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	304.17	...	304.17
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue	9.00	...	9.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	9.00	...	9.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	3.01	...	3.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	3.01	...	3.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	316.18	...	316.18
राजस्व	Revenue	316.18	...	316.18
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	3.01	...	3.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

परीक्षाओं और चयनों को संचालित करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹3.01 करोड़)।
उपरोक्त व्यय के लिए इसमें नकद व्यय करना होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure on conduct of Examinations and Selections (₹3.01 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104-105 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 74-75 देखिये)

(See page 104-105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 74-75 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	466.00	275986.65	276452.65
पूंजी	Capital	92.08	304836.88	304928.96
जोड़	Total	558.08	580823.53	581381.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	20000.01	20000.01
जोड़	Total	...	20000.01	20000.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	2.50	0.01	2.51
पूंजी	Capital	606.92	1415.51	2022.43
जोड़	Total	609.42	1415.52	2024.94
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1167.50	602239.06	603406.56
राजस्व	Revenue	468.50	275986.66	276455.16
पूंजी	Capital	699.00	326252.40	326951.40
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3001-भारतीय रेलवे-नीति निर्माण, दिशा-निर्देश, अनुसंधान एवं अन्य विविध संगठन	3001-Indian Railways - Policy Formulation, Direction, Research and Other Miscellaneous Organisations	0.50 (का)	...	0.50
3002-भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्य संचालन व्यय	3002-Indian Railways - Commercial Lines - Working Expenses	1.00 (खब)	...	1.00
3003-भारतीय रेलवे-सामरिक लाइन-कार्य संचालन व्यय	3003-Indian Railways - Strategic Lines - Working Expenses	1.00 (गंc)	...	1.00
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	2.50	0.01	2.51
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	606.92 (ङe)	1415.51 (चf)	2022.43
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	609.42	1415.52	2024.94
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	(-)1415.51	(-)1415.51

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सांविधिक रेलवे लेखापरीक्षा की लागत के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.50 करोड़ रुपये)।
अनुदान के स्वीकृत अनुभाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) meeting additional expenditure towards cost of statutory Railway Audit (₹ 0.50 crore).
Taking into account the savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(ख)	मुआवजे के दावों (1 करोड़ रुपये) के तहत अतिरिक्त खर्च को पूरा करना। अनुदान के स्वीकृतअनुभाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	meeting additional expenditure under Compensation claims (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	मुआवजे के दावों (1 करोड़ रुपये) के तहत अतिरिक्त खर्च को पूरा करना। अनुदान के स्वीकृतअनुभाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	meeting additional expenditure under Compensation claims (₹ 1 crore). Taking into account the savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(घ)	रणनीतिक लाइनों के संचालन पर नुकसान की प्रतिपूर्ति पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.48 करोड़ रुपये)। अनुदान के स्वीकृतअनुभाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	meeting additional expenditure on reimbursement of losses on operation of strategic lines (₹ 1.48 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण और नई लाइनों के निर्माण के लिए पुनर्वास (459.74 करोड़ रुपये), पटरियों के दोहरीकरण (91.76 करोड़ रुपये), लाइनों को ब्रॉड गेज में बदलने (33.83 करोड़ रुपये) के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करना। यातायात सुविधाओं के तहत बाड़-पास लाइन का प्रावधान (20.09 करोड़ रुपये), ग्राहक सुविधाओं से संबंधित अन्य मध्यस्थता पुरस्कार (1 करोड़ रुपये), यातायात सुविधाओं के तहत स्टेशन का विकास (0.23 करोड़ रुपये) और कार्यशालाओं में भारी मरम्मत (0.27 करोड़ रुपये)। अनुदान के स्वीकृतअनुभाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(e)	meeting additional expenditure arising out of court decrees mainly due to land acquisitions and resettlement for construction of New lines (₹ 459.74 crore), Doubling of Tracks (₹ 91.76 crore), conversion of lines to broad gauge (₹ 33.83 crore), provision of by-pass line under traffic facilities (₹ 20.09 crore), other arbitration awards relating to Customer amenities (₹ 1 crore), development of station under Traffic Facilities (₹ 0.23 crore) and heavy repairs in Workshops(₹ 0.27 crore). Taking into account the savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(च)	भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों द्वारा विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि और परेषिती रेलवे को तैयार उत्पादों के हस्तांतरण के लिए क्रेडिट में संबंधित वृद्धि के कारण 1507.09 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, शेष राशि के लिए अनुपूरक मांगा जाता है। इससे वसूली में वृद्धि को देखते हुए नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।	(f)	meeting additional expenditure of ₹ 1507.09 crore on account of increase in manufacturing activities by Indian Railways' Production Units and related increase in the Credits for transfer of finished products to consignee Railways. Taking into account the savings available in the section, supplementary for the balance amount is sought. This will not entail cash outgo considering the increase in recoveries.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 76 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19668.06	19668.06
पूंजी	Capital	10.00	207840.29	207850.29
जोड़	Total	10.00	227508.35	227518.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	100.02	100.02
पूंजी	Capital	...	19273.91	19273.91
जोड़	Total	...	19373.93	19373.93
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	396.55	396.55
पूंजी	Capital	...	1629.00	1629.00
जोड़	Total	...	2025.55	2025.55
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	248907.83	248917.83
राजस्व	Revenue	...	20164.63	20164.63
पूंजी	Capital	10.00	228743.20	228753.20

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	0.01 (का)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	396.54 (खब)	396.54
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	396.55	396.55
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	1629.00 (गक)	1629.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2025.55	2025.55

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)198.27	(-)198.27
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)1593.93	(-)1593.93
Total (Supplementary)	Total (Supplementary)	...	-1792.20	-1792.20

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कम्प्यूटर सिस्टम और राष्ट्रीय डेटा बेस के लिए 'व्यावसायिक सेवाओं' के तहत अतिरिक्त पूंजी को पूरा करना (30 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) द्वारा जम्मू व कश्मीर संघ शासित प्रदेश के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (224.27 करोड़) (ii) सीआरआईएफ में 'अंतर खाता अंतरण' जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश के लिए (198.27 करोड़ रुपये)

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional fund under 'Professional Services' for 'Computer System and National Data Base' (₹ 30 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants for creation of Capital Assets for UT of J&K financed from Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 224.27 crore).
(ii) 'Inter Account Transfer' to CRIF meant for UT of J&K (₹ 198.27 crore).

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध 396.54 करोड़ रुपये की बचत का अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को उपयोग करने के बाद, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) (i) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य के तहत 'प्रमुख कार्यों' के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना -सीआरआईएफ द्वारा सामान्य वित्त पोषण (1593.93 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य-सामान्य के लिए सीआरआईएफ से 'अंतर खाता अंतरण' (1608.93 करोड़ रुपये) (iii) टोल ब्रिजों के संरक्षण के लिए स्थायी ब्रिज शुल्क कोष (पीबीएफएफ) से 'अंतर खाता अंतरण' (20.07 करोड़ रुपये)। (c)

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध 20.07 करोड़ रुपये की बचत का अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को उपयोग करने के बाद, 1593.93 करोड़ रुपये सीआरपीएफ से मिलेंगे, इसमें से 15 करोड़ का कुल व्यय होगा।

Taking into account the surrender of savings of ₹ 396.54 crore available in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any cash outgo.

- (i) meeting additional expenditure on 'Major Works' under National Highways Original Works - General financed from CRIF (₹ 1593.93 crore). (ii) 'Inter Account Transfer' to CRIF meant for National Highways Original Works - General (₹ 1608.93 crore). (iii) 'Inter Account Transfer' to Permanent Bridges Fees Fund (PBFF) meant for maintenance of toll bridges (₹ 20.07 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 20.07 crore available in the Revenue Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, ₹ 1593.93 crore will be met from CRIF, the above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 15 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 78 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	234019.08	234019.08
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	234019.08	234019.08
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	47039.02	47039.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	47039.02	47039.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	9668.01	9668.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	9668.01	9668.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	290726.11	290726.11
राजस्व	Revenue	...	290726.11	290726.11
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216-आवास	2216-Housing	...	1315.00	(का) 1315.00
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01	(खब) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	8353.00	(गक) 8353.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	9668.01	9668.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अर्पित है:

- (क) प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत ब्याज घटक के पुनर्भुगतान के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (1,315.00 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना। इससे अतिरिक्त नकदी खर्च होगी।
- (ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एनआरआई) को सामान्य सहायता अनुदान (0.58 करोड़ रुपये) प्रदान करना। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ग) प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करने की दिशा में 8,353.00 करोड़ रुपये प्रदान करना। इसमें अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) providing additional funds for National Bank of Agriculture And Rural Development (₹ 1,315.00 crore) towards re-payment of interest component under Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural). This will entail cash outgo.
- (b) providing Grants-in-aid General (₹ 0.58 crore) to National Rural Road Development Agency (NRRDA) under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (c) providing ₹ 8,353.00 crore as Grants for creation of capital assets for State Governments under Pradhan Mantri Awas Yojana . This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

भूमि संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 79 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2170.42	2170.42
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2170.42	2170.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	27.14	0.03	27.17
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	27.14	0.03	27.17
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	27.14	2170.46	2197.60
राजस्व	Revenue	27.14	2170.46	2197.60
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2506-भू सुधार	2506-Land Reforms	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरित करने हेतु 'डिजिटल इंडिया पहल - भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (3.40 करोड़ रुपये) पर व्यय को पूरा करना।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on Grants-in-aid General (₹ 3.40 crore) under 'Digital India Initiative - Land records Modernisation Programme' for releasing to the States /UTs.
Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 80 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5949.57	5949.59
पूंजी	Capital	...	122.00	122.00
जोड़	Total	0.02	6071.57	6071.59
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	6071.60	6071.62
राजस्व	Revenue	0.02	5949.60	5949.62
पूंजी	Capital	...	122.00	122.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) वैज्ञानिक स्वायत्तशासी संस्थाओं / व्यावसायिक निकायों को सहायता (₹ 45.00 करोड़) और (ii) तकनीकी विकास बोर्ड (50.50 करोड़ रुपये) और 2. वैज्ञानिक स्वायत्तशासी संस्थाओं / व्यावसायिक निकायों को सहायता योजना के तहत वेतन अनुदान (₹ 5.00 करोड़) ।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the schemes (i) Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies (₹ 45 crore) and (ii) Technology Development Board (₹ 50.50 crore) and 2. Grants-in-aid Salaries under the scheme Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies (₹ 5 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 89

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3502.37	3502.37
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	3502.37	3502.37
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3502.39	3502.39
राजस्व	Revenue	...	3502.39	3502.39
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹. 7.28 करोड़) के व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) अनुसंधान एवं विकास के तहत सामान्य सहायता अनुदान (25.34 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (50 करोड़ रुपये) के व्यय पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting the expenditure towards Grants-in-aid General under Research and Development (₹ 7.28 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting the expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 25.34 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 50 crore) under Research and Development.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 81 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 81 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5202.12	5202.12
पूंजी	Capital	...	22.15	22.15
जोड़	Total	...	5224.27	5224.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	73.45	73.45
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	73.45	73.45
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	10.00	10.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	10.00	10.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5307.72	5307.72
राजस्व	Revenue	...	5285.57	5285.57
पूंजी	Capital	...	22.15	22.15
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	10.00	10.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त व्यय (i) पेंशन के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सहायता अनुदान, पेंशन पर डीआर जारी करना, एनपीएस नियोक्ता योगदान पर बकाया (10 करोड़ रुपये) और (ii) पीएसीई (0.94 करोड़) और बीआईआरडी (0.97 करोड़) के बड़े हुए। अनुमानित व्यय को ध्यान में रखते हुए सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के पूंजी अनुभाग में उपलब्ध ₹ 10 करोड़ की बचत और अनुदान के उसी अनुभाग में उपलब्ध बचत का अभ्यर्पण करने पर, इसके लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं करना होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure under (i) Grants-in-aid General of National Laboratories towards pension, release of DR on pension, arrear on NPS employer contribution (₹ 10 crore) and (ii) Grants-in-aid General on account of enhanced/anticipated expenditure towards PACE (₹ 0.94 crore) and BIRD (₹ 0.97 crore).

Taking into surrender of savings of ₹ 10 crore available in the capital section of Grant and savings available in the same section of the grant, this will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)
(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2711.53	2711.53
पूंजी	Capital	...	73.70	73.70
जोड़	Total	...	2785.23	2785.23
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	10.01	10.01
जोड़	Total	...	10.02	10.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	25.00	25.00
जोड़	Total	...	25.02	25.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2820.27	2820.27
राजस्व	Revenue	...	2711.56	2711.56
पूंजी	Capital	...	108.71	108.71
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	25.00 (ग)	25.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	25.02	25.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) 'कौशल विकास' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (165.75 करोड़ रुपये), (ii) 'शिक्षता को बढ़ावा देने' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (103.00 करोड़ रुपये), (iii) 'विनियामक संस्थाओं को सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1.60 करोड़ रुपये), (iv) 'आजीविका प्रोत्साहन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (रु. 22.00 करोड़) (संकल्प), (v) 'औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10.79 करोड़ रुपये), (vi) 'राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना' योजना के तहत छात्रवृत्ति/वजीफा (9.31 करोड़ रुपये) और (vii) 'नियामक संस्थाओं को समर्थन' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.40 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) 'संस्थागत प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना का सुदृढीकरण' योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (15.14 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग) सचिवालय के तहत मुख्य कार्य (25.00 करोड़ रुपये) अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grants-in-aid General (₹ 165.75 crore) under the scheme 'Development of Skills', (ii) Grants-in-aid General (₹ 103.00 crore) and Scholarship/Stipends (₹ 9.31 crore) under the scheme 'Promotion of Apprenticeship', (iii) Grants-in-aid General (₹ 1.60 crore) under the scheme 'Support to Regulatory Institutions', (iv) Grants-in-aid General (₹ 22.00 crore) under the scheme 'Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP)', (v) Grants-in-aid General (₹ 10.79 crore) under the scheme 'Skill Strengthening for Industrial Value Enhancements (STRIVE)', and (vi) Grants-in-aid Salaries (₹ 0.40 crore) under the scheme 'Support to Regulatory Institutions'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Grants for creation of Capital Assets (₹ 15.14 crore) under the scheme 'Strengthening of Infrastructure for Institutional Training'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major Works (₹ 25.00 crore) under 'Secretariat'.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 82 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	10197.62	10197.62
पूंजी	Capital	...	370.00	370.00
जोड़	Total	...	10567.62	10567.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	99.52	99.52
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	99.52	99.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	10667.15	10667.15
राजस्व	Revenue	...	10297.15	10297.15
पूंजी	Capital	...	370.00	370.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेशन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10 करोड़ रुपये)
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grants in aid General under Baba Saheb Dr. B. R. Ambedkar Foundation (₹ 10 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 93

विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)
(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 83 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1171.76	1171.76
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1171.77	1171.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1171.79	1171.79
राजस्व	Revenue	...	1171.78	1171.78
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) 'राष्ट्रीय संस्थानों को वित्त पोषण' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (ii) सहायता वेतन अनुदान (14 करोड़ रुपये) और (iii) 'राष्ट्रीय संस्थानों को वित्त पोषण योजना' के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (16.50 करोड़ रुपये)।
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) Grants-in-Aid General under the Scheme 'Funding to National Institutes' (₹ 0.50 crore) (ii) Grants-in-Aid Salary (₹ 14 crore) and (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme 'Funding to National Institutes' (₹ 16.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 84 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 84 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5719.86	5720.46
पूंजी	Capital	0.40	8228.23	8228.63
जोड़	Total	1.00	13948.09	13949.09
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13948.15	13949.15
राजस्व	Revenue	0.60	5719.89	5720.49
पूंजी	Capital	0.40	8228.26	8228.66
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) रिस्पान्ड (₹. 3.50 करोड़) को पूंजीगत आस्तियों के सृजन तथा (ii) एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र (₹. 1.00 करोड़) के सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) 1. (i) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक वाहन - सातत्य परियोजना (₹. 5 करोड़) (ii) नौवहन उपग्रह प्रणाली (₹. 2 करोड़) (iii) ओशनसैट 3 एवं 3ए. (₹. 1 करोड़) (iv) रिसोर्ससैट-3एस. एवं 3एस.ए. (₹. 2 करोड़) (v) रिसोर्ससैट 3 एवं 3ए. (₹. 3 करोड़) (vi) यू.आर. राव उपग्रह केंद्र (₹. 9 करोड़) (vii) एकस-किरण ध्रुवणमापी उपग्रह (₹. 1 करोड़) (viii) जीसैट-12आर. (₹. 2 करोड़) (ix) समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (₹. 1 करोड़) (x) आदित्य (₹. 4 करोड़) एवं (xi) विद्युत-प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला (₹. 4 करोड़) योजनाओं के अंतर्गत मशीनरी एवं उपकरण के लिए; 2. (i) रीसैट 1बी. (₹. 40 करोड़) (ii) एल्युमीनियम मिश्रधातु टैंकेंज के लिए नए कार्य केंद्र का विकास - पूर्व-निवेश (₹. 8 करोड़) (iii) ओशनसैट 3 एवं 3ए. (₹. 12 करोड़) (iv) रिसोर्ससैट 3एस. एवं 3एस.ए. (₹. 8 करोड़) (v) एच.आर.सैट उपग्रह समूह (₹. 8 करोड़) (vi) जी.एस.एल.वी. मार्क III उपग्रह समूह कार्यक्रम (₹. 2 करोड़) (vii) रिसोर्ससैट 3 एवं 3ए. (₹. 5 करोड़) योजनाओं के अंतर्गत अन्य पूंजीगत व्यय के लिए; 3. (i) एस.एस.एल.वी. के लिए लॉच पैड (₹. 60 करोड़) एवं (ii) चंद्रयान-III (₹. 1 करोड़) योजनाओं के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य; एवं 4. (i) इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई (₹. 1 करोड़); (ii) समानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (₹. 1 करोड़) और (iii) भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (₹. 1 करोड़) योजनाओं के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी - मशीनरी एवं उपकरण के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets to RESPOND (₹ 3.50 crore) and (ii) Grants-in-aid General for Centre for Space Science & Technology Education in Asia and the Pacific (₹ 1 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards 1. Machinery & Equipment under the schemes (i) Polar Satellite Launch Vehicle - Continuation Project (₹ 5 crore) (ii) Navigation Satellite System (₹ 2 crore) (iii) Oceansat 3 & 3A (₹ 1 crore) (iv) Resourcesat-3S & 3SA (₹ 2 crore), (v) Resourcesat 3 & 3A (₹ 3 crore) (vi) UR Rao Satellite Centre (₹ 9 crore) (vii) X-Ray Polarimeter Satellite (₹ 1 crore) (viii) GSAT-12R (₹ 2 crore) (ix) Human Spaceflight Centre (₹ 1 crore) (x) Aditya (₹ 4 crore) & (xi) Laboratory for Electro-Optics System (₹ 4 crore) 2. Other Capital Expenditure under the schemes (i) RISAT 1B (₹ 40 crore) (ii) Development of New Work Centre for Aluminium Alloy Tankages - Pre-Investment (₹ 8 crore) (iii) Oceansat 3 a& 3A (₹ 12 crore) (iv) Resourcesat 3S & 3SA (₹ 8 crore) (v) HRSAT Constellation (₹ 8 crore) (vi) GSLV MK III Continuation programme (₹ 2 crore) and (vii) Resourcesat 3 & 3A (₹ 5 crore) 3. Major Works under the schemes (i) Launch Pad for SSLV (₹ 60 crore) and (ii) Chadrayaan-III (₹ 1 crore) and 4. Information Technology - M&E under the schemes (i) ISRO Inertial Systems Unit (₹ 1 crore) (ii) Human Spaceflight Centre (₹ 1 crore) and (iii) Indian Institute of Remote Sensing (₹ 1 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)
(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 86 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	39.25	39.25
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	39.25	39.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3.75	3.75
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	3.75	3.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	43.01	43.01
राजस्व	Revenue	...	43.01	43.01
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'भारत में व्यापारिक जहाजों की फ्लेगिंग संवर्धन योजना' योजना के अंतर्गत (1.32 करोड़ रुपये) की सब्सिडी।
अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Subsidies (₹ 1.32 crore) under the scheme 'Scheme for Promotion of Flagging of Merchant Ships in India'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 87 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3591.61	3591.61
पूंजी	Capital	...	40.03	40.03
जोड़	Total	...	3631.64	3631.64
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7807.20	7807.20
पूंजी	Capital	...	76.69	76.69
जोड़	Total	...	7883.89	7883.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	11515.56	11515.56
राजस्व	Revenue	...	11398.84	11398.84
पूंजी	Capital	...	116.72	116.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वातर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(का) 0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	(खब) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(गक) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (6.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)	Grants for Creation of Capital Assets (₹ 6.00 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) 'अनुसंधान एवं विकास-हस्तशिल्प' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपये) और (ii) 'अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15.75 करोड़)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(b)	(i) Grants-in-aid General (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Research & Development - Handicraft' and (ii) Grants-in-aid General (₹ 15.75 crore) under the scheme 'Ambedkar Hasthshilp Vikas Yojana'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	'पीएम मित्र' योजना के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (0.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)	Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.50 crore) under the scheme 'PM MITRA'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)
(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 89 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2032.04	2032.04
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2032.04	2032.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2032.06	2032.06
राजस्व	Revenue	...	2032.06	2032.06
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन (आईएचएम), फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट्स (एफसीआई), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट (आईआईटीटीएम)/एनआईडब्ल्यूएस को सहायता के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (11 करोड़ रुपये)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

grants for creation of capital assets (₹ 11 crore) towards 'Assistance to Institutes of Hotel Management & Catering Technology & Applied Nutrition (IHMs), Food Craft Institutes (FCIs), Indian Institute of Tourism & Travel Management (IITTM) /NIWS.
Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 99

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)
(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 90 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4708.33	2816.52	7524.85
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	4708.33	2816.54	7524.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4708.33	2816.57	7524.90
राजस्व	Revenue	4708.33	2816.55	7524.88
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹. 0.43 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-Aid General under the scheme 'Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups' (₹ 0.43 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 देखिये)
(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	24930.00	24930.00
पूंजी	Capital	...	5.00	5.00
जोड़	Total	...	24935.00	24935.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	24935.03	24935.03
राजस्व	Revenue	...	24930.03	24930.03
पूंजी	Capital	...	5.00	5.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी)
योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (2.77 करोड़ रूपए)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक
अनुदान मांगा जाता है

The supplementary Grant is required for:

Grant in Aid General under the scheme National Institute of public
Cooperation & Child Development (NIPCCD) (₹ 2.77 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the
Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 101

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये और वर्ष 2021-2022 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022 and page 91 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2549.41	2549.41
पूंजी	Capital	...	46.73	46.73
जोड़	Total	...	2596.14	2596.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	204.59	204.59
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	204.61	204.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.52	0.52
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.52	0.52
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2801.27	2801.27
राजस्व	Revenue	...	2754.52	2754.52
पूंजी	Capital	...	46.75	46.75
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	0.02 (क)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.50 (ख)	0.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.52	0.52

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (1) (i) राष्ट्रीय नशा परीक्षण प्रयोगशाला योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (1.50 करोड़ रुपये) और (ii) खेल में मानव संसाधन विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपये) (2) (i) भारतीय खेल प्राधिकरण योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (17 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय नशा परीक्षण प्रयोगशाला योजना के तहत अनुदान (1 करोड़ रुपये) और (iii) खेलो इंडिया योजना के तहत अनुदान (85.01 करोड़ रुपये) (3) भारतीय खेल प्राधिकरण योजना के तहत सहायता वेतन सहायता अनुदान (68.73 करोड़ रुपये) और (4) पुरस्कार योजना के तहत अन्य प्रभार (0.01 करोड़ रुपये)।
- उपरोक्त व्यय से 0.02 करोड़ रुपये का परिदृश्य खर्च होगा।
- (ख) (1) खेलो इंडिया योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (15.30 करोड़ रुपये) और (2) भारतीय खेल प्राधिकरण योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (रु. 0.20 करोड़)।
- उपरोक्त व्यय से ₹0.50 करोड़ का परिदृश्य खर्च होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (1) Grant in Aid General under the scheme (i) National Dope Test Laboratory (₹ 1.50 crore) and (ii) Human Resource Development in Sports (₹ 1 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Sports Authority of India (₹ 17 crore), (ii) National Dope Test Laboratory (₹ 1 crore) and (iii) Khelo India (₹ 85.01 crore) (3) Grant in Aid Salary under the scheme Sports Authority of India (₹ 68.73 crore) and (4) Other Charges under the scheme Awards (₹ 0.01 crore) .
- The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.02 crore.
- (b) (1) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Khelo India (₹ 15.30 crore) and (2) Grant in Aid Salary under the scheme Sports Authority of India (₹ 0.20 crore).
- The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 0.50 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुबंध Annexure

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(₹ करोड़)

से			को		
पूँजीगत अनुभाग (स्वीकृत)			पूँजीगत अनुभाग (स्वीकृत)		
शीर्ष	नामकरण	राशि	शीर्ष	नामकरण	राशि
6860	उपभोक्ता उद्योग को ऋण		6860	उपभोक्ता उद्योग को ऋण	
04	चीनी		04	चीनी	
190	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को ऋण		190	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को ऋण	
06	खोई पर आधारित विद्युत् सह-उत्पादन परियोजनाओं के लिए चीनी फैक्ट्रियाँ		07	एन्हाइड्रस अल्कोहल के अथवा अल्कोहल से एथनोल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्ट्रियाँ	
06.00.55	ऋण और अग्रिम	1.97	07.00.55	ऋण और अग्रिम	1.97

कारण निम्नलिखित हैं :-

बचत: बचत ऋण के संवितरण के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा न करने के कारण है।

आधिक्य: स्कीम के तहत अनुमान से अधिक प्राप्त प्रस्तावों के संवितरण के लिए आधिक्य की आवश्यकता है क्योंकि बजट अनुमान 2020-21 की राशि पहले ही समाप्त हो चुकी है।

(₹ in crore)

From			To		
Capital Section (Voted)			Capital Section (Voted)		
Head	Nomenclature	Amount	Head	Nomenclature	Amount
6860	Loans for Consumer Industries		6860	Loans for Consumer Industries	
04	Sugar		04	Sugar	
190	Loans to Public Sector and Other Undertakings		190	Loans to Public Sector and Other Undertakings	
06	Sugar Factories for bagasse based cogeneration power project		07	Sugar factories for production of anhydrous alcohol or ethanol from alcohol	
06.00.55	Loans and Advances	1.97	07.00.55	Loans and Advances	1.97

The reasons are as under: -

Saving: Saving is due to non-fulfillment of conditions necessary for the disbursement of the loan.

Excess: Excess is required for disbursement of more proposals received than anticipated under the scheme as the BE 2020-21 has already been exhausted.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुबंध Annexure

योजना मंत्रालय
MINISTRY OF PLANNING

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2021-22

वर्ष 2021-22 के दौरान पुनर्विनियोजन अनुमोदित सीमा से अधिक होने के मामले में संसद को रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित मदों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ in Crore)

(₹ करोड़)

Sl. No.	Name of the Ministry/ Department	Scheme	Budget Estimates	Amount of Re-appropriation	Remarks
क्र. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	स्कीम	बजट अनुमान	पुनर्विनियोजन की राशि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
1	Ministry of Planning	3451.00.101.01-NITI Aayog-Headquarters	67.00	25.22	Due to discontinuation of Plan Formulation, Appraisal and Review scheme from the FY 2021-22, parking fund to the tune of Rs.25.22 crore has been kept under Research and Study scheme for re-appropriation under NITI Aayog- Headquarters during the FY 2021-22
1	योजना मंत्रालय	3451.00.101.01-नीति आयोग-मुख्यालय	67.00	25.22	वित्त वर्ष 2021-22 से योजना निर्माण, मूल्यांकन और समीक्षा स्कीम बंद होने के कारण वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान नीति आयोग- मुख्यालय के तहत पुनर्विनियोजन के लिए अनुसंधान और अध्ययन स्कीम के अंतर्गत 25.22 करोड़ रुपए की पार्किंग निधि रखी गई है।